दिनांक .... को विधान सभा
को प्रस्तुत की गई
Presented to the Legislature
on 25 मार्च MAR 2015

भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-xi
अध्याय – 1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ओवरव्यू		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा आदेश	1.2	1
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.3	2-3
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण	1.4	3-4
वित्त लेखाओं का मिलान	1.5	4
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	1.6	4-5
लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया	1.7	5-6
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करना	1.8	6
लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.9	6-8
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.10	8
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.11	8-9
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन	1.12	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों के उत्तर	1.13	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.14	9-11
इस प्रतिवेदन का कवरेज	1.15	11
अध्याय – 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	13-26
हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	27-46

अध्याय – 3 लेन – देनों की लेखापरीक्षा		
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
परिहार्य व्यय	3.1	47-48
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.2	48-49
कम बीमा के कारण हानि	3.3	50
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
बिजली प्रभारों के कारण बकायों का संचय	3.4	51-54
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
बिजली देयों की माफी	3.5	54-57
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड		
सर्विस टैक्स की अवसूली	3.6	57-58
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
अनियमित व्यय	3.7	58-59
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.8	59-61
हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड		
राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नोडल एजेंसी के रूप में हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	3.9	61-65
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		
वित्तीय सहायता में अनियमितताएं	3.10	65-69

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	परिशिष्ट 1	1.3	71-75
2	परिशिष्ट 2	1.6	76-82
3	परिशिष्ट 3	1.4	83-85
4	परिशिष्ट 4	1.7	86
5	परिशिष्ट 5	2.1.5.4 तथा 2.1.8.1	87-90
6	परिशिष्ट 6	2.1.7.3	91
7	परिशिष्ट 7	2.1.7.4	92-93
8	परिशिष्ट 8	2.2.6	94-95
9	परिशिष्ट 9	2.2.7.1	96
10	परिशिष्ट 10	3.4	97
संकेताक्षरों की शब्दावली			99-100

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में मानी गई कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों की पूरक लेखापरीक्षा के अध्याधीन हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अध्याधीन हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक समझे गए वर्ष 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, भी शामिल कर लिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा-मानकों के अनुसार ही लेखापरीक्षा की गई है।

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 126.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' तथा 'हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 12 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 24 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (22 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और सात अकार्यरत कंपनियां थी जिनमें 35,577 कर्मचारी नियुक्त थे। 31 मार्च 2013 को 31 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 35,778.36 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.61 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.39 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 23.89 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 76.11 प्रतिशत शामिल था। इक्विटी 2008-09 में ₹ 5,962.15 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 8,546.45 करोड़ हो गई। 2012-13 में कुल निवेश का 91.38 प्रतिशत से अधिक विद्युत क्षेत्र में किया गया। राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 10,519.62 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.1, 1.3 तथा 1.4)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

23 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे सितंबर 2013 तक प्राप्त किए गए थे, में से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 292.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 10,120.57 करोड़ की हानियां उठाई। ₹ 292.35 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाले 15 सा.क्षे.उ. में से केवल चार सा.क्षे.उ.[1] ने ₹ 6.60 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.6)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2013 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 34 लेखे बकाया थे। लेखाओं तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.7)

---

1 हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

ग्रामीण विद्युत (आर.ई.) योजना, जो आर.ई. नीति की अधिसूचना (अगस्त 2006) के छ: माह के भीतर अधिसूचित की जानी थी, 58 माह की देरी के साथ अधिसूचित की गई थी। आर.ई. योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि लोड का अनुमान वास्तविक नहीं था तथा अतिरिक्त लोड को पूरा करने के लिए विद्युत आवश्यकता अनुमानित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.5.1 तथा 2.1.5.2)

21 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी.पी.आरज) अनुमोदित करने में 12 से 920 दिनों का समय लिया गया था। डी.पी.आरज वास्तविक रूट-सर्वे के बिना तैयार किए गए थे। ₹ 8.27 करोड़ मूल्य के वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टीज) मीटर ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.5.3 से 2.1.5.5)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने कैश क्रेडिट अकाऊंटस से ₹ 43.20 करोड़ खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ का अनुचित ब्याज वहन करना पड़ा। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने ₹ 59.96 करोड़ की स्कीम निधियां एक प्राईवेट बैंक में रखी।

(अनुच्छेद 2.1.6)

डिस्कोमज ने, ₹ 200.22 करोड़ की आर.ई.सी. द्वारा संस्वीकृत लागत के विरूद्ध ₹ 259 करोड़ के ठेके दिए तथा अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया। उ.ह.बि.वि.नि.लि. के ठेकेदारों ने स्थल पर अधिक सामग्री लाकर ₹ 15.36 करोड़ के अधिक भुगतान प्राप्त किए।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 तथा 2.1.7.4)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. की आठ परियोजनाएं सात से 67 माह तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. की छ: परियोजनाएं 10 से 28 माह की अवधि हेतु विलंबित थी जो क्रमश: 12 माह तथा नौ माह की पूर्णता अवधि के विरूद्ध थीं।

(अनुच्छेद 2.1.7.3)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने 10वीं तथा 11वीं योजना अवधियों में बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन जारी करने के अपने लक्ष्य का क्रमश: 66.03 प्रतिशत तथा 75.83 प्रतिशत ही उपलब्धि की। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने 11वीं योजना फेस-I के पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए थे किंतु फेस-II परियोजनाओं के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

2.2 सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम' से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की गई लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित परिणाम निम्नवत् थे:

निगम ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान लाभ अर्जित किया तथा 2008-09 में ₹ 10.97 करोड़ एवं 2012-13 में ₹ 138.51 करोड़ राशि की हानियां उठाई। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी हुई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6.1 तथा 2.2.6.2)

निगम ने अपने लेखे, स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों/मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए थे। एफ.सी.आई. के साथ लेखाओं की पुष्टि एवं मिलान न करने के परिणामस्वरूप प्रमुख सौदे 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 2008-09 से गेहूं और गनी बैगज के समापन स्टॉकस के भौतिक शेषों के साथ मिलान नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.6.1)

31 मार्च 2013 को भण्डारण शुल्क के लिए विभिन्न सरकारी/सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों से ₹ 40.56 करोड़ वसूलनीय थे, जिसमें ₹ 21.42 करोड़ 1986-87 से 2007-08 तक की अवधि से संबंधित थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

निगम ने 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान 47 गोदामों की रूफिंग के लिए गॉलवाल्यूम शीटों की आपूर्ति तथा इरेक्शन के लिए कान्ट्रैक्ट देने में, एक विशिष्ट ग्रेड एवं ब्रांड चयन करके, वित्तीय बोलियों के खोलने का शैडयूल, परिमात्रा तथा भुगतान का शैडयूल परिवर्तित करके एन.आई.टी. की शर्तों का उल्लंघन किया। कार्य आदेशों के प्रावधानों के अनुसार 2008-09 से 2012-13 के दौरान कार्यों की विलम्बित पूर्ति के लिए ठेकेदारों पर ₹ 7.74 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.9.2, 2.2.9.3 तथा 2.2.9.7)

2008-09 से 2011-12 के दौरान धान के संबंध में प्रापण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 21 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत के मध्य थी। निगम ने बाढ़ और वर्षा के कारण स्टॉक खराब होने से ₹ 6.64 करोड़ मूल्य की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.11.6 तथा 2.2.11.7)

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, निगम की गतिविधियों के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.2.13.1)

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

साइड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में देरी के कारण कोयले की दुबारा बुकिंग में ₹ 3.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.1)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

निम्नतम दरों की उपेक्षा करके दुबारा टेंडर के लिए हाई पावर परचेज कमेटी के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 6.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

बकाया देय अप्रैल 2008 में ₹ 1,406.32 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 2,532.36 करोड़ हो गए। ₹ 721.56 करोड़ की अग्रिम खपत जमा जनवरी 2014 को उपभोक्ताओं के विरूद्ध अभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। कनेक्टिड चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में कुल उपभोक्ताओं के 17.57 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.39 प्रतिशत हो गई थी। चोरी के मामलों में कंपनी ने ₹ 11.78 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.17 करोड़ के जुर्माने की वसूली की।

(अनुच्छेद 3.4)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

₹ 1,050.10 करोड़ की माफी के विरूद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 532.05 करोड़ डिस्कोमज को सबसिडी के रूप में निर्मुक्त किए। दो चयनित आपरेशन सर्कलज में ₹ 32.74 करोड़ की देय राशि वाले 7,081 घरेलू उपभोक्ताओं ने न तो स्कीम का विकल्प लिया था और न ही डिस्कोमज ने कोडल प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की थी। उपभोक्ताओं, जिन्होंने स्कीम में शामिल होने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया था, की देय राशि ₹ 11.37 करोड़ (जून 2005) से बढ़कर ₹ 77.36 करोड़ (दिसंबर 2012) हो गई थी।

(अनुच्छेद 3.5)

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

तुरंत आवश्यकता निर्धारित किए बिना साफ्टवेयर/सैप लाईसैंस की खरीद पर ₹ 93.79 लाख का व्यय किया गया। कंपनी ने 2008-13 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों से ₹ 111.53 करोड़ की निधियों के विरूद्ध ₹ 29.86 करोड़ का उपयोग किया। कंपनी ने चुनाव विभाग के लिए इलैक्टोरेट फोटो पहचान-पत्रों की अधिक इनवायसिंग के कारण ₹ 57.24 लाख का अधिक आयकर और ₹ 6.99 लाख के केंद्रीय बिक्रीकर का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.9)

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

चार नमूना-जांच किए गए जिला कार्यालयों में ₹ 4.58 करोड़ (95 मामले) के संस्वीकृत ऋण के विरूद्ध, ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के वाहन (26 मामले) वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत किए गए। ₹ 73.52 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरूद्ध, मार्च 2013 तक ₹ 69.12 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक मुख्य कार्यालय/जिला कार्यालयों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ओवरव्यू

अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ओवरव्यू

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) बनते हैं। राज्य ने सा.क्षे.उ. में ₹ 35,778.36 करोड़ का निवेश किया - इक्विटी: ₹ 8,546.45 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 27,231.91 करोड़। राज्य सा.क्षे.उ. की मुख्य गतिविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2013 को राज्य सा.क्षे.उ. में 35,577 कर्मचारी ***(परिशिष्ट I)*** नियुक्त थे। 31 मार्च 2013 को 29 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम थे। एक कंपनी अर्थात् हरियाणा कोल कंपनी, वर्ष के दौरान आरंभ की गई थी। वर्ष के दौरान कोई कंपनी आमेलित/बंद नहीं की गई थी।

1.2 लेखापरीक्षा आदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। सैक्शन 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी सरकार द्वारा रखी जाती है। एक सरकारी कम्पनी में उस सरकारी कम्पनी की नियन्त्रित कम्पनी शामिल होती है। पुनः, कम्पनी अधिनियम के सैक्शन 619-बी के अनुसार, सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी संयोजन का जिस कम्पनी में 51 *प्रतिशत* की प्रदत्त पूंजी होती है वह सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानक सरकारी कम्पनी) समझी जाती है।

ऊपर परिभाषित, राज्य सरकार की ऐसी कम्पनियों के लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत भी आते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31 सा.क्षे.उ. (एक 619-बी कम्पनी सहित) में 31 मार्च 2013 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 35,778.36 करोड़ था।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. की श्रेणी		संख्या	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग
कार्यरत	सरकारी कम्पनियां	22	8,308.91	27,025.60	35,334.51
	सांविधिक निगम	2	213.35	92.70	306.05
	योग	**24**	**8,522.26**	**27,118.30**	**35,640.56**
अकार्यरत	सरकारी कम्पनियां	7	24.19	113.61	137.80
	सांविधिक निगम	-	-	-	-
	योग	**7**	**24.19**	**113.61**	**137.80**
कुल योग		**31**	**8,546.45**	**27,231.91**	**35,778.36**

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का सार ***परिशिष्ट I*** में वर्णित है।

31 मार्च 2013 को राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.61 *प्रतिशत* कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.39 *प्रतिशत* अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 23.89 *प्रतिशत* पूंजी एवं 76.11 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2008-09 में ₹ 20,408.28 करोड़ से 75.31 *प्रतिशत* बढ़कर 2012-13 में ₹ 35,778.36 करोड़ हो गया था। उसी अवधि के दौरान, निवेश-वृद्धि में से, पूंजी 2008-09 में ₹ 5,962.15 करोड़ से 43.35 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 8,546.45 करोड़ हो गई तथा ऋण ₹ 14,446.13 करोड़ से 88.51 प्रतिशत बढ़कर ₹ 27,231.91 करोड़ तक पहुंच गए। कुल निवेश में वृद्धि नीचे ग्राफ में दर्शाई गई है।

31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उसकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित है।

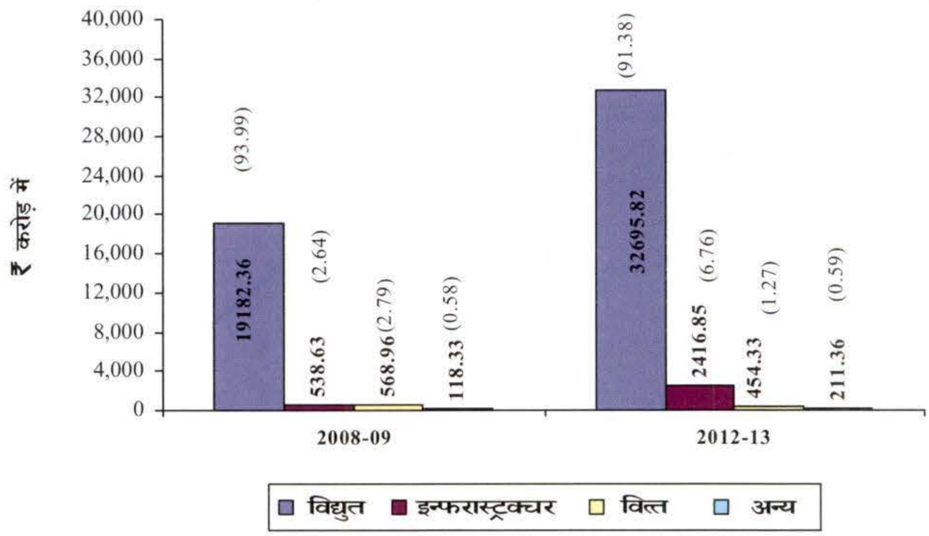

(कोष्ठकों में दिए नंबर कुल निवेश में क्षेत्रगत निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

जैसाकि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है, सा.क्षे.उ. में निवेश का अत्यधिक बल विद्युत क्षेत्र में था जो 2008-09 के दौरान ₹ 19,182.36 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 32,695.82 करोड़ हो गया। मूलभूत-संरचना क्षेत्र में भी निवेश 2008-09 के दौरान ₹ 538.63 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 2,416.85 करोड़ हो गया। पूंजी में निवेश ₹ 2,584.30 करोड़ तक बढ़ गया तथा दीर्घावधि ऋणों में ₹ 12,785.78 करोड़ तक की वृद्धि हुई। निवेश में समग्र निवल वृद्धि ₹ 15,370.08 करोड़ तक थी।

1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

राज्य सरकार द्वारा राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट 3*** में दिया गया है। 2012-13 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी बहिर्गमन	9	805.74	9	726.80	7	199.65
2.	बजट से दिए गए ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त अनुदान/परिदान	14	6,041.84	13	7,320.55	10	10,319.97
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	16[1]	6,847.58	16[1]	8,047.35	13[1]	10,519.62
5.	जारी गारंटिया	3	1,115.93	6	1,654.25	5	15,908.95
6.	गारंटी वचनबद्धता	12	2,549.98	10	3,596.34	9	17,111.18

[1] कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा परिदानों के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया।

ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यरत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटियां 2011-12 में ₹ 1,654.25 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 15,908.95 करोड़ हो गईं। फाइनैंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान (एफ.आर.पी.) के अंतर्गत पावर सैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लघु अवधि देयताओं की रीस्ट्रक्चरिंग तथा खाद्यान्नों के प्रापण की आवश्यकता को वहन करने के लिए हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम द्वारा प्राप्त की गई वृद्धित कैश क्रेडिट सुविधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई राशि बढ़ गई।

2012-13 के दौरान सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त की गई गारंटी ₹ 15,908.95 करोड़ थी एवं 31 मार्च 2013 को गारंटी की बकाया राशि ₹ 17,111.18 करोड़ थी। 1 अगस्त 2001 से सा.क्षे.उ. के सभी उधारों पर राज्य सरकार ने दो *प्रतिशत* की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा 2012-13 के दौरान देय गारंटी फीस ₹ 404.92 करोड़ थी जिसमें से ₹ 402.82 करोड़ का भुगतान किया गया था। 2012-13 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा बकाया गारंटी फीस ₹ 2.10 करोड़ थी (हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम)।

1.5 वित्त लेखाओं का मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के रिकार्ड के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	7,163.88	7,359.25	195.37
ऋण	838.57	881.50	42.93
गारंटियां	17,974.33	17,111.18	863.15

ये अन्तर, 24 सा.क्षे.उ. के संबंध में घटित पाया गया था। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट 2*** में दिए गए हैं। 23 कार्यरत सा.क्षे.उ. ने पूरक लेखापरीक्षा[2] के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए, जिनमें से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 292.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 10,120.57 करोड़ की हानि उठाई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 140.07 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 71.94 करोड़) तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (₹ 28.27 करोड़) मुख्य लाभ अर्जक थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

---

[2] वर्ष 2008-09 के लिए (तीन सा.क्षे.उ.), 2009-10 (दो सा.क्षे.उ.), 2010-11 (दो सा.क्षे.उ.), 2011-12 (12 सा.क्षे.उ.) तथा 2012-13 (चार सा.क्षे.उ.)।

लिमिटेड (₹ 8,603.60 करोड़), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,352.41 करोड़) तथा हरियाणा पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 160.49 करोड़) द्वारा भारी नुकसान उठाए गए थे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,875.21 करोड़ की नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय किया तथा ₹ 221.20 करोड़ के निष्फल निवेश किए जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था। विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय	1,251.60	1,497.16	126.45
निष्फल निवेश	184.23	36.97	-

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया था(अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा दी गई दत्त शेयर-पूंजी पर कम से कम चार *प्रतिशत* लाभ अदा करना है। 15 सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 292.35 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। फिर भी, केवल चार सा.क्षे.उ.[3] ने ₹ 6.60 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा नौ सा.क्षे.उ. ने कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया।

1.7 लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 166, 210, 230, 619-ए और 619-बी के अधीन कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: मास के अन्दर अंतिमकृत किए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

30 सितंबर 2013 तक कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा लेखाओं के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

तालिका 1.5

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	22	21	22	22	24
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	23	17	23	22	21
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	26	30	29	29	34
4.	औसत बकाया प्रति सा.क्षे.उ. (3/1)	1.23	1.38	1.32	1.32	1.41
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	12	16	17	17	19
6.	बकाया-अवधि (वर्षों में)	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 4	1 से 4

[3] हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड ।

कंपनियों द्वारा बताया गया कि लेखाओं के अन्तिमकरण की देरी के मुख्य कारण, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण नहीं होना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी लेखाओं के अन्तिमकरण में बकाया थे। परिसमापनाधीन दो अकार्यरत सा.क्षे.उ. को छोड़ने के बाद पांच अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे अंतिमकृत किए तथा शेष दो सा.क्षे.उ. के लेखे एक से दो वर्ष के लिए बकाया थे।

उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 11 सा.क्षे.उ. में ₹ 9,048.70 करोड़ (इक्विटी: ₹ 178.50 करोड़, अनुदान: ₹ 43.92 करोड़ और सबसिडी: ₹ 8,826.28 करोड़) का निवेश किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4*** में वर्णित है। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। प्र.म.ले. द्वारा लेखा के बकायों की स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों के संज्ञान में लाई गई। फिर भी, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इसके परिणामस्वरूप हम 31 मार्च 2013 को इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं कर सके। लेखाओं के पुराने बकाया को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने का मामला प्रधान महालेखाकार ने मुख्य सचिव के साथ भी उठाया (जुलाई 2013) किंतु सुधार नहीं किया जा सका।

बकाया की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि:

- बकाया के निपटान के निरीक्षण हेतु सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कम्पनी के लिए लक्ष्य निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।
- सरकार आवश्यक निपुणता वाली एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर सकती है।

1.8 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करना

31 मार्च 2013 को सात अकार्यरत सा.क्षे.उ. (सभी कम्पनियां) थे। इनमें से दो सा.क्षे.उ.[4] परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थे। तथापि, परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी।

अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके अस्तित्व से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। 2012-13 के दौरान, तीन अकार्यरत सा.क्षे.उ. ने स्थापना पर ₹ 54.45 लाख का व्यय किया। यह व्यय परिसम्पत्तियों के निपटान (₹ 35.14 लाख), ब्याज तथा कंपनियों के पास पड़े बैंक बैलेंस के माध्यम से वहन किया गया था। सरकार अकार्यरत कंपनियों को बन्द करने के कार्य को तीव्र करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

[4] हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

1.9 लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1 अक्तूबर 2012 से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के दौरान 16 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 17 लेखापरीक्षित लेखे प्र.म.ले. को अग्रेषित किए। दस लेखाओं के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा की गई तथा सात लेखाओं के लिए असमीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार, एक सांविधिक निगम (हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) ने इस अवधि के दौरान अपने वर्ष 2011-12 के लेखे तथा दूसरे (हरियाणा वित्तीय निगम) ने पूर्ववर्ती अवधि के दौरान पूरक लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे भेजे। दो सांविधिक निगमों अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. तथा एच.एफ.सी. की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव	कंपनियां				निगम			
		2011-12		2012-13		2011-12		2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	72.34	5	11.48	2	2.77	1	3.98
2.	हानि का बढ़ना	8	3,025.35	4	6,018.96	1	30.80	-	-
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	1	0.55	4	234.35	-	-	1	29.76
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	4	68.15	-	-	-	-
	योग		3,098.24		6,332.94		33.57		33.74

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 11 लेखाओं को परिमित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। हमने यह देखा कि कम्पनियों की लेखा मानकों (ले.मा.) की अनुपालना हल्की रही। वर्ष के दौरान 9 लेखाओं में ले.मा. से अनुपालना न करने के 31 उदाहरण मिले।

कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

तालिका 1.7

कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	टिप्पणी का सार
एच.पी.जी.सी.एल.[5]	2011-12	ब्याज के नान-कैपिटलाइजेशन के परिणामस्वरूप हानि का अतिकथन तथा ₹ 5.93 करोड़ तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) का अवकथन
एच.एस.आई.आई.डी.सी.[6]	2011-12	औद्योगिक क्षेत्र के विकास या रख-रखाव के लिए बनाई गई स्टोर मदों की लागत शामिल करने के कारण ₹ 4.54 करोड़ की इन्वेंटरीज का अतिकथन तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों का अवकथन
एच.एस.सी.एफ.डी.सी.[7]	2008-09	ब्याज तथा पेनल ब्याज, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, शामिल करने के कारण लाभ ₹ 3.46 करोड़ तक अतिकथित
एच.बी.सी. एंड ई.डब्ल्यू.एस.के.एन.एल.[8]	2008-09	राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को देय पेनल ब्याज की देयता का प्रावधान न होने के कारण हानि के साथ-साथ ₹ 2.43 करोड़ के प्रावधानों का अवकथन
सांविधिक निगम का नाम	**लेखा वर्ष**	**टिप्पणी का सार**
एच.एस.डब्ल्यू.सी.[9]		• भा.खा.नि. से वसूलनीय राशि के विरूद्ध कम प्रावधान के कारण ₹ 0.25 करोड़ तक लाभ का अतिकथन • आयकर के कम प्रावधान के कारण ₹ 0.31 करोड़ तक लाभ का अतिकथन

---

5 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

6 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

7 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

8 हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. में, सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के अनुसार एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के साथ लेखाओं के मिलान तथा लेखांकन प्रक्रियाओं/पद्धतियों में परिवर्तनों के कारण हानि में वृद्धि ₹ 6,010.71 करोड़ थी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 619(3)(ए) के अन्तर्गत उनको, नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना अपेक्षित है जहां सुधार की जरूरत है। वर्ष 2012-13 के लिए, कंपनियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का व्याख्यात्मक सार नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कंपनियों की संख्या जहां सिफारिशें की गई थी	*परिशिष्ट-2* के अनुसार कंपनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	4	ए1, ए3, ए11, ए14
2.	कम्पनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	5	ए5, ए11, ए13, ए14, ए16
3.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पतियों की मूल्य ह्रास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण न करना	5	ए5, ए6, ए10, ए16, सी1
4.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	1	ए14
5.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अपर्याप्त/अविद्यमान होना	6	ए5, ए6, ए11, ए13, ए14, ए16
6.	कंप्यूटर प्र ाली (ई.डी.पी.) का प्रयोग न होना	7	ए1, ए5, ए6, ए10, ए13, ए14, ए17

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ तीन लाख की वसूली उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबन्धन को बताई गई, जो सा.क्षे.उ. द्वारा स्वीकार कर ली गई थी एवं वर्ष 2012-13 के दौरान ही वसूल कर ली गई थी।

1.11 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

निम्नलिखित तालिका 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा विधानसभा में नि.म.ले.प. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को दर्शाती है:

[9] हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन।

तालिका 1.9

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक एस.ए. आरज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके एस.ए.आरज विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए	
			एस.ए.आर का वर्ष	निगम द्वारा सरकार को जारी करने की तिथि
1.	हरियाणा वित्तीय निगम	2010-11	2011-12	13-03-2013
2.	हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम	2009-10	2010-11	मुद्रणाधीन
			2011-12	मुद्रणाधीन
			2012-13	मुद्रणाधीन

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों के उत्तर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु ₹ 102.75 करोड़ से आवेष्टित दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 23.70 करोड़ से आवेष्टित 10 लेखापरीक्षा अनुच्छेद छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, ₹ 91.12 करोड़ के धन मूल्य से आवेष्टित एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 10 संपादन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.14.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ हुए संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए हैं (जुलाई 1996) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर पी.ए.सी./कोपु से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित फोर्मेट में प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को क्रमशः फरवरी 2012 तथा मार्च 2013 में प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी तीन विभागों ने, जिन पर टिप्पणियां की गई थी, **तालिका 1.10** के अनुसार 22 अनुच्छेदों में से पांच के उत्तर 30 सितंबर 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए।

तालिका 1.10

आडिट रिपोर्ट (वाणिज्यिक) का वर्ष	आडिट रिपोर्ट में प्रकट समीक्षा/पैरों की संख्या		समीक्षा/पैरों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	
	समीक्षा	पैरा	समीक्षा	पैरा
2010-11	2	9	-	1
2011-12	2	13	-	4
योग	**4**	**22**	**-**	**5**

प्रतीक्षित उत्तर मुख्यत: विद्युत विभाग से थे।

1.14.2 लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

फरवरी 2009 तथा मार्च 2014 के बीच राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के पांच प्रतिवेदनों से संबंधित 16 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2014) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.1

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	आवेष्टित रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्टों में पैरों की संख्या	पैरों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	9 (पैरा सं. 1 से 8 और 10)
योग	**5**	**58**	**16**

कोपु के इन प्रतिवेदनों में पांच[10] विभागों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं जो 1999-2000 से 2009-10 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थीं।

1.14.3 कोपु की लंबित सिफारिशें

1976-77 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 173 सिफारिशों से समायुक्त समिति के 26 प्रतिवेदन, 30 सितंबर 2014 तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विभागों द्वारा इन सिफारिशों के अकार्यान्वयन के कारण कोपु द्वारा वांछित सुधार प्राप्त नहीं हो सके।

1.14.4 निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप अनुच्छेद और निष्पादन लेखापरीक्षा को उत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा दृष्टिगत और स्थल पर समायोजित न की गई अभ्युक्तियां पी.एस.यूज के संबंधित अध्यक्षों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) के माध्यम से संप्रेषित की जाती हैं। पी.एस.यूज. के अध्यक्षों को आई.आरज के उत्तर संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। मार्च 2014 तक जारी आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि 12 विभागों से संबंधित 306 आई.आरज के 1,188 अनुच्छेद 30 सितंबर 2014 तक लंबित रहे।

---

10 वन, उद्योग, बिजली, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) और पर्यटन।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे कि: (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजा जाएगा; (ख) निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार होगी।

1.15 इस प्रतिवेदन का कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 126.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना'' तथा ''हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन'' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 10 अनुच्छेद शामिल हैं।

अध्याय 2

पी.एस.यूज से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा – सरकारी कंपनियां तथा निगम

अध्याय 2

2 सा.क्षे.उ. से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा – सरकारी कंपनियां तथा निगम

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

विद्युत मंत्रालय (वि.मं.) भारत सरकार (भा.स.) द्वारा आरंभ की गई (मार्च 2005) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लक्ष्य देश में 1.25 लाख अविद्युतिकृत गांवो को विद्युतिकृत करना तथा 2.34 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) वाले परिवारों को 2009 तक मुफ्त बिजली कनैक्शन देना था। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित मुख्य परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्य अंश

ग्रामीण विद्युत (आर.ई.) योजना, जो आर.ई. नीति की अधिसूचना (अगस्त 2006) के छ: माह के भीतर अधिसूचित की जानी थी, 58 माह की देरी के साथ अधिसूचित की गई थी। आर.ई. योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि लोड का अनुमान वास्तविक नहीं था तथा अतिरिक्त लोड को पूरा करने के लिए विद्युत आवश्यकता अनुमानित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.5.1 तथा 2.1.5.2)

21 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी.पी.आरज) अनुमोदित करने में 12 से 920 दिनों का समय लिया गया था। डी.पी.आरज वास्तविक रूट-सर्वे के बिना तैयार किए गए थे। ₹ 8.27 करोड़ मूल्य के वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टीज) मीटर ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.5.3 से 2.1.5.5)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने कैश क्रेडिट अकाऊंटस से ₹ 43.20 करोड़ खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ का अनुचित ब्याज वहन करना पड़ा। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने ₹ 59.96 करोड़ की स्कीम निधियां एक प्राईवेट बैंक में रखी।

(अनुच्छेद 2.1.6)

डिस्कोमज ने, ₹ 200.22 करोड़ की आर.ई.सी. द्वारा संस्वीकृत लागत के विरूद्ध ₹ 259 करोड़ के ठेके दिए तथा अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया। उ.ह.बि.वि.नि.लि. के ठेकेदारों ने स्थल पर अधिक सामग्री लाकर ₹ 15.36 करोड़ के अधिक भुगतान प्राप्त किए।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 तथा 2.1.7.4)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. की आठ परियोजनाएं सात से 67 माह तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. की छ: परियोजनाएं 10 से 28 माह की अवधि हेतु विलंबित थी जो क्रमश: 12 माह तथा नौ माह की पूर्णता अवधि के विरूद्ध थीं।

(अनुच्छेद 2.1.7.3)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने 10वीं तथा 11वीं योजना अवधियों में बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन जारी करने के अपने लक्ष्य का क्रमश: 66.03 प्रतिशत तथा 75.83 प्रतिशत ही उपलब्धि की। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने 11वीं योजना फेस-I के पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए थे किंतु फेस-II परियोजनाओं के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

2.1.1 प्रस्तावना

भारत में सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत पहुंचाने के लिए मार्च 2005 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (स्कीम) आरंभ की गई। लक्ष्य, 2009 तक देश के 1.25 लाख अविद्युतिकृत गांवों को विद्युतिकृत करना तथा 2.34 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल..) परिवारों को मुफ्त विद्युत कनैक्शन देना था।

हरियाणा में स्कीम, 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2005-2009) के अंतर्गत आवृत्त की गई थी तथा दो विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोमज)-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) द्वारा कार्यान्वित की गई थी। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.), हरियाणा सरकार (हरि.स.) तथा डिस्कोमज के मध्य एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया गया (जुलाई 2005) और आर.ई.सी. नोडल एजेंसी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण मूलभूत संरचना (वी.ई.आई.) की परियोजनाओं के सृजन हेतु भा.स. ने 90 प्रतिशत पूंजीगत सबसिडी प्रदान की। वी.ई.आई. में, विद्युतिकृत गांवों में वितरण ट्रांसफार्मरज (डी.टीज) का प्रावधान करने के अतिरिक्त अविद्युतिकृत आवासों का विद्युतीकरण भी शामिल है। सभी ग्रामीण आवासों में अविद्युतिकृत बी.पी.एल. परिवारों के विद्युतीकरण का वित्त प्रबंधन 100 प्रतिशत पूंजीगत सबसिडी के साथ किया जाना था। गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को भी कनैक्शनज दिए जा सकते थे परन्तु बिना किसी सबसिडी के।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.1.2 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि:

- ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) योजनाओं को समय पर तैयार किया गया था तथा डी.पी.आरज का फार्मूलेशन विश्वसनीय डाटा पर आधारित था;
- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था;
- स्कीम परियोजनाओं/कार्यों का कार्यान्वयन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी था;
- स्कीम के अंतर्गत विचार किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे; तथा
- मानीटरिंग मकैनिजम पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

लेखापरीक्षा जांच में, 21 परियोजनाओं में से आठ के अभिलेखों की जांच शामिल थी। दो परियोजनाएं (द.ह.बि.वि.नि.लि.-भिवानी तथा उ.ह.बि.वि.नि.लि.-करनाल) उच्च मेटिरियलिटी रिस्क बेसिस पर चुनी गई थीं (उच्चतर मूल्य वाली परियोजनाएं होने के कारण) तथा

छः परियोजनाएं[1], रिप्लेसमेंट मैथड के बिना सिंपल रेंडम सैंपलिंग द्वारा चुनी गई थीं। आठ परियोजनाओं में से, 17 ब्लॉकस, 85 गांव (प्रत्येक ब्लॉक से पांच गांव) तथा 419 लाभग्राही (दो गांवों, जहां क्रमशः केवल तीन और एक कनैक्शन जारी किए गए थे, को छोड़कर प्रत्येक गांव से पांच लाभग्राही) रेंडम सेंपलिंग बेसिस पर चुने गए थे। सैंपल वाले नमूना-जांच किए गए मामले, व्यय की गई कुल राशि ₹ 173.72 करोड़ के 47.93 प्रतिशत बनते थे।

हमने एंट्री कांफ्रेंस (अगस्त 2012) के दौरान डिस्कोमज को इस स्कीम के 'लेखापरीक्षा के उद्देश्य' स्पष्ट कर दिए थे। हमारे लेखापरीक्षा परिणामों पर बाद के पैराग्राफस में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा परिणाम, सरकार/प्रबंधन को सूचित कर दिए गए थे (सितम्बर 2013) और एक्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2013) में चर्चा किए गए थे। यह प्रतिवेदन फाइनल करते समय प्रबंधन के विचार ध्यान में रखे गए हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा क्राइटेरिया

लेखापरीक्षा क्राइटेरिया के स्रोत थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) नीति, 2006;
- विद्युत मंत्रालय (वि.मं.)/आर.ई.सी. द्वारा जारी स्कीम गाईडलाइन्स;
- वि.मं. द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र/आदेश;
- अनुमोदित डी.पी.आरज;
- पूंजीगत सबसिडी के भुगतान के लिए संस्वीकृतियां; तथा
- आर.ई.सी., हरियाणा सरकार तथा डिस्कोमज के मध्य त्रिपक्षीय एग्रीमेंटस।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.5 प्लानिंग तथा प्रोजैक्ट फार्मूलेशन

2.1.5.1 आर.ई. प्लान 2007-12 की अधिसूचना में विलंब

भा.स. ने आर.ई. पॉलिसी अधिसूचित की (23 अगस्त 2006) और राज्य सरकार द्वारा, आर.ई. पॉलिसी की अधिसूचना के छः माह के भीतर अर्थात् 23 फरवरी 2007 तक आर.ई. प्लान को तैयार करना तथा अधिसूचित करना अपेक्षित था। स्कीम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर.ई. प्लान को रोड मैप होना था।

आर.ई. प्लान, इसकी अधिसूचना के लिए 23 फरवरी, 2007 की टारगेट तिथि के विरूद्ध 58 महीने की देरी के साथ 30 दिसंबर 2011 को अधिसूचित किया गया था। डिस्कोमज ने तथ्यों से सहमत होते हुए (अक्तूबर 2013) बताया कि विलंब विभिन्न स्तरों पर निर्धारित प्रक्रियाओं के कारण था।

---

[1] उ.ह.बि.वि.नि.लि.-झज्जर, जींद, कुरूक्षेत्र; द.ह.बि.वि.नि.लि.-फतेहाबाद, मेवात, सिरसा।

2.1.5.2 आर.ई. प्लान में कमियां

आर.ई. प्लान में, विद्युतिकृत किए गए तथा विद्युतिकृत किए जाने वाले ग्रामीण परिवारों का डाटा, अनुमानित लोड में वृद्धि, वितरण नेटवर्क के संवर्धन हेतु प्लान, बढ़े लोड के कारण विद्युत की आवश्यकता, वर्धित विद्युत मांग पूरा करने तथा शहरी एवं ग्रामीण परिवारों में विद्युत आपूर्ति के घंटों में पक्षपात दूर करने हेतु प्लानज शामिल होने चाहिए। आर.ई. प्लान की जांच में प्रकट हुआ कि आर.ई. प्लान में, विद्युतिकृत किए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या का 31 मार्च 2005 तक का डाटा शामिल नहीं किया गया था। आगे, लोड में अनुमानित वृद्धि के संबंध में डाटा, जो कि डी.पी.आरज तथा आर.ई. प्लान में प्रोजेक्टिड थे, एकमत नहीं थे।

आर.ई. प्लान में 2.28 लाख अविद्युतिकृत बी.पी.एल. परिवार विद्युतिकृत किए जाने अनुमानित थे जबकि डिस्कोमज ने डी.पी.आरज में 2.45 लाख बी.पी.एल. परिवारों के विद्युतीकरण का लक्ष्य नियत किया था। डिस्कोमज ने आर.ई. प्लान में विद्युत आवश्यकता अनुमानित नहीं की थी। स्कीम के उद्देश्यों के विरूद्ध आर.ई. प्लान में ग्रामीण परिवारों को आपूर्ति के घंटे बढ़ाने के लिए तथा ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में आपूर्ति के घंटों में पक्षपात का मामला सुलझाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया गया था। हरियाणा सरकार तथा डिस्कोमज की इस प्रावधान की अनुपालना की वचनबद्धता के बावजूद ऐसा हुआ था।

प्रबंधन ने सहमत होते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से कम वसूली के कारण डिस्कोमज को वित्तीय हानि होने के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी परिवारों में पक्षपात, पूर्ण रूप से दूर करने के लिए टारगेट सेट करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। फिर भी यह तथ्य रहता है कि आपूर्ति के घंटो में पक्षपात बढ़ गया था।

2.1.5.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स

डिस्कोमज ने, आर.ई.सी. को विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी.पी.आरज) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए (जुलाई 2005 से नवंबर 2011)। आर.ई.सी. ने उ.ह.बि.वि.नि.लि. के चार[2] जिलों के डी.पी.आरज 12 से 75 दिनों में तथा सात[3] जिलों के डी.पी.आरज 548 से 861 दिनों में अनुमोदित किए। द.ह.बि.वि.नि.लि. के सात[4] जिलों के डी.पी.आरज के अनुमोदन के लिए 729 से 920 दिन लगे थे तथा फेस-II के अंतर्गत तीन जिले[5] (द.ह.बि.वि.नि.लि.) 45 दिनों के भीतर अनुमोदित किए गए थे।

प्रबंधन ने तथ्य स्वीकार करते हुए बताया कि डी.पी.आरज का अनुमोदन आर.ई.सी. के सीमा क्षेत्र में था तथा यह उनके नियंत्रण से बाहर था और आर.ई.सी. द्वारा लगाई गई टिप्पणियों की अनुपालना में समय लगा।

2.1.5.4 अवास्तविक डी.पी.आरज

उ.ह.बि.वि.नि.लि. में सभी 11[6] परियोजनाओं तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. में 10 परियोजनाओं में से

---

2 करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा रोहतक।

3 जींद, झज्जर, कैथल, अंबाला, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला।

4 सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, मेवात, महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी।

5 फरीदाबाद, गुड़गांव तथा पलवल।

6 सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, जींद, झज्जर, कैथल, अंबाला, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला।

सात[7] में डी.पी.आरज, किसी सर्वेक्षण जैसे कि जारी किए जाने वाले कनैक्शनों की संख्या एवं उसके लिए वांछित मूलभूत संरचना के बिना तैयार किए गए थे। डी.पी.आरज, दिए गए ठेकों तथा वास्तव में किए गए कार्य की परिमात्राओं में काफी भिन्नता थी। ब्यौरे ***परिशिष्ट-5*** में दिए गए हैं। परिशिष्ट के अवलोकन ने दर्शाया कि वास्तव में किए गए कार्य का मूल्य, आर.ई.सी. द्वारा अनुमोदित और दिए गए ठेकों दोनों से कम था। हमने आगे अवलोकित किया कि उ.ह.बि.वि.नि.लि. के मामले में विभागीय तौर पर जो कार्य किए जा रहे थे, डी.पी.आरज में वे भी शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप डी.पी.आरज इन्फलेटिड थे और कार्यों की मात्रा में परिवर्तनों की आवश्यकता थी।

एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि डी.पी.आरज जल्दी में तथा वास्तविक रूट सर्वे बिना तैयार किए गए थे।

2.1.5.5 वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टी.) मीटरों पर निष्फल व्यय

₹ 8.27 करोड़ की लागत पर लगाए गए 5,082 डी.टी. मीटर मूलभूत-संरचना जैसे कि डाटा प्राप्त करने तथा प्रोसेस करने के लिए मुख्यालय पर सर्वर/रूटर्ज, की कमी के कारण विद्युत लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इन मीटरों पर किया गया ₹ 8.27 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। डिस्कोमज ने बताया (अक्तूबर 2013) कि ये डी.टी. मीटर, भविष्य में ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे क्योंकि उपभोक्ता इंडेक्सिंग अब पूर्ण कर ली गई है।

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

₹ 214.41 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत[8] (संशोधित लागत ₹ 229.69 करोड़) के विरूद्ध डिस्कोम्ज ने ₹ 177.01 करोड़ प्राप्त किए (अनुदान-₹ 158.20 करोड़ तथा ऋण ₹ 18.81 करोड़) तथा 31 मार्च 2013 तक ₹ 164.46 करोड़ उपयोग किए। डिस्कोम्ज ने ₹ 11.73 करोड़ का ब्याज अर्जित किया जिसमें से ₹ 9.54 करोड़ आर.ई.सी. को रिफंड किए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

- आर.ई.सी. दिशानिर्देशों (अप्रैल 2008) के अनुसार जब तक ठेकेदारों को भुगतान नहीं किए जाते तब तक स्कीम निधियां राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज वाली जमा खातों में पृथक रखी जानी थीं। पुन: इन निधियों पर अर्जित ब्याज आर.ई.सी. को रिफंड किए जाने थे। उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने 2008-10 के दौरान आर.ई.सी. से ₹ 59.08 करोड़ की निधियां प्राप्त की। पृथक लेखाओं में स्कीमवार निधियां रखने के बजाय, उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने ये निधियां सावधि जमा खातों में रखी। इन निधियों पर प्राप्त ब्याज उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आर.ई.सी. को रिफंड कर दिया गया। तथापि, हमने अवलोकित किया कि उ.ह.बि.वि.नि.लि. के फील्ड कार्यालय ने 2011-12 के दौरान ठेकेदारों को ₹ 43.20 करोड़ के भुगतान, स्कीम निधियों से नहीं बल्कि बैंक से 11 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करके किए। इस प्रकार, कंपनी को कैश क्रेडिट सुविधा से भुगतान करने पर ₹ 3.44 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार वहन करना पड़ा।

---

[7] सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, मेवात, महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी।

[8] 21 परियोजनाएं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्य स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने बताया कि भविष्य में ऐसी हानियों से बचने के लिए उन्होंने अब स्कीमवार डाटा रखना आरंभ कर दिया है।

- द.ह.बि.वि.नि.लि. को आर.ई.सी. से ₹ 59.96 करोड़ प्राप्त हुए (दिसंबर 2008 से मार्च 2011)। हमने अवलोकित किया कि द.ह.बि.वि.नि.लि. ने आर.ई.सी. दिशानिर्देशों (अप्रैल 2008) के उल्लंघन में ये निधियां मार्च 2011 तक एच.डी.एफ.सी. बैंक में रखी।

  एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने स्वीकार किया कि यद्यपि निधियां आर.ई.सी. गाइडलाइन्स के अनुसार नहीं रखी गई थीं, फिर भी ये निधियां प्राइवेट बैंक में रखकर अधिक ब्याज अर्जित किया गया था। परंतु यह तथ्य रहता है कि आर.ई.सी. गाइडलाइन्स के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

2.1.7 परियोजनाओं/कार्यों का कार्यान्वयन

2.1.7.1 डिस्कोमज ने ₹ 200.22 करोड़ की संस्वीकृत परियोजना लागत के विरूद्ध ₹ 259.00 करोड़ की लागत पर 15 ठेके दिए, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 2.1.1

(₹ करोड़ में)

डिस्कोमज के नाम	परियोजनाओं की संख्या	ठेकों की संख्या	संस्वीकृत परियोजना लागत[9]	ठेका लागत	संस्वीकृत लागत के संदर्भ में ठेका लागत का अंतर
			उ.ह.बि.वि.नि.लि.		
10वीं योजना	4	2	44.75	64.75	+20.00
11वीं योजना	7	3	52.21	76.24	+24.03
योग	**11**	**5**	**96.96**	**140.99**	**44.03**
			द.ह.बि.वि.नि.लि		
11वीं योजना	7	7	87.16	102.20	+15.04
11वीं योजना फेज-II	3	3	16.10	15.81	-0.29
योग	**10**	**10**	**103.26**	**118.01**	**14.75**
कुल योग	**21**	**15**	**200.22**	**259.00**	**58.78**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि उ.ह.बि.वि.नि.लि. में 10वी. योजना के अंतर्गत दो[10] ठेकों तथा 11वीं योजना के अंतर्गत तीन[11] ठेकों की ठेका लागत संस्वीकृत लागत की तुलना में उच्चतर थी। आर.ई.सी. द्वारा डी.पी.आर. के अनुमोदन से पहले दिए गए इन ठेकों की उच्चतर लागत 8.39 से 133.84 प्रतिशत के बीच थी, जो प्रथम दो ठेकों के संबंध में डी.पी.आरज की दरों की तुलना में उच्च ठेका दरों तथा शेष तीन ठेकों के संबंध में उच्चतर मात्रा के साथ-साथ उच्च ठेका दरों के कारण थी। द.ह.बि.वि.नि.लि. में छः[12] ठेकों में, उच्चतर ठेका दरों और एच.टी. एरियल बंच्ड (ए.बी.) केबल शामिल करने के कारण, उच्चतर लागत 17.25 से 34.66 प्रतिशत के बीच थी। परिणामतः डिस्कोमज ने अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया था

---

[9] कार्यान्वयन एजेंसी के उपरि प्रभारों तथा आर.ई.सी. के सेवा प्रभारों को छोड़कर।

[10] बिड-42 रोहतक के लिए तथा बिड-51 करनाल, सोनीपत तथा पानीपत के लिए।

[11] बिड-96 जींद, झज्जर तथा कैथल के लिए, बिड-97 अंबाला, कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर के लिए तथा बिड-98 पंचकुला के लिए।

[12] भिवानी (टी.ई.डी.-61), फतेहाबाद (टी.ई.डी.-83), मेवात (टी.ई.डी.-84), हिसार (टी.ई.डी.-66), महेन्द्रगढ़ (टी.ई.डी.-62) तथा रेवाड़ी (टी.ई.डी.-86)।

क्योंकि आर.ई.सी. ने संशोधित डी.पी.आरज अनुमोदित करते समय ₹ 37.03 करोड़ (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) तथा ₹ 6.31 करोड़ (द.ह.बि.वि.नि.लि.) अस्वीकृत कर दिए थे।

प्रबंधन ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा भविष्य में, दोनों कंपनियों के लिए विक्रेताओं का एंपेनलमैंट कॉमन होगा।

2.1.7.2 अस्वीकृत लागत

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने 11 परियोजनाओं में से चार[13] परियोजनाएं पूर्ण की तथा ₹ 49.31 करोड़ की फाइनल लागत के साथ आर.ई.सी. को उनकी क्लोजर रिपोर्टें प्रस्तुत की। आर.ई.सी. ने ठेका की गई मात्रा को संशोधित संस्वीकृतियों में अनुमत मात्रा से अधिक तथा सामग्री की खपत को मानकों से अधिक बताते हुए ₹ 11.38 करोड़ अस्वीकृत कर दिए। क्लोजर रिपोर्टस की जांच ने दर्शाया कि संशोधित संस्वीकृतियों में अनुमत मात्रा से ठेका की गई परिमात्राओं की अधिकता तथा अप्राधिकृत परिमात्राओं अर्थात् संस्वीकृत परिमात्राओं से अधिक के क्रियान्वयन के कारण रेवाड़ी और मेवात परियोजनाओं में क्रमशः ₹ 1.32 करोड़ तथा ₹ 2.22 करोड़ की अधिक लागत आई थी। पुनः, फतेहाबाद तथा हिसार में अप्राधिकृत परिमात्राओं के क्रियान्वयन के कारण ₹ 0.13 करोड़ का अधिक व्यय था।

प्रबंधन ने बताया कि संस्वीकृत लागतें डी.पी.आरज पर आधारित थीं जो कि प्राथमिक थीं तथा वास्तविक आधारभूत सर्वे के बिना बनी थीं जबकि कार्य खुली निविदा आधार पर दिए गए थे जहां निविदाकर्त्ताओं से प्राप्त लागत अधिक थी। यह इस तथ्य पर बल देता है कि डी.पी.आरज वास्तविक नहीं थे।

हमने आगे अवलोकित किया कि डिस्कोमज ने बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन जारी करने पर ₹ 1.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.1.2

(राशि ₹ में)

जिलों के नाम	आर.ई.सी. मानकों के अनुसार कनैक्शन लागत	प्रति कनैक्शन वास्तविक लागत	प्रति कनैक्शन अधिक लागत	जारी किए गए कनैक्शनों की संख्या	कुल अधिक लागत
उ.ह.बि.वि.नि.लि.					
करनाल, पानीपत तथा सोनीपत	1,500	1,578.25	78.25	28,580	22,36,385
पंचकूला	2,200	2,306.38	106.38	653	69,466
योग					**23,05,851**
द.ह.बि.वि.नि.लि.					
हिसार	2,200	2,471.60	271.60	18,634	50,60,994
महेन्द्रगढ़	2,200	2,441.01	241.01	6,259	15,08,482
रेवाड़ी	2,200	2,444.08	244.08	16,684	40,72,231
योग					**1,06,41,707**
कुल योग					**1,29,47,558**

डिस्कोमज के प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2013) कि बोलीदाताओं ने, मार्किट फ्लक्चुएशनज को ध्यान में रखते हुए, अपनी दरें उद्धृत की तथा राज्य उच्च अधिकार क्रय समिति ने दरों को कम करने के लिए बोलीदाताओं से मोलभाव भी किया था। लेकिन यह तथ्य रहता है कि दी गई दरें, आर.ई.सी. द्वारा निर्धारित मानकों से फिर भी अधिक थीं।

[13] करनाल, सोनीपत, पानीपत तथा रोहतक।

2.1.7.3 परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब

उ.ह.बि.वि.नि.लि. (11 जिलों में) तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. (10 जिलों में) द्वारा अपनाई गई इस स्कीम में क्रमशः एक वर्ष तथा नौ महीने की पूर्ण अवधि का प्रावधान किया गया था। पूर्णता की निर्धारित तिथि, पूर्णता की वास्तविक तिथि तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, ***परिशिष्ट 6*** में उल्लिखित हैं। ***परिशिष्ट*** के अवलोकन ने दर्शाया कि:

i. उ.ह.बि.वि.नि.लि. की आठ परियोजनाएं 7 से 67 महीनों के लिए विलंबित थी। शेष तीन परियोजनाएं मार्च 2014 तक पूर्ण नहीं की गई थीं तथा

ii. द.ह.बि.वि.नि.लि. के छः प्रोजेक्टस, 10 से 28 महीनों के विलंब के साथ पूर्ण किए गए थे एवं एक प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था (जुलाई 2012) और तीन प्रोजेक्टस अपूर्ण थे (मार्च 2014)।

पूर्णता में विलंब का कारण आर.ई.सी. द्वारा डी.पी.आरज के अनुमोदन के पश्चात् ठेकों को विलंब से देना तथा ठेकेदारों द्वारा प्रोजेक्टस का विलंबित क्रियान्वयन था। प्रबंधन ने बताया कि ठेकों में दिया गया समय वास्तविक नहीं बल्कि न्यूनतम पक्ष था तथा स्कीम के अनुसार दो वर्ष होना चाहिए था। उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि ठेकेदार टाइम शैडयूल से सहमत थे तथा उसके अनुसार ही उन्होंने अपनी दरें उद्धृत की थी।

2.1.7.4 त्रुटिपूर्ण ठेका प्रबंधन

ठेका प्रबंधन में अवलोकित त्रुटियों पर नीचे चर्चा की गई हैं:

i) उ.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा दिए गए 11 परियोजनाओं के सभी पांच[14] ठेकों के बिड डाक्यूमेंट्स में उल्लेख था कि इन कार्यों में से कुछ विभागीय तौर पर पहले ही क्रियान्वित किए जा रहे थे तथा शेष कार्यों के लिए ठेके, फील्ड अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से परिकलित की जाने वाली वास्तविक परिमात्राओं के लिए दिए जाने थे। ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया तथा ठेके डी.पी.आरज की परिमात्रा के अनुसार दे दिए गए थे।

द.ह.बि.वि.नि.लि. के ठेकों में कार्य के विलंबित निष्पादन के लिए, 4 सप्ताह तक 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा चार सप्ताह के बाद एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर, ठेका मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक, पेनल्टी का प्रावधान था। उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने 10वीं. प्लान के केवल दो ठेकों (बिड-42 तथा बिड-51) में ऐसी क्लॉज शामिल की थी तथा 11वीं प्लान के अनुवर्ती तीन ठेकों (बिड-96, बिड-97 तथा बिड-98) में इसने 10 सप्ताह तक 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह या सप्ताहांश के दर पर परंतु छोड़े गए कार्य का अधिकतम 5 प्रतिशत तक तथा उसके बाद 0.75 प्रतिशत प्रति सप्ताह या सप्ताहांश के दर पर परंतु छोड़े गए कार्य का अधिकतम 12.5 प्रतिशत तक की पेनल्टी का प्रावधान करके क्लॉज को कमजोर कर दिया। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने मुख्य भुगतान सामग्री के प्रतिष्ठापन के साथ लिंक किए थे जबकि उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों को केवल सामग्री की आपूर्ति पर ही मुख्य भुगतान (75 से 80 प्रतिशत) अनुमत कर दिए और इसे प्रतिष्ठापन के साथ लिंक नहीं किया। उ.ह.बि.वि.नि.लि. के ठेकेदार, स्थल पर अधिक सामग्री ले आए और चार ठेकों में ₹ 15.36 करोड़ की राशि के अधिक भुगतान प्राप्त कर लिए जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

[14] बिड-42 (रोहतक), बिड-51 (करनाल, पानीपत तथा सोनीपत), बिड-96 (जींद, झज्जर तथा कैथल), बिड-97 (अंबाला, कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर) तथा बिड-98 (पंचकूला)।

- उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने बिड-51 के संबंध में जून 2006 में एक 'टर्नकी कांट्रैक्ट', जून 2007 को कंपलीशन की निर्धारित तिथि जो जून 2009 तक बढ़ा दी गई, के साथ ₹ 58 करोड़ की लागत पर दिया परंतु ठेकेदार ने जून 2009 तक कार्य पूर्ण नहीं किया। अगस्त 2007-जून 2009 के दौरान वसूल की गई ₹ 5.06 करोड़ की पेनल्टी अगस्त/सितंबर 2009 में रिफंड कर दी गई। कंपनी ने ₹ 3.37 करोड़ की पेनल्टी की शार्ट रिकवरी छोड़ते हुए ठेकेदार के रनिंग बिलों से विलंब के लिए वसूलनीय ₹ 5.80 करोड़ में से केवल ₹ 2.43 करोड़ की पेनल्टी वसूल की। ठेकेदार स्थल पर आवश्यकता से अधिक सामग्री ले आया तथा स्थापन के बिना भुगतान प्राप्त कर लिया। ठेकेदार ने कार्य बंद कर दिया (अक्तूबर 2010) जो ₹ 40.14 करोड़ मूल्य के थे और जिसके विरूद्ध कंपनी ₹ 46.07 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को कर चुकी थी, परिणामत: ₹ 5.93 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। कंपनी ने, ₹ 3.52 करोड़ मूल्य की अप्रयुक्त सामग्री ग्रहण कर ली (अप्रैल 2013) तब भी ठेकेदार से वसूलनीय ₹ 5.78[15] करोड़ थे (अप्रैल 2013)। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा ऑबजरवेशनज स्वीकार की तथा बताया कि उनके पास ठेकेदार की जून 2014 तक वैध एवं दिसंबर 2014 तक एक्सटेंड करवाई गई परंतु एनकैश नहीं करवाई गई (दिसंबर 2014), ₹ 5.80 करोड़ की बैंक गारंटी (बैं.गा.) है। बैं.गा. अभी तक एनकैश नहीं करवाई गई थी (मार्च 2014)।

- उ.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा ₹ 76.24 करोड़ में दिए गए (जुलाई[16] तथा अक्तूबर[17] 2007) तीन टर्नकी कांट्रेक्टस में, कंप्लीशन की निर्धारित तिथि जुलाई 2008 तथा अक्तूबर 2008 थी। विलंब से कंप्लीशन के लिए पेनल्टी, चालू न किए गए कार्यो के मूल्य पर, 10 सप्ताह तक 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह अथवा उसका हिस्सा तथा 10 सप्ताह से अधिक विलंब के लिए 0.75 प्रतिशत या उसका हिस्सा, अधिकतम चालू न किए गए कार्यो के मूल्य पर 12.5 प्रतिशत, तक ली जाएगी। ठेकेदारों को पेनल्टी लगाए बिना 31 अगस्त 2009 तक एक्सटेंशन प्रदान की गई तथा विलंब के लिए वसूल की गई ₹ 6.10 करोड़ राशि की पेनल्टी रिफंड कर दी गई (मई-जून 2009)। परंतु ठेकेदारों ने बढ़ाई गई अवधि अर्थात् 31 अगस्त 2009 तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया। ठेकेदारों ने ₹ 5.86 करोड़ के 46 रनिंग बिल प्रस्तुत किए और मार्च 2011 में कार्य बंद कर दिए। कंपनी ने वसूलनीय ₹ 9.53 करोड़ (परियोजना लागत अर्थात् ₹ 76.24 करोड़ का 12.5 प्रतिशत होने के कारण) के विरूद्ध ₹ 8.46 करोड़ की पेनल्टी अवसूलित छोड़ते हुए केवल ₹ 1.07 करोड़ की पेनल्टी वसूल की। किए गए कार्य, जो फील्ड कार्यालयों द्वारा माप किए गए थे, का मूल्य ₹ 31.54 करोड़ था, जिसके विरूद्ध कंपनी ₹ 40.97 करोड़ के भुगतान पहले ही कर चुकी थी। अत: ₹ 9.43 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था। इन अधिक भुगतानों को वसूल करने के लिए कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी कवर उपलब्ध नहीं था। निष्पादन बैंक गारंटियां (नि.बैं.गा.) भी लैप्स हो चुकी थीं। इस प्रकार, कंपनी ने ₹ 17.89 करोड़ (पेनल्टी की कम वसूली ₹ 8.46 करोड़ तथा अधिक भुगतान ₹ 9.43 करोड़) की हानि उठाई।

---

15 अधिक भुगतान किया गया= ₹ 5.93 करोड़ + कम वसूल की गई पेनल्टी= ₹ 3.37 करोड़-सामग्री वापस ली गई ₹ 3.52 करोड़= ₹ 5.78 करोड़।

16 मैसर्ज जिटको ओवरसीज प्रोजेक्टस लिमिटेड को बिड सं.-96 (जींद, झज्जर तथा कैथल)।

17 मैसर्ज जिटको ओवरसीज प्रोजेक्टस लिमिटेड को बिड सं.-97 (अंबाला, कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर) तथा मैसर्ज डी.ई.ई. कंट्रोल एंड इलैक्ट्रीकल्ज प्राइवेट लिमिटेड को बिड सं.-98 (पंचकूला)।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया कि वे अब दोनों कंपनियों के लिए यूनीफार्म टर्मज एंड कंडीशन्ज अपना रहे हैं।

ii) उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने ***परिशिष्ट 7*** के अनुसार नौ परियोजनाओं में 144 गांवों में बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन जारी करने के लिए ₹ 6.28 करोड़ मूल्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित किया। यह बेकार पड़ा था (मई 2013) क्योंकि बी.पी.एल. लाभग्राहियों को कोई कनैक्शन नहीं दिया गया। प्रबंधन ने बताया कि सृजित इंफ्रास्ट्रक्चर बी.पी.एल./ए.पी.एल. कनैक्शन जारी करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिर भी, यह तथ्य रहता है कि कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जो आवश्यकता पर आधारित नहीं था तथा अप्रयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी प्रवण था।

iii) आर.जी.जी.वी.वाई. कार्यों के लिए आर.ई.सी. के क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के अनुसार, टर्नकी ठेकेदारों तथा डिस्कोमज को वर्कमैनशिप क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी गांवों के बी.पी.एल. कनैक्शनों तथा कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण करना अपेक्षित था। हमने देखा (मई 2013) कि ठेकेदार[18] ने यमुनानगर प्रोजेक्ट में आर.जी.जी.वी.वाई. के विभिन्न कार्य अंशत: कार्यान्वित किए थे। परिणामत:, 900 एल.टी. पोल खड़े किए गए थे परन्तु एल.टी. लाइन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। दूसरी ओर 5 कि.मी. केबल तथा 16 डी.टीज वितरण नेटवर्क से बिना कनेक्शन के पड़े थे। इससे इंगित हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के अनुसार बी.पी.एल. कनैक्शनों के कार्यों का निरीक्षण नहीं किया गया था। प्रबंधन ने बताया कि कार्य विभागीय तौर पर पूर्ण कर लिए गए थे तथा कनैक्शन जारी कर दिए गए थे, लेकिन इन गांवों में वास्तव में जारी किए गए बी.पी.एल./ए.पी.एल. कनैक्शनों के समर्थन में ब्यौरे/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

iv) द.ह.बि.वि.नि.लि. ने ₹ 18.39 करोड़ की लागत पर एक टर्नकी कांट्रेक्ट कार्य के कम्पलीशन की निर्धारित तिथि 16 जनवरी 2009, जो 31 अगस्त 2010 तक बढ़ाई गई थी, के साथ दिया (अप्रैल 2008)। चूंकि ठेकेदार 31 अगस्त 2010 तक कार्य पूरा करने में विफल रहा, द.ह.बि.वि.नि.लि. ने कांट्रेक्ट टर्मिनेट कर दिया (जुलाई 2012) तथा 10 प्रतिशत की दर पर निर्धारित क्षतियों के प्रति ₹ 1.84 करोड़ की बैं.गा. एनकैश करवा ली (4 जुलाई 2012)। कांट्रेक्ट के निबंधनों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था कि किए गए कार्य की लागत का 90 प्रतिशत भुगतान इंजीनियर-इनचार्ज द्वारा कार्य के माप के आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार ने रनिंग बिल प्रस्तुत किए थे तथा इंजीनियर-इनचार्ज ने ₹ 15.84 करोड़ के रूप में 90 प्रतिशत भुगतान प्रमाणित कर दिया जो कि जारी कर दिया गया। उसके बाद कार्य के मापन पर किए गए कार्य का मूल्य ₹ 15.32 करोड़ वर्कआउट किया गया जिसका 90 प्रतिशत ₹ 13.79 करोड़ वर्क आउट हुआ और जिससे ₹ 2.05 करोड़ का अधिक भुगतान (₹ 15.84 करोड़-₹ 13.79 करोड़) तथा इस पर, मार्च 2014 तक 11.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 29.55 लाख के ब्याज की हानि हुई। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्वाइंट स्वीकार करते हुए बताया कि विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

v) आर.ई.सी. द्वारा निर्धारित खपत नार्मस की तुलना में सामग्री की खपत बहुत अधिक थी। अधिक खपत 3 से 758 प्रतिशत के मध्य थी परिणामत: सिरसा, फतेहाबाद तथा मेवात में ₹ 1.59 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रबंधन ने बताया कि गांवों में टेढ़ी-मेढ़ी गलियों के कारण कुछ मामलों में सामग्री की खपत अधिक थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि चयन किए गए गांवों के सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि स्कीम के अंतर्गत लाइनें अधिकांशत: सर्केट रूट की आवश्यकता के बिना गांवों की पैरीफेरी पर लगाई गई थी।

---

18 मैसर्ज जिटको ओवरसीज प्रोजेक्टस लिमिटेड।

vi) स्कीम निधियों से प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को केवल एक सी.एफ.एल. प्रदान की जानी अपेक्षित थी। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को दो सी.एफ.एल. मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की (26 अगस्त 2007)। हरियाणा सरकार से मामला स्पष्ट किए बिना डिस्कोमज ने प्रत्येक बी.पी.एल. उपभोक्ता को दो सी.एफ.एल., एक ठेकेदार द्वारा तथा दूसरी कंपनी द्वारा प्रदान करने का निर्णय किया (नवंबर 2007 तथा मार्च 2008)। इस प्रकार, डिस्कोमज को एक सी.एफ.एल. की लागत अपनी स्वयं की निधियों से तथा दूसरी सी.एफ.एल. की लागत स्कीम की निधियों से वहन करनी थी। डिस्कोमज ने ₹ 2.47 करोड़ की लागत पर 4.40 लाख सी.एफ.एल. प्राप्त की (जुलाई/अगस्त 2008) जिसमें से तीन लाख सी.एफ.एल. फील्ड यूनिटस को जारी कर दी गई तथा ₹ 0.76 करोड़ मूल्य की शेष 1.40 लाख सी.एफ.एल. स्टोरज में पड़ी थी (मार्च 2014)। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने सभी फील्ड कार्यालयों को सूचित किया (मई 2011) कि हरियाणा सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को केवल एक सी.एफ.एल. दी जानी थी तथा दो सी.एफ.एल. प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की घोषणा कैंसल हो गई थी। इस प्रकार, सी.एफ.एल. के क्रय के परिणामस्वरूप डिस्कोमज पर ₹ 2.47 करोड़ का अनुचित वित्तीय भार हुआ। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आबजरवेशन स्वीकार करते हुए बताया कि ये सी.एफ.एल. उन उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में मुफ्त प्रदान की जाएंगी जो अपने परिसर से बाहर 'खंभे-बाक्स' पर मीटर लगाने का विकल्प देंगे।

2.1.8 लक्ष्यों की उपलब्धि

2.1.8.1 गांव विद्युतीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर (वी.ई.आई.) का सृजन

31 मार्च 2013 को, हरियाणा में तीव्र विद्युतीकरण के लिए गा.वि.इ. के सृजन से संबंधित टारगेटस एवं एचीवमेंटस ***परिशिष्ट 5*** में दिए गए हैं।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 10वी. और 11वीं प्लान के दौरान उ.ह.बि.वि.नि.लि. में वी.ई.आई. की विभिन्न मदों के सृजन में एचीवमेंट 26.35 तथा 110.47 प्रतिशत के बीच थी। द.ह.बि.वि.नि.लि. में 11 के.वी. लाइनों तथा 25 के.वी.ए. डी.टीज के इरेक्सन की एचीवमेंट, 11वीं प्लान के फेज-I में 23.49 तथा 88.49 प्रतिशत थी तथा फेज-II प्रोजेक्टस के संबंध में कोई उपलब्धि नहीं थी क्योंकि कार्य प्रगति पर थे।

2.1.8.2 ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों का विद्युतीकरण

बी.पी.एल. कनैक्शन जारी करने के टारगेटस तथा उनके विरूद्ध एचीवमेंटस नीचे दी गई हैं:

तालिका 2.1.3

प्लान	जिलों की संख्या	बी.पी.एल. कनैक्शनज (संख्या में)		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	
			वास्तविक	प्रतिशतता
उ.ह.बि.वि.नि.लि.				
10वीं प्लान	4	49,198	32,484	66.03
11वीं प्लान	7	60,961	46,224	75.83
द.ह.बि.वि.नि.लि.				
11वीं प्लान-I	7	1,13,914	1,13,179	99.35
11वीं प्लान-II	3	2,1432	0	0
कुल योग	**21**	**2,45,505**	**1,91,887**	**78.16**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि उ.ह.बि.वि.नि.लि. में 10वीं और 11वीं प्लान के लिए बी.पी.एल. कनैक्शन जारी करने संबंधी टारगेटस की एचीवमेंट क्रमशः 66.03 तथा 75.83 प्रतिशत थी। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने 11वीं प्लान फेज-I के टारगेट एचीव कर लिए थे परंतु फेज-II प्रोजेक्टस के लिए कोई एचीवमेंट नहीं थी। टारगेटस एचीव न करने का मुख्य कारण, ठेकेदारों द्वारा प्रोजेक्टस का विलंब से क्रियान्वयन था। डिस्कोमज ने ठेकेदारों को डिफाल्ट नोटिस जारी किए थे तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. ने एक कांट्रेक्ट टर्मिनेट भी कर दिया था और 11वीं प्लान के फेज-I के भिवानी जिले के संबंध में बैं.गा. भी जब्त कर ली थी। हमने अवलोकित किया कि स्कीम के अंतर्गत, 2009 तक सभी बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त विद्युत कनैक्शन दिए जाने थे परंतु डिस्कोमज, 11वीं प्लान अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात् 2012 तक भी उसे प्रदान करने में समर्थ नहीं थे।

प्रबंधन ने बताया कि डी.पी.आरज तैयार करने के समय से कार्यों के फाइनल क्रियान्वयन के समय तक फील्ड कंडीशनज तीव्रता से परिवर्तित हो चुके थे। यहां तक कि अनेक बी.पी.एल. परिवारों, जिनके पास पहले विद्युत कनैक्शन नहीं थे, ने भी बाद में विद्युत कनैक्शन ले लिए थे। लेकिन यह तथ्य रहता है कि टारगेटस की अनुपलब्धि मुख्यत: प्रोजक्टस के विलंब से क्रियान्वयन के कारण थी।

2.1.8.3 लाभग्राही सर्वे के परिणाम

हमने आठ जिलों में चयन किए गए 85 गांवों में 419 लाभग्राहियों का सर्वे किया। सर्वे के परिणामों पर नीचे चर्चा की गई हैं:

i. स्कूलों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का विद्युतीकरण न करना

विद्युतिकृत गांव की परिभाषा के अनुसार[19], विद्युतिकृत गांव घोषित करने की शर्तों में एक शर्त यह थी कि बिजली सार्वजनिक स्थानों को दी जाएगी जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरीज, कम्यूनिटी सेंटर्ज इत्यादि। हरियाणा सरकार ने आर.ई. प्लान में क्लेम किया है कि सभी गांव विद्युतीकृत हो गए थे। तथापि, चयन किए गए जिलों के फील्ड सर्वे के दौरान, हमने अवलोकित किया कि गांवों में केवल 22.78 प्रतिशत सार्वजनिक स्थान ही विद्युतीकृत किए गए थे। इस प्रकार, गांवों को विद्युतीकृत के रूप में घोषित करने का मानदंड पूर्ण रूप से चालित नहीं किए गए थे।

हमने पुन: अवलोकित किया कि चयन किए गए 85 गांवों में स्कूलों तथा ग्राम पंचायतों को, मुफ्त कनैक्शन देने के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (सितंबर 2006) के बावजूद, मुफ्त कनैक्शन नहीं दिए गए थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि आर.ई.सी. गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और ग्राम पंचायतों को मुफ्त कनैक्शन प्रदान नहीं किए जाने थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कनैक्शन, वि.मं. के निर्णय (सितंबर 2006) के अनुसार मुफ्त दिए जाने थे।

ii. अप्रयुक्त/मिसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

फतेहाबाद, भिवानी, मेवात, जींद, कुरूक्षेत्र तथा झज्जर जिलों में चयन किए गए गांवों में विभिन्न स्थानों पर आर.जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत सृजित वितरण नेटवर्क अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त पड़े थे अथवा मिसिंग थे। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आबजरवेशन स्वीकार करते हुए बताया कि

---

[19] विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विनिर्दिष्ट (फरवरी 2004)।

अप्रयुक्त डी.टीज, वितरण प्रणाली से कनैक्ट कर दिए गए थे और इस प्रकार ऊर्जाकृत कर दिए गए थे। यद्यपि डी.टीज ऊर्जाकृत कर दिए गए थे लेकिन ये अब भी अप्रयुक्त ही थे क्योंकि इन डी.टीज से कोई कनैक्शन नहीं दिया गया था।

iii. ग्रामीण परिवारों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

लाभग्राही सर्वेक्षण के दौरान हमने अवलोकित किया कि चार गांवों में परिवार शहरी पैटर्न पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे तथा शेष 81 गांवों में प्रतिदिन औसत विद्युत आपूर्ति 3 घंटे 52 मिनट से 10 घंटे 57 मिनट के बीच थी।

2.1.9 मानीटरिंग

2.1.9.1 क्वालिटी कंट्रोल मकेनिजम

डिस्कोमज ने मार्च 2008 से अप्रैल 2011 के दौरान 18 जिलों में स्कीम प्रोजेक्टस के थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (टी.पी.आई.) के लिए पांच कंट्रक्ट दिए थे। टी.पी.आई. एजेंसियों ने, लेखापरीक्षा द्वारा चयन किए गए आठ प्रोजेक्टस में, 740 और 2,992 के रेंज में वर्कमैनशिप/कार्य की क्वालिटी में त्रुटियों और कमियों से संबंधित आपत्तियां उठाई थीं। इनमें से 291 और 2,992 के रेंज में आपत्तियां अनअटेंडिड रही (जून 2013) थीं। हमने अवलोकित किया कि जींद (2,552), भिवानी (911), कुरूक्षेत्र (1,494) तथा झज्जर (2,992) में टी.पी.आई. एजेंसियों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियां अनअटेंडिड रही थीं। प्रबंधन ने बताया कि टी.पी.आई. एजेंसियों (टी.पी.आई.एज) द्वारा की गई आपत्तियां अटेंड की गई थीं तथा आर.ई.सी. को यह सूचित कर दी गई थीं। तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कंपनियों द्वारा त्रुटियां अपनी लागत पर ठीक करवाई गई थीं, ठेकेदारों से नहीं।

2.1.9.2 दोषों को ठीक किए बिना शेष भुगतान का जारी करना

ठेकों के प्रावधानों के अनुसार टी.पी.आई. एजेंसी द्वारा इंगित किए गए दोषों के सुधार के पश्चात् ही ठेकेदारों को शेष 10 प्रतिशत का भुगतान जारी किया जाना था। हमने अवलोकित किया कि टी.पी.आई. एजेंसी द्वारा इंगित किए गए दोषों का सुधार किया जाना यद्यपि लंबित था, फिर भी, द.ह.बि.वि.नि.लि. ने फतेहाबाद, सिरसा तथा मेवात प्रोजेक्टस में ठेकेदारों को 10 प्रतिशत का शेष भुगतान (₹ 3.65 करोड़) जारी कर दिया था। प्रबंधन ने बताया कि उन्होंने सिरसा में टी.पी.आई. एजेंसी द्वारा पता लगाई गई कमियों के सुधार के संबंध में आवश्यक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर ली थी तथा फतेहाबाद और मेवात जिलों के मामले में समान कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह तथ्य रहता है कि ठेकेदारों द्वारा किए गए दोषों का सुधार सत्यापित किए बिना ही कंपनियों द्वारा शेष भुगतान जारी कर दिया गया था।

2.1.9.3 क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों की रीप्लेसमेंट में विलंब

एच.ई.आर.सी. ने, क्षतिग्रस्त डी.टीज की रीप्लेसमेंट के लिए 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की थी (जुलाई 2004)। जींद जिले में स्कीम के अंतर्गत इंस्टाल किए गए 303 डी.टीज में से 179 डी.टीज वारंटी पीरियड में क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा कंपनी द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर 52 डी.टीज रिप्लेस करवाए गए थे (मई 2012) और शेष 127 क्षतिग्रस्त डी.टीज अभी बदले जाने हेतु प्रतीक्षित थे (नवंबर 2012)। सिरसा और मेवात जिलों में स्कीम के अंतर्गत क्षतिग्रस्त डी.टीज निर्धारित अवधि के अंदर रीप्लेस नहीं किए गए बल्कि तीन से 126 दिनों की अवधि के बाद रीप्लेस किए गए।

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने जींद, कुरूक्षेत्र, करनाल और झज्जर जिलों के संबंध में क्षतिग्रस्त डी.टीज के रीप्लेसमेंट में लिए गए समय संबंधी डाटा नहीं रखा था। ₹ 7.31 लाख मूल्य के 14 डी.टीज स्थल पर नहीं पाए गए और जींद जिले के कर्मचारियों की रिपोर्टस (मई 2012) के अनुसार 38 डी.टीज (मूल्य ₹ 19.85 लाख) अप्रयुक्त पाए गए। उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने मिसिंग डी.टीज के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए अथवा अप्रयुक्त डी.टीज पर लोड डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी (नवंबर 2012)। प्रबंधन ने बताया कि विद्युत की चोरी एवं अवैध विद्युत टैपिंग/कुंडी कनैक्शनों के परिणामस्वरूप ओवर लोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा अनेक बार चोरी में संलिप्त उपभोक्ताओं को दंड देने के लिए क्षतिग्रस्त डी.टीज के रीप्लेसमेंट, जानबूझ कर विलंब से किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह एच.ई.आर.सी. के निर्देशों के विरूद्ध था।

निष्कर्ष

आर.ई. प्लान-त्रुटिपूर्ण थी तथा देरी से अधिसूचित की गई। तैयार किए गए डी.पी.आरज फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे तथा इसलिए ठेके की लागतें, विचार की गई लागतों से अधिक थीं। त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण कांट्रेक्ट प्रबंधन के परिणामस्वरूप प्रोजेक्टस के विलंबित कंपलीशन, सामग्री का दुरूपयोग तथा ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुए। कार्य की क्वालिटी एवं वर्कमैनशिप, ठेकेदारों तथा डिस्कोमज द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई, परिणामत: थर्ड पार्टी इंस्पेक्टिंग एजेंसियों द्वारा बृहद् संख्या में त्रुटियां नोटिस की गई। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने 11वीं प्लान फेस-I के लिए टारगेट्स प्राप्त कर लिए थे परंतु ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के कारण फेस-II परियोजनाओं के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी। 2009 तक सभी बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त विद्युत कनैक्शन दिए जाने थे परंतु डिस्कोम्ज यह देने में असमर्थ थीं। लाभग्राहियों के सर्वेक्षण ने दर्शाया कि स्कीम का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं था तथा सृजित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया गया था।

सिफारिशें

डिस्कॉम विचार कर सकती हैं कि:

(i) तय समय-सीमा के अंतर्गत आर.ई. प्लानज की तैयारी तथा अधिसूचना हो ताकि ये ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप की तरह काम करे।

(ii) वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार किया जाए।

(iii) मात्र सामग्री की आपूर्ति की बजाय निर्माण की विभिन्न स्टेजिज के साथ टर्नकी कॉन्ट्रैक्टस के नियमों तथा शर्तों को जोड़ा जाए।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को भेज दिए गए थे (सितंबर 2013), परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

2.2 हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम

खाद्यान्नों, खादों, कृषि उत्पादों, बीजों तथा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु राज्य में गोदामों तथा वेयरहाउसों का अधिग्रहण करने तथा निर्माण करने के लिए हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम (निगम) स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय पूल के लिए गेहूं, धान तथा बाजरे के प्रापण एवं संग्रहण के लिए अधिसूचित संस्था है। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मुख्य परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्य अंश

निगम ने 2009 - 10 से 2011 - 12 के दौरान लाभ अर्जित किया तथा 2008 - 09 में ₹ 10.97 करोड़ एवं 2012 - 13 में ₹ 138.51 करोड़ राशि की हानियां उठाई। 2008 - 09 तथा 2009 - 10 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी हुई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6.1 तथा 2.2.6.2)

निगम ने अपने लेखे, स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों/मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए थे। एफ.सी.आई. के साथ लेखाओं की पुष्टि एवं मिलान न करने के परिणामस्वरूप प्रमुख सौदे 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 2008 - 09 से गेहूं और गनी बैगज के समापन स्टॉकस के भौतिक शेषों के साथ मिलान नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.6.1)

31 मार्च 2013 को भण्डारण शुल्क के लिए विभिन्न सरकारी/सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों से ₹ 40.56 करोड़ वसूलनीय थे, जिसमें ₹ 21.42 करोड़ 1986 - 87 से 2007 - 08 तक की अवधि से संबंधित थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

निगम ने 2008 - 09 तथा 2009 - 10 के दौरान 47 गोदामों की रूफिंग के लिए गॉलवाल्यूम शीटों की आपूर्ति तथा इरेक्शन के लिए कान्ट्रैक्ट देने में, एक विशिष्ट ग्रेड एवं ब्रांड चयन करके, वित्तीय बोलियों के खोलने का शैडयूल, परिमात्रा तथा भुगतान का शैडयूल परिवर्तित करके एन.आई.टी. की शर्तों का उल्लंघन किया। कार्य आदेशों के प्रावधानों के अनुसार 2008 - 09 से 2012 - 13 के दौरान कार्यों की विलम्बित पूर्ति के लिए ठेकेदारों पर ₹ 7.74 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.9.2, 2.2.9.3 तथा 2.2.9.7)

2008 - 09 से 2011 - 12 के दौरान धान के संबंध में प्रापण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 21 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत के मध्य थी। निगम ने बाढ़ और वर्षा के कारण स्टॉक खराब होने से ₹ 6.64 करोड़ मूल्य की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.11.6 तथा 2.2.11.7)

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, निगम की गतिविधियों के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.2.13.1)

2.2.1 प्रस्तावना

वेयरहाउसिंग निगम अधिनियम, 1962 की धारा 18 (1) के अंतर्गत 1 नवंबर 1967 को हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) की स्थापना की गई। खाद्यान्नों, खादों, कृषि उत्पादों, बीजों तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु राज्य के अंदर गोदामों तथा वेयरहाउसों का अधिग्रहण एवं निर्माण करना, वेयरहाउसिज तक एवं वेयरहाउसिज से उनकी ढुलाई के लिए सुविधाएं व्यवस्थित करना तथा अन्य ऐसे कार्य, जो निर्धारित किए जा सके, ऐसे प्रमुख उद्देश्यों के साथ निगम की स्थापना की गई थी। निगम को केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न[1] प्रापण तथा भंडारण (गेहूं, धान, बाजरा) हेतु एजेंसियों में से एक घोषित किया गया था।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

निगम का प्रबंधन एक निदेशक मंडल (नि.मं.) में निहित है जिसमें एक चेयरमैन तथा एक प्रबंध निदेशक सहित 11 निदेशक होते हैं। इन निदेशकों में से पांच केंद्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा तथा छः राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने होते हैं। 31 मार्च 2013 को एक चेयरमैन तथा एक एम.डी, जो निगम के मुख्य कार्यकारी होते हैं, उन सहित आठ निदेशक (चार सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा तथा चार राज्य सरकार द्वारा नामांकित) थे। निगम के नौ[2] फील्ड सर्कल कार्यालय हैं (31 मार्च 2013), जिसमें प्रत्येक की अध्यक्षता एक जिला प्रबंधक (जि.प्र.) द्वारा की जाती है।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था;
- वेयरहाऊसिंग परिचालन जैसे कि उपयोगिता क्षमता, भंडारण गतिविधियां, विस्तारण सुविधाएं तथा वेयरहाऊसिस का निर्माण आदि मितव्ययी एवं दक्ष तरीके से किए गए थे;
- खाद्यान्नों का प्रापण तथा डिलिवरी संचालन निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रियाओं/समय सीमा के अनुसार किए गए थे तथा निगम ने प्रापण के लिए पूर्ण दावे प्रस्तुत किए थे;
- फील्ड में मानवशक्ति की नियुक्ति इष्टतम थी; तथा
- निगम के पास प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

दिसंबर 2012 से अप्रैल 2013 तक तथा अप्रैल 2014 में की गई वर्तमान लेखापरीक्षा ने 2008-13 के दौरान वेयरहाउसिंग गतिविधियों तथा केंद्रीय पूल के लिए हरियाणा राज्य वेयरहाऊसिंग निगम की खाद्यान्न प्रापण गतिविधियों के निष्पादन का विश्लेषण किया। निगम के मुख्य कार्यालय पर अनुरक्षित अभिलेखों, नौ सर्कल आफिसों में से चार[3] तथा इन चार सर्कलों के

---

[1] गेहूं - 1993, धान - 1995 तथा बाजरा - 2003.

[2] अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

[3] अंबाला, फतेहाबाद, रोहतक तथा सिरसा।

46 वेयरहाउसों में से 16 के अभिलेखों की संवीक्षा लेखापरीक्षा परीक्षण में शामिल थे। चयन स्ट्रेटीफाइड रेंडम सैंपलिंग मेथड द्वारा किया गया था।

प्रबंधन के साथ 'एंट्री कांफ्रेंस' (मार्च 2013) के दौरान हमने निगम को लेखापरीक्षा उद्देश्य स्पष्ट किए थे। लेखापरीक्षा परिणाम प्रबंधन तथा सरकार को रिपोर्ट कर दिए गए थे (अगस्त 2013 तथा जून 2014)। सरकार के उत्तर जुलाई 2014 में प्राप्त हुए थे। अक्तूबर 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में उत्तरों के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। दिसंबर 2014 में एक और एग्जिट कांफ्रेंस की गई थी जिसमें अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), कृषि विभाग, निगम के एम.डी. एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यह निष्पादन लेखापरीक्षा फाइनल करते समय प्रबंधन और सरकार के दृष्टिकोण को विधिवत ध्यान में रखा गया है एवं इसकी अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- वेयरहाउसिंग कारपोरेशनज अधिनियम, 1962 तथा हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन नियम, 1969 के प्रावधान;
- भारत सरकार (भारत सरकार)/भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.)/राज्य सरकार/निगम के अनुदेश/दिशानिर्देश/स्कीमें तथा निगम की वार्षिक योजनाएं;
- वेयरहाउसों के निर्माण, खाद्यान्नों के परिवहन के लिए ठेकेदारों तथा राईस मिलर्ज के साथ किए गए अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तें; तथा
- हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा निगम की अन्य नियंत्रण प्रक्रियाएं।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 वित्तीय प्रबंधन

2.2.6.1 वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

2012-13 तक विगत पांच वर्षों के लिए निगम की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट-8*** में दिए गए हैं। ***परिशिष्ट*** के विश्लेषण ने निम्नलिखित दर्शाया:

- कर लगाने के बाद एच.एस.डब्ल्यू.सी. के निवल लाभ 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के दौरान ₹ 20.35 करोड़ से ₹ 26.44 करोड़ के बीच थे। इसने 2008-09 में ₹ 10.97 करोड़ तथा 2012-13 में ₹ 138.51 करोड़ की हानि उठाई।
- गेहूं प्रापण गतिविधि से सरप्लस, 2009-10 में ₹ 21.50 करोड़ से 2011-12 में मात्र ₹ 3.85 करोड़ बनकर अत्यंत कम हो गए। निगम ने 2012-13 में ₹ 19.94 करोड़ का सरप्लस अर्जित किया।
- निगम ने धान प्रापण के संचालन में लगातार हानियां उठाई। ये 2008-09 में ₹ 0.29 करोड़ थी तथा 2012-13 में ₹ 27.32 करोड़ तक बढ़ गई।

- निगम ने 2008-09, 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान बाजरा के प्रापण संचालन में हानि उठाई थी तथा 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान मार्जिनल लाभ प्राप्त किया था।

हमने पुन: देखा कि:

- राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत की जाने वाली 2010-11 से लेकर 2012-13 वर्ष तक की वार्षिक रिपोर्टें, लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित नहीं की गई थीं यद्यपि इन वर्षों की वार्षिक सामान्य मीटिंग्ज (वा.सा.मी.) आयोजित की जा चुकी थी। यह वेयरहाउसिंग निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) का उल्लंघन करती थी।

- निगम ने स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों तथा लेखांकन मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली तथा एफ.सी.आई., जिसके साथ 15 वर्षों से अधिक समय से प्रमुख सौदे बकाया थे, उसके साथ लेखाओं की पुष्टि तथा मिलान न होने पर टिप्पणी की थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2008-09 से गेहूं तथा गनी बैग्ज के क्लोजिंग स्टॉक्स के मूल्य का भौतिक शेषों के साथ मिलान नहीं किया गया था।

प्रबंधन तथा सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि लागू लेखांकन मानकों तथा सिद्धान्तों की अनुपालना करने के प्रयत्न किए जा रहे थे तथा सूचित किया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मजबूत कर दी गई थी।

2.2.6.2 बजटीय नियंत्रण

वेयरहाउसिंग निगम अधिनियम, 1962 की धारा 26 (1) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले निगम, अपनी गतिविधियों तथा बजट अनुमानों के कार्यक्रम की एक विवरणी तैयार करता है। 2012-13 तक 5 वर्षों के लिए निगम के पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के बजट अनुमान, प्रक्षेपित आय तथा उसके विरूद्ध वास्तविक निष्पादन नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.2.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	पूंजीगत व्यय					
	बजट	55.91	40.39	28.88	25.02	30.71
	वास्तविक	5.78	26.44	51.01	32.22	29.17
	भिन्नता	(-)50.13	(-)13.95	(+)22.13	(+)7.20	(-)1.54
	भिन्नता की प्रतिशतता	(89.66)	(34.54)	(76.62)	(28.78)	(5.01)
2	राजस्व व्यय					
	बजट	39.11	48.74	60.44	72.00	77.00
	वास्तविक	47.27	58.37	59.63	68.30	261.03
	भिन्नता	(+)8.16	(+)9.63	(-)0.81	(-)3.70	(+)184.03
	भिन्नता की प्रतिशतता	(20.86)	(19.76)	(1.34)	(5.14)	(239.00)
3	कुल आय					
	बजट	60.61	80.24	101.50	104.00	115.00
	वास्तविक	67.88	90.10	91.58	93.14	128.66
	भिन्नता	(+)7.27	(+)9.86	(-)9.92	(-)10.86	(+)13.66
	भिन्नता की प्रतिशतता	(11.99)	(12.29)	(9.77)	(10.44)	(11.88)

उपर्युक्त तालिका ने दर्शाया कि:

- 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी थी। निगम भूमि की अनुपलब्धता के कारण गोदामों का निर्माण नहीं कर सका। पिछले वर्षों में योजनागत कार्यों के निष्पादन के कारण इसका बजटिड व्यय 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमश: 76.62 प्रतिशत तथा 28.78 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया।
- निगम की प्रापण गतिविधि में भिन्नता के कारण वास्तविक आय, अनुमानित आय से +/-11 प्रतिशत की औसतन रेंज में थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने बताया कि वास्तविक बजट तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.2.6.3 गारंटी फीस

गेहूं तथा धान प्रापण के लिए निगम भारतीय स्टेट बैंक से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत कैश क्रेडिट प्राप्त करता है जिसके लिए सरकार प्राप्त कैश क्रेडिट के 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी फीस चार्ज करती है। एफ.सी.आई. उसकी प्रतिपूर्ति करता है।

i निगम ने राज्य सरकार को 1994-95 से 2005-06 के दौरान ₹ 1.21 करोड़ की गारंटी फीस का अधिक भुगतान किया। इसने 2006-07 से 2011-12 के दौरान कोई गारंटी फीस जमा नहीं की। निगम ने राज्य सरकार को, गारंटी फीस के प्रति पहले से किए गए अधिक भुगतान को समायोजित करने तथा वर्ष 2006-07 से भुगतान के लिए सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अनुरोध किया (मार्च 2011)। अभी तक (मार्च 2014) कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

ii निगम ने, राज्य सरकार से अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के बिना, पिछले वर्षों में भुगतान की गई/समायोजित/अधिक भुगतान की गई ₹ 1.27 करोड की गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए एफ.सी.आई. को 2005-06 से 2009-10 वर्षों के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए (सितंबर 2011)। फिर भी निगम ने एफ.सी.आई. की आपत्तियों के पश्चात् अपना दावा ₹ 1.06 करोड़ तक कम कर दिया (अक्तूबर 2013), जो इसको जनवरी 2014 में प्राप्त हो गया था। इस प्रकार, निगम ने दावों की कटौती पर न केवल ₹ 0.21 करोड़ की हानि उठाई बल्कि नवंबर 2011 से दिसंबर 2013 तक अवरूद्ध राशि पर ₹ 0.30 करोड़ के ब्याज की भी हानि उठाई।

प्रबंधन तथा राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि एफ.सी.आई. द्वारा ₹ 1.27 करोड़ का दावा सही कम किया गया था क्योंकि इसने, प्राप्त किए गए वास्तविक कैश क्रेडिट के आधार पर गारंटी फीस का भुगतान किया था, परंतु एफ.सी.आई. ने अपने सुपुर्द किए गए खुले खाद्यान्नों पर एम.एस.पी. के आधार पर उसकी प्रतिपूर्ति की थी।

2.2.6.4 गनी बेलज लेखाओं का अमिलान

निदेशक, खाद्य तथा आपूर्ति (डी.एफ.एस), हरियाणा सरकार के माध्यम से महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान (डी.जी.एस. एंड डी.) से निगम गनी बेलज प्राप्त करता है। चूकि प्रोविजनल आधार पर प्रत्येक क्रॉप वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान जारी किया जाता था, प्रत्येक क्रॉप वर्ष के अंत पर लेखे का मिलान करना आवश्यक था।

निगम ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान जूट/एच.डी.पी.ई. बैगज के 1,56,875 बेलज के आदेश दिए, जिसके विरूद्ध इसने 1,50,810 बेलज प्राप्त किए। ₹ 9.30 करोड़ की

6,065 बेलज की कम मात्रा का मूल्य डी.जी.एस. एंड डी. कोलकाता के पास बकाया रहा (दिसंबर 2014) जिस पर निगम ने ₹ 4.18 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि रिकॉनसिलियेशन प्रोसेस प्रगति पर था।

2.2.7 वेयरहाउसिंग परिचालन

निगम का एक मुख्य उद्देश्य संग्रहण के लिए वेयरहाउस अधिग्रहण करना, निर्माण करना तथा आपरेट करना है। निगम ने 2012-13 तक पांच वर्षों के दौरान 2.96 लाख एम.टी. की अतिरिक्त औसत[4] स्टोरेज कैपेसिटी सृजित की। 31 मार्च 2013 को, निगम के पास 18.88 लाख एम.टी. की कुल स्टोरेज क्षमता वाले 108 वेयरहाउस थे। कवर्ड गोदामों की क्षमता 14.99 लाख एम.टी. (स्वयं के 12.32 लाख एम.टी. तथा किराये के 2.67 लाख एम.टी.) थी तथा खुले गोदामों/चबूतरों की क्षमता 3.89 लाख एम.टी. (स्वयं के 0.89 लाख एम.टी. तथा किराये के 3 लाख एम.टी.) थी।

2.2.7.1 क्षमता उपयोगिता

निगम ने वेयरहाउसों की इकनौमिक वायाविलिटी के मूल्यांकन के लिए उनकी न्यूनतम क्षमता उपयोगिता के लिए कोई नार्मज निश्चित नहीं किए थे। 2008-09 से 2012-13 के दौरान वेयरहाउसिंग क्षमता की उपयोगिता तथा इस गतिविधि के कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट-9*** में दिए गए हैं। ***परिशिष्ट*** के विश्लेषण ने दर्शाया कि मार्च 2013 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान स्टोरेज क्षमता 14.68 लाख एम.टी. (2008-09) तथा 18.88 लाख एम.टी. (2012-13) के बीच थी तथा औसत क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता 2008-09 में 83 प्रतिशत से 2012-13 में 104 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

2.2.7.2 वेयरहाउस-वार कार्यचालन परिणाम

निदेशक मंडल ने अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता के निर्माण को अनुमोदित (सितंबर 2008) करते समय निर्देश दिए थे कि गोदाम स्वतंत्र रूप से लाभ केन्द्रों के रूप में प्रकट होने चाहिए। फिर भी निगम ने प्रत्येक यूनिट या वेयरहाउस की लाभदायकता को परिकलित नहीं किया। 2009-10 से 2012-13 के दौरान प्रत्येक वेयरहाउस के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा तैयार किए गए कार्यचालन परिणाम के विश्लेषण ने निम्नलिखित दर्शाया:

- 2012-13 तक पिछले चार वर्षों के दौरान 'लॉसमेकिंग वेयरहाउस' छः से 15 के मध्य थे। निगम ने उनकी मानीटरिंग तथा गाईडैंस के लिए विश्लेषण नहीं किया और बी.ओ.डीज को मामला सूचित नहीं किया। इन गोदामों की दूरवर्ती लोकेशन होने तथा नॉन फेअर एवरेज क्वालिटी (एफ.ए.क्यू.) बाजरे के संग्रहण के कारण क्षमता उपयोगिता अल्प थी, जिस पर निगम को आय प्राप्त नहीं हुई क्योंकि एफ.सी.आई. ने इस मोटे अनाज के लिए स्टोरेज चार्जिज की प्रतिपूर्ति नहीं की।
- किसी एक वर्ष में ₹ 10 लाख से कम लाभ अर्जित करने वाले वेयरहाउसिस 14 से 19 के मध्य थे। इन परिणामों को परिकलित करते समय सर्कल आफिस/हेड आफिस की पर्यवेक्षण-लागत, डेप्रिशिएसन तथा स्टाफ बेनेफिट्स के तत्व के लिए प्रोविजनस ध्यान में नहीं रखे गए थे क्योंकि ये अलग से उपलब्ध नहीं थे। यदि ये तत्व भी ध्यान

---

4 किसी एक साल के लिए औसत स्टोरेज कैपेसिटी उस पूरे वर्ष के टोटल को 12 से विभाजित करके।

में रखे जाते तो ये वेयरहाउस भी हानियों में चले जाने थे। निगम ने ब्रेकइवन पॉइंट निश्चित नहीं किया।

- वेयरहाउसिज, जिन्होंने ₹ 50 लाख से अधिक लाभ अर्जित किया, वे 25 से 49 के बीच थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस-वार कार्यचालन परिणाम तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्देश दिए।

2.2.8 स्टोरेज गतिविधि

2.2.8.1 निगम खाद्यान्नों, खादों, कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए समय-समय पर सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निश्चित किए गए चार्जिज के शेडयूल की पालना कर रहा है। बॅल्क डिपोजिटरज (अर्थात् एफ.सी.आई., एफ.एस.डी., हैफेड, एच.ए.आई.सी. तथा कान्फेड[5]) जिन्हें क्रेडिट सुविधा अनुमत थी, उनके मामले में मासिक आधार पर या वस्तुओं की सुपुर्दगी के समय पर नकद में स्टोरेज चार्जिज भुगतान किए जाते हैं।

नीचे की तालिका अर्जित स्टोरेज चार्जिज, वसूल किए गए तथा वसूली की प्रतिशतता को दर्शाती है:

तालिका 2.2.2

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आरंभिक शेष	30.60	31.16	33.07	37.01	39.52
एडिशनज	35.34	41.48	44.86	56.59	64.26
कुल	**65.94**	**72.64**	**77.93**	**93.60**	**103.78**
वसूली	34.78	39.57	40.92	54.08	63.22
अंत शेष	31.16	33.07	37.01	39.52	40.56
संग्रहण की प्रतिशतता (कुल)	52.74	54.47	52.51	57.78	60.92

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि कुल वसूली-योग्य में संग्रहण की प्रतिशतता 52.51 से 60.92 के मध्य थी। पुनः, 31 मार्च 2013 को ₹ 40.56 करोड़ में से ₹ 21.42 करोड़ 1986-87 से 2007-08 तक की अवधि से संबंधित थे जो मुख्यतः एफ.सी.आई., एफ.एस.डी., हैफेड, एच.ए.आई.सी. तथा कान्फेड से वसूली योग्य थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने बताया कि बकाया देयों को वसूल करने के मामले में शीघ्रता की जाएगी।

रिकार्डो की संवीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित दर्शाया:

2.2.8.2 एफ.सी.आई. को गोदाम किराए पर देना

एफ.सी.आई. निगम को सी.डब्ल्यू.सी. दरों पर स्टोरेज चार्जिज का भुगतान करता है। एफ.सी.आई. ने दिसंबर 2008 तक ₹ 3.08 करोड़ राशि (₹ 1.92 करोड़ निगम के स्वयं के गोदामों पर तथा

---

5 एफ.सी.आई.-भारतीय खाद्य निगम, एफ.एस.डी.-खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड-हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड, एच.ए.आई.सी.-हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कानॅफेड-हरियाणा राज्य उपभोक्ता संघ के सहकारी थोक विक्रेता स्टोरज लिमिटेड।

₹ 1.16 करोड़ प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिए गए गोदामों पर) की पेनल्टी/कटौती लगाई थी क्योंकि गोदामों का निर्माण एफ.सी.आई. की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। निगम ने जनवरी 2008 में एफ.सी.आई. के साथ मामले को उठाया लेकिन इसके बाद इसको अनुसरित नहीं किया तथा अभी तक (मार्च 2014) कोई वसूली नहीं की गई थी। पुनः, निगम ने छः प्राइवेट गोदाम मालिकों से भी उनके निर्माण में उन्हीं कमियों के लिए ₹ 1.16 करोड़ की कटौती की गई राशि की वसूली भी नहीं की थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि निगम ने प्राइवेट गोदाम मालिकों से ₹ 1.16 करोड़ वसूल कर लिए थे। इस पर ए.सी.एस. ने लेखापरीक्षा को वसूली के प्रासंगिक दस्तावेज आपूरित करने हेतु प्रबंधन को निर्देश दिए। दस्तावेज प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2014)।

2.2.8.3 स्टोरेज चार्जिज की कटौती

निगम ने नए बनाए गए गोदामों में ए.सी.सी. शीट की बजाए गॉल्वाल्यूम शीट की रूफिंग प्रयोग की तथा 140 एम.टी. के बजाय 160 एम.टी. प्रति स्टैक की क्षमता लेकर भंडारण क्षमता की पुनर्गणना के लिए एफ.सी.आई. के साथ मामले को उठाया (मार्च 2010)। एफ.सी.आई. ने स्टैक की भंडारण क्षमता 154 एम.टी. स्वीकार की (मई 2011)।

बरवाला तथा हांसी में गॉल्वाल्यूम शीट की रूफिंग से नवनिर्मित वेयरहाउसिज मई 2010 से एफ.सी.आई. को किराए पर दिए गए थे तथा 154 एम.टी. की स्टैक क्षमता लेते हुए स्टोरेज चार्जिज के लिए बिल प्रस्तुत किए गए थे लेकिन एफ.सी.आई. ने मई 2010 से जून 2012 तक की अवधि के लिए दोनों वेयरहाउसों के लिए स्टैक क्षमता 140 एम.टी. लेते हुए ₹ 0.26 करोड़ की कटौती की, जबकि मई 2011 में एफ.सी.आई. द्वारा 154 एम.टी. प्रति स्टैक की क्षमता पहले ही अनुमोदित की जा चुकी थी। फील्ड कार्यालय स्तर पर वसूल करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर हैड आफिस ने ₹ 0.26 करोड़ की वसूली रिलीज करने के लिए एफ.सी.आई. के साथ मामला जून 2014 में उठाया था। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी।

2.2.8.4 रिबेट के कारण कटौतियां

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए चयन किए गए चार सर्कलों में स्टोरेज चार्जिज का भुगतान करते समय, एफ.सी.आई. ने रिबेट के कारण एक प्रतिशत के रूप में ₹ 0.47 करोड़ की कटौती की थी यद्यपि एफ.सी.आई. आदेशों में ऐसी रिबेट का कोई उल्लेख नहीं था। निगम ने एफ.सी.आई. के साथ मामले को नहीं उठाया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि उचित कार्रवाई करने के लिए इन मामलों का समाधान कर लिया जाएगा।

2.2.8.5 मैसर्ज ब्ल्यू डार्ट एक्सप्रैस लिमिटेड को जगह पट्टे पर देना

निगम के उद्देश्यों के उल्लंघन करते हुए इसने मैसर्ज ब्ल्यू डार्ट एक्सप्रैस लिमिटेड को उसके कार्यालय के लिए 16 अप्रैल 2007 से अंबाला सर्कल में गोदाम नं. 8 में जगह पट्टे पर दी। प्रबंधन तथा राज्य सरकार ने बताया कि यद्यपि जगह को पट्टे पर देना निगम की अधिदेशित गतिविधियों के विपरीत था, लेकिन गोदाम लो लायिंग एरिया में था जहां निगम खाद्यान्नों को नहीं रख सकता था तथा इस प्रकार जगह का लाभकारी प्रयोग किया गया था। निगम के इन कथनों को सत्यापित करने हेतु लेखापरीक्षा तथा निगम द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। सारे गोदाम उनकी अधिकतम क्षमता तक प्रयोग किए गए थे तथा बाढ़ के पानी से स्टाक

को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों की ऊंचाई पर्याप्त थी। और तो और उस परिसर में किसी गोदाम में जल भरने अथवा बाढ़ के कारण गतकाल में स्टाक की हानि का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने बताया कि गोदाम अप्रयुक्त नहीं रहने चाहिए। इसलिए, कृषकों द्वारा यदि वांछित हो तो तुरंत उपलब्धता के अध्याधीन उन्होंने प्राइवेट फार्मों को लीज पर देकर इन्हें लाभपूर्वक उपयोग करने हेतु प्रस्ताव किया था। उचित कलॉज लीज एग्रीमेंट में शामिल किए जाएंगे।

2.2.9 निर्माण गतिविधियां

2.2.9.1 निगम ने एक कार्यकारी अभियंता प्रभारी के साथ अपनी स्वयं की निर्माण विंग स्थापित की है। निगम ने अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है लेकिन राज्य सरकार द्वारा जब कभी भी भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो यह वेयरहाउसों के निर्माण में लग जाता है तथा केंद्रीय स्कीमों (आर.के.वी.वाई.[6] तथा जी.बी.वाई[7]) के अंतर्गत निधियों का प्रबंध किया जाता हैं। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्षो की अवधि के दौरान निगम ने 2.96 लाख एम.टी. क्षमता के 45 गोदाम निर्मित किए थे। निगम ने डिपोजिट वर्क आधार पर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज निगम के लिए ₹ 7.41 करोड़ की लागत पर 23,150 एम.टी. तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए ₹ 15.31 करोड़ की लागत पर 72,200 एम.टी. क्षमता के गोदाम भी निर्मित किए। अभिलेखों की नमूना-जांच ने निम्नलिखित दर्शाया:

2.2.9.2 गॉलवाल्यूम शीट रूफिंग के साथ गोदामों के निर्माण के लिए ठेका देने में अवलोकित अनियमितताएं

एच.एस.डब्ल्यू.सी. सामान्य विनियम, 1981 के नियम 11 (i) के अंतर्गत निदेशक मंडल (नि.मं.) अथवा कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, प्रबंध निदेशक (एम.डी.) के पास निगम का प्राधिकृत बिजनेस चलाने तथा मोलभाव करने के अधिकार होंगे। विनियमों के नियम 11(iii) के अनुसार, तत्कालीन एम.डी. ने, बी.ओ.डी. के अनुमोदन से गोदामों के ले-आउट तथा विनिर्देशनों के लिए 8 अप्रैल 2008 को कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) को पूर्ण अधिकार सौंप दिए। पुनः, उपर्युक्त विनियमों के नियम 11(iv) के अनुसार, एम.डी., एच.एस.डब्ल्यू.सी. को, बी.ओ.डी. द्वारा समय-समय पर अनुमोदित बजट अनुमानों में प्रावधान की गई सीमा तक व्यय करने का अधिकार है। बी.ओ.डी. ने, 2008-09 के लिए बजट अनुमानों में 35,000 एम.टी. की संयुक्त क्षमता के 6 गोदामों का निर्माण अनुमोदित किया। बी.ओ.डी., एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने, गोदामों की रूफिंग के लिए विशिष्ट सामग्री के प्रयोग के बारे में उल्लेख किए बिना 61,000 एम.टी. की संयुक्त क्षमता के साथ 14 स्थानों पर गोदामों का निर्माण अनुमोदित किया (5 सितंबर 2008)। ई.ई. तथा एम.डी. ने सभी 14 स्थानों के लिए एसवेस्टोज शीट्स के स्थान पर रूफिंग में गॉल्वाल्यूम शीट्स का प्रयोग तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया (24 अक्तूबर 2008)। बी.ओ.डी. ने, विचारविमर्श के पश्चात् दिसंबर 2009 में, गोदामों के निर्माण में गॉल्वाल्यूम शीट्स प्रयोग करने की नई टैक्नोलाजी के प्रयोग के बारे में 'आगे बढ़ने' के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. को स्वीकृति दी। एच.एस.डब्ल्यू.सी., विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा

---

6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

7 ग्राम भंडारण योजना।

विभागों जैसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (एफ.एस.डी.) इत्यादि के लिए भी गोदाम निर्मित करता है।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने, हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 25 गोदामों (एच.एस.डब्ल्यू.सी. के 12[8] गोदाम तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार के 13 गोदाम) के निर्माण में आर्क शेप्ड गॉल्वाल्यूम रूफिंग शीट्स की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु नोटिस (एन.आई.टी.) जारी कर दिए थे (जनवरी 2009)। एन.आई.टी. के निबंधनों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया था:

क) सामग्री, इंपोर्टेड गॉल्वाल्यूम शीट्स थी तथा उनकी टेंसाइल स्ट्रैंग्थ 350 और 550 ग्रेड की होनी थी जिसके लिए दरें पृथक-पृथक उद्धृत की जानी थी (क्रम संख्या 6 पर क्लॉज);

ख) एक प्री-बिड मीटिंग 28 जनवरी 2009 को 11 बजे पूर्वाह्न पर आयोजित की जानी थी तथा तकनीकी बिड्स भी उसी दिन 4 बजे अपराह्न पर खोली जानी थी। केवल उन एजेंसियों, जो तकनीकी रूप से क्वालीफाई करेंगी, की वित्तीय बिड 29 जनवरी 2009 को खोली जानी थी (क्रम संख्या 4 और 5 पर क्लॉज);

ग) एन.आई.टी. की क्रम संख्या-7 पर क्लॉज (7) के अनुसार, मात्रा किसी भी सीमा तक बढ़ाई अथवा कम की जा सकती है;

घ) निविदादाताओं को, कार्य के पूर्णता के बाद तीन वर्षों के लिए ऑनसाइट वारंटी प्रदान करनी थी तथा कार्य पूर्ण होने के बाद यथाशीघ्र 80 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। शेष 20 प्रतिशत भुगतान, कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाना था (क्रम संख्या 13 और 14 पर क्लॉज)।

28 जनवरी 2009 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग में, तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया तथा यह निर्णय लिया गया कि निगम एक कॉमन पैटर्न का अनुसरण कर सकता है और तुलना के लिए एक सिंगल ब्रांड अपना सकता है। तदनुसार, सभी बोलीदाताओं ने, केवल ग्रेड 350 की गॉल्वाल्यूम शीट्स के 'डोंग बू ब्राण्ड' (कोरियन मेड) के लिए दरें उद्धृत की। तकनीकी बिड्स 28 जनवरी 2009 को खोली गई तथा वित्तीय बिड्स भी उसी दिन अर्थात् 28 जनवरी 2009 को सभी बोलीदाताओं की सहमति से खोल दी गई। गॉल्वाल्यूम शीट्स के ब्रांड तथा ग्रेड के संबंध में 28 जनवरी 2009 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग के दौरान लिए गए निर्णय के आधार पर तीन बोलीदाताओं ने अपनी दरें उद्धृत की थीं तथा मैसर्ज प्रोफलेक्स सिस्टम, अहमदाबाद द्वारा उद्धृत दरें, निगम द्वारा तैयार किए गए ₹ 1,400 पी.एस.एम. के अनुमानों की तुलना में निम्नतम पाई गई (₹ 1,127 पी.एस.एम.) तदनुसार, ₹ 1,127 पी.एस.एम. की दर पर 25 गोदामों के निर्माण के लिए ₹ 7.94 करोड़ का ठेका 18 फरवरी 2009 को मैसर्ज प्रोफलैक्स सिस्टम, अहमदाबाद को दे दिया गया।

---

[8] 5 सितंबर 2008 को बी.ओ.डी. द्वारा अनुमोदित 14 गोदामों में से 2 गोदाम, स्थल के क्लीयर न होने के कारण एन.आई.टी. में शामिल नहीं थे।

निगम द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच ने निम्नलिखित दर्शाया:

i) अनुमान, मैसर्ज प्रोफलेक्स सिस्टम, अहमदाबाद नामक एक सिंगल वेंडर से प्राप्त दरों के आधार पर तैयार किए गए थे।

ii) एफ.एस.डी. के गोदामों में रूफिंग के लिए गॉल्वाल्यूम शीट्स के प्रयोग हेतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा 18 दिसंबर 2008 को अनुमोदित किया गया था जबकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के मामले में, यह निदेशक मंडल द्वारा दिसंबर 2009 में अनुमोदित किया गया था। एफ.एस.डी. द्वारा उठाई गई शंका के उत्तर में निगम ने स्पष्ट किया (24 दिसंबर 2008) कि गॉल्वाल्यूम शीट, एक कंपनी विशेष की 'प्रोपराइटी आइटम' नहीं है।

iii) प्री-बिड मीटिंग में निर्णय के परिणामस्वरूप, एन.आई.टी. जिसके द्वारा 350 और 550 ग्रेड के लिए बिड्स पृथक से मांगा गया था, केवल गॉल्वाल्यूम शीट्स के डांग बू (कोरियन) ब्रांड के ग्रेड 350 तक सीमित हो गया था। ब्रांड 'डांग बू', 28 जनवरी 2009 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग के दौरान प्रकट हुआ था तथा निगम ने बोलीदाताओं को 'लेवल प्लेयिंग फील्ड' प्रदान करने के लिए सिंगल ब्रांड के साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया था। यदि रूफिंग शीटस के फिटमेंट के लिए सिविल स्ट्रक्चर तैयार नहीं थे तो निगम, स्थल पर रूफिंग सामग्री की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के पश्चात् 40 प्रतिशत भुगतान जारी करने के लिए भी सहमत हो गया। प्रस्ताव केवल 350 ग्रेड तक और वह भी केवल डांग बू ब्रांड के लिए प्रतिबंधित करना तथा भुगतानों की निर्मुक्ति की शर्तों में परिवर्तन, जनवरी, 2009 में जारी एन.आई.टी. के निबंधनों एवं शर्तों से भिन्न थे। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर निगम ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि 350 ग्रेड सामग्री को वरीयता दी गई थी क्योंकि 550 ग्रेड सामग्री करवेचर निर्माण के दौरान अधिक क्रैक प्रोन थी और डांग बू ब्रांड (कोरियन) का चयन किया गया था क्योंकि चाइनीज सामग्री घटिया क्वालिटी की तथा कम लाइफ वाली थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक विशिष्ट ग्रेड एवं ब्रांड 'डांग बू' का चयन एन.आई.टी. के निबंधनों एवं शर्तों के अनुरूप नहीं था तथा इसने कम्पीटीशन को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि गॉल्वाल्यूम शीट एक प्रोपराइटी आइटम नहीं थी।

अगस्त 2013 में यह मामला सरकार को भेजे जाने पर सरकार ने टिप्पणी को लगभग सही मानते हुए स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2014)।

iv) यद्यपि एन.आई.टी. में विनिर्दिष्ट किया गया था कि तकनीकी बिड 28 जनवरी 2009 को तथा वित्तीय बिड 29 जनवरी 2009 को खोली जाएगी, फिर भी, दोनों बिड्स 28 जनवरी 2009 को ही सभी बोलीदाताओं की सहमति से खोल ली गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने पूर्ववर्ती उत्तरों को दोहराते हुए पुनः निम्नवत बताया:

- ₹ 1,400 पी.एस.एम. का अनुमान, किए गए मार्किट सर्वे के आधार पर तैयार किया गया था तथा दरें तीन/चार वेंडरज से एकत्रित की गई थीं जो ₹ 1,230 पी.एस.एम., ₹ 1,325 पी.एस.एम. तथा ₹ 1,385 पी.एस.एम. प्लस टैक्स थीं। प्रबंधन का उत्तर दिनांक 29 जनवरी 2014 के लिखित उत्तर से भिन्न है, जिसके साथ संलग्न दस्तावेज दर्शाता था कि अनुमान सिंगल वेंडर की दरों के आधार पर तैयार किया गया था। पुनः एग्जिट कांफ्रेंस के बाद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इन वेंडरज द्वारा आपूरित मात्रा अर्थात् 1,516 वर्गमीटर, 1,002 वर्गमीटर तथा 1,318 वर्गमीटर बहुत ही

कम थी, जो कि एन.आई.टी. में वांछित मात्रा का केवल लगभग 2 प्रतिशत थी और इस प्रकार मूल्य के उचित अनुमान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

- 40 प्रतिशत भुगतान की क्लॉज में परिवर्तन के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इस कारण ठेकेदार को कोई लाभ नहीं दिया गया। फिर भी तथ्यात्मक है कि एन.आई.टी. खोलने के बाद यह शर्त शामिल की गई थी जो एन.आई.टी. की शर्तों का उल्लंघन था।

ए.सी.एस. ने बताया कि निगम पहली बार ये शीट्स प्रयोग कर रहा था और उसे इस संबंध में कोई अनुभव नहीं था। इसलिए गॉल्वाल्यूम शीट के ग्रेड तथा मेक बनाने के चयन में बोलीदाताओं के विचार से इसे सहमत होना पड़ा था। फिर भी यह तथ्य रहता है कि निगम ने ठेके देने के लिए स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया।

2.2.9.3 कार्य–आदेशों की बढ़ोत्तरी

एन.आई.टी. की क्रम संख्या 7 पर क्लॉज के आधार पर 18 फरवरी 2009 को दिए गए कांट्रेक्ट की उसी दर (₹ 1,127 पी.एस.एम.), शर्तों व निबंधनों के अंतर्गत एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने, मैसर्ज प्रोफ्लैक्स सिस्टम्ज, अहमदाबाद को 26 मार्च 2009, 5 फरवरी 2010 तथा 23 अप्रैल 2010 को क्रमशः 3, 8 तथा 11 गोदामों के निर्माण के लिए पुनः आदेश जारी किए। फर्म ने ₹ 9.52 करोड़ की कुल लागत पर उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध 20 गोदाम निर्मित किए। स्टैंडर्ड नार्मज के विरूद्ध, 18 फरवरी 2009 को किया गया एग्रीमेंट तीन बार अर्थात् मार्च 2009, फरवरी 2010 तथा अप्रैल 2010 को दोहराया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जनवरी 2009 में जारी एन.आई.टी. की क्लॉज 7 केवल 25 गोदामों को आवृत्त करते हुए प्रथम मूल आदेश जो 18 फरवरी 2009 को जारी किया गया था, के मामले में लागू था। दूसरे शब्दों में एच.एस.डब्ल्यू.सी. पहले मूल आदेश के अनुसार 25 गोदामों के निर्माण के लिए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मात्रा ज्यादा अथवा कम कर सकता था। मूल गोदामों से अधिक अतिरिक्त गोदामों के निर्माण के संबंध में नई निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थीं और ₹ 9.52 करोड़ के मूल्य के इन तीनों अवसरों पर आदेशों का जारी करना, कांट्रेक्ट देने के लिए स्थापित नार्मज के विरूद्ध था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने बताया कि यद्यपि प्रक्रियात्मक चूकें हुई लेकिन कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। वास्तव में निगम ने पुरानी दरों पर कार्य बढ़ाकर ₹ 26 लाख बचाए थे क्योंकि बाद में जब पुनः निविदा की गई तो उच्चत्तर दरें प्राप्त हुई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रिटेन्डरिंग की अवधि दोहराए गए टेंडरों की अवधि से बाद की थी और इसी कारण ये तुलना करने योग्य नहीं थी। कांट्रेक्ट देने के लिए स्थापित नार्मज के अनुसार इन मामलों में नए टेंडर आमंत्रित किए जाने चाहिए थे।

2.2.9.4 रोके हुए धन की निर्मुक्ति

18 फरवरी 2009 को दिए गए आरंभिक कार्य-आदेश की शर्तों एवं निबंधनों में प्रावधान था कि 80 प्रतिशत भुगतान कार्य की पूर्णता पर किया जाएगा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि, पूर्णता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पश्चात् क्रमशः पांच प्रतिशत, पांच प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दर पर, गोदामों की रूफिंग के कार्य के संतोषजनक निष्पादन के अध्याधीन, निर्मुक्त की जाएगी।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने ठेकेदार के अनुरोध (28 अक्तूबर 2009) पर, फरवरी 2010 तथा अप्रैल 2010 में दिए गए आदेशों के संबंध में, रोके गए धन की एवज में बैंक गारंटी स्वीकार कर ली जो कि 18 फरवरी 2009 को दिए गए आरंभिक कार्य आदेश के निबंधनों एवं शर्तो में विचलन था।

एच.एस.डब्लयू.सी. ने 18 फरवरी 2009 तथा 26 मार्च 2009 को दिए गए कार्य - आदेशों के अंतर्गत 20 प्रतिशत रोकी गई ₹ 1.64 करोड़ की राशि बैंक गारंटी की एवज में निर्मुक्त कर दी (जनवरी 2011) जिसके परिणामस्वरूप निगम ने ₹ 36.92 लाख की राशि के ब्याज की हानि उठाई (11 प्रतिशत ब्याज की दर पर)। इंगित किए जाने पर, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने ₹ 36.92 लाख वसूल कर लिए (जनवरी 2014)। विरोध में, कांट्रेक्टर फरवरी 2014 में इस वसूली के खिलाफ आरबीट्रेशन में चला गया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (मई 2014)। 5 फरवरी 2010 तथा 23 अप्रैल 2010 को दिए गए आदेशों के संबंध में निगम ने बैंक गारंटी स्वीकार की तथा किए गए कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत ₹ 1.70 करोड़ नहीं रोके जिसके परिणामस्वरूप निगम ने ₹ 42.08 लाख की ब्याज राशि संचित करने का अवसर छोड़ दिया।

2.2.9.5 श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती न करना

1998 के नियमों के साथ पठित, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 में अपेक्षित है कि निर्माण कंपनियां निर्माण लागत से श्रमिक कल्याण उपकर, जो एक प्रतिशत से कम न हो की दर पर लगाएं तथा कटौती करें और इसे श्रम कल्याण प्राधिकारियों के पास जमा करवाएं। यदि उपकर का भुगतान विनिर्दिष्ट तिथि के भीतर नहीं किया जाता तो अधिनियम में पेनल्टी, जो राशि से अधिक न हो तथा दो प्रतिशत प्रतिमाह, जिस माह के लिए राशि भुगतान न की गई है, की दर से ब्याज के लिए प्रावधान है।

निगम ने 2009 - 10 से 2012 - 13 तक ₹ 26.49 करोड़ की कुल लागत पर मैसर्ज प्रोफलैक्स सिस्टमज, अहमदाबाद और मैसर्ज नैक्सज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को प्रदान किए गए छः निर्माण ठेकों में श्रम कल्याण उपकर के रूप में ₹ 0.26 करोड़ की कटौती नहीं की। उपकर की कटौती न किए जाने के कारण भुगतान योग्य ब्याज एवं पेनल्टी ₹ 0.40 करोड़ (ब्याज ₹ 0.13 करोड़; पेनल्टी: 0.27 करोड़) बनती थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निगम ने 2009 - 10 से नवंबर 2013 तक की अवधि हेतु ठेकेदारों से ₹ 0.65 करोड़ के जुर्माने एवं ब्याज के साथ - साथ ₹ 0.41 करोड़ का श्रम उपकर वसूल किया तथा इसे श्रम कल्याण प्राधिकारियों के पास जमा करवा दिया (जनवरी 2014)। ठेकेदार[9] ने यद्यपि, वसूली को उच्च न्यायालय में चेलेंज किया जिसका निर्णय प्रतीक्षित था।

2.2.9.6 बानी में गोदाम के निर्माण पर परिहार्य व्यय

बानी में 2,500 एम.टी. क्षमता के गोदामों का निर्माण (छत बनाने को छोड़कर) 12 अगस्त 2010 तक पूर्ण किए जाने हेतु ₹ 0.73 करोड़ के लिए मैसर्ज नाथूसारी कलां सहकारी एल. एंड सी. सोसाइटी लिमिटेड को आबंटित किया गया (18 मार्च 2010)। बी.ओ.डीज ने देखा (28 सितंबर 2010) कि स्टोरेज स्थल की निःसंदेह आवश्यकता थी परंतु भविष्य में बाढ़ के कारण हानियों को कम करने हेतु बचाव के उपाय किए जाने थे और इसलिए ₹ 0.39 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ कार्य की पूर्णता को अनुमोदित कर दिया। ठेकेदार

---

9 मैसर्ज प्रोफलैक्स सिस्टम, अहमदाबाद।

ने 30 अगस्त 2011 को छत बनाने सहित ₹ 0.64 करोड़ की कुल लागत पर गोदाम के निर्माण का कार्य पूरा कर दिया।

नवनिर्मित गोदाम 30 अगस्त 2011 से अभी तक (मार्च 2013) अप्रयुक्त रहा। उसी कैंपस में पहले से निर्मित 5,000 एम.टी. के गोदाम भी बाढ़ की घटना (जुलाई 2010) के बाद अप्रयुक्त रहे। जब पहले से विद्यमान गोदाम खाली पड़े थे तब इस नए गोदाम के निर्माण पर ₹ 0.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि इन गोदामों की उपभोगिता के लिए निगम प्रयास कर रहा है तथा प्रेस में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। फिर भी, लेखापरीक्षा ने देखा कि विज्ञापन जनवरी 2012 में जारी किए गए थे और तब से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

2.2.9.7 परियोजनाओं की पूर्णता में देरी के कारण हानि

ठेके की शर्तों के अनुसार काम के निष्पादन में देरी/खराबी होने पर प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर पर जुर्माना लगाया जाता है। निगम ने सभी मामलों में जुर्माना लगाए बिना एक्सटेंशन प्रदान कर दी जबकि कार्यो में देरी हुई थी। ऐसे मामलों में जुर्माना, निगम के गोदामों के लिए ₹ 5.60 करोड़ तथा एफ.एस.डी. और एच.ए.आई.सी. के 2008-09 से 2012-13 की अवधि में निर्मित गोदामों के लिए ₹ 2.14 करोड़ परिकलित किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि निर्माण कार्यों की पूर्णता में देरी का मुख्य कारण राज्य में माइनिंग पर बैन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रतिबंध 1 मार्च 2010 से लगाया गया था और जिनपर जुर्माना नहीं लगाया गया उन परियोजनाओं, में वे परियोजनाएं भी शामिल थीं जो 2008-09 और 2009-10 के वर्षो से संबंधित थी। यहां जुर्माने की गणना में अन्य राज्यों से सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु 90 दिनों का बचाव समय भी प्रदान किया गया था।

2.2.10 एक्सटेंशन सेवाएं

निगम का मुख्य उद्देश्य स्टोरेज के दौरान हानियों को कम करने हेतु खाद्यान्नों के लिए वैज्ञानिक स्टोरेज प्रदान करना है। स्टोरेज में हानियों से बचने के लिए खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त नए तरीकों/तकनीकों के बारे में किसानों को अवगत कराने के विचार से, निगम फार्मरज एक्सटेंशन सेवा स्कीम (एफ.ई.एस.एस.) और डिसइनफेस्टेशनज एक्सटेंशन सर्विस स्कीम (डी.ई.एस.एस.) चला रही थी। एफ.ई.एस.एस. के अंतर्गत, वेयरहाउस का स्टाफ किसानों को उनकी उपज के वैज्ञानिक स्टोरेज की प्रक्रिया से परिचित करवाने के लिए आस-पास के/समीपवर्ती गांवों में दौरा करता है। मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षो की अवधि के दौरान, निगम ने 2,668 गांवों का दौरा किया और 28,970 किसानों को शिक्षित किया। तथापि, स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगम द्वारा फील्ड इकाइयों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

डी.ई.एस.एस. के अंतर्गत, निगम द्वारा किसानों, सहकारी समितियों, मिल मालिकों और अन्यों को आंशिक दरों पर उनके घर पर पेस्ट कंट्रोल सेवा प्रदान की जानी थी। हमने अवलोकित किया कि निगम ने 2007-08 और 2008-09 के दौरान तो ₹ 0.18 करोड़ प्रतिवर्ष के राजस्व का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था परंतु यह 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 0.15 करोड़ के कम राजस्व के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में विफल रहा। इस तथ्य के बावजूद कि 1 जनवरी 2009 से दरें बढ़ चुकी थी, यह कमी 12 से 18 प्रतिशत के बीच रही।

2.2.11 केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों का प्रापण

2.2.11.1 राज्य सरकार ने निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय पूल के लिए राज्य सरकार द्वारा आबंटित विभिन्न मंडियों से खाद्यान्नों के प्रापण के लिए एजेंसियों में से एक घोषित किया है। इस प्रकार प्राप्त खाद्यान्न एफ.सी.आई. को सुपुर्द किए जाते हैं (नीति के अनुसार, एफ.सी.आई. को सुपुर्द करने से पहले धान की मिलिंग की जाती है और चावल में परिवर्तित किया जाता है) तथा प्रत्येक फसल के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अस्थाई आर्थिक लागत पर आधारित प्रापण क्रियाओं पर निगम द्वारा व्यय की गई लागत (एम.एस.पी. और इंसीडेंटलज सहित) की एफ.सी.आई. द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। अंतिम लागत का निर्धारण बाद में किया जाता है और उसके अनुसार समायोजन किए जाते हैं। निगम द्वारा गेहूं, धान और बाजरा के प्रापण और सुपुर्दगी पर टिप्पणियां परवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित हैं।

2.2.11.2 गेहूं

निगम को पूरे राज्य के कुल प्रापण लक्ष्य का 9-10 प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया गया था। मार्च 2013 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान, गेहूं प्रापण की प्रतिशतता राज्य के कुल प्रापण में 8.86 से 9.81 के बीच रही।

2.2.11.3 उचित औसत गुणवत्ता से इतर गेहूं के प्रापण के कारण हानि

निगम द्वारा उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) वाले खाद्यान्नों का प्रापण किया जाना अपेक्षित था। एफ.सी.आई. ने 2009 में यमुनानगर मंडी से 6,098 क्विंटल गेहूं की सुपुर्दगी के लिए ₹ 0.34 करोड़ की कटौती की क्योंकि प्रेषित स्टाक एफ.ए.क्यू. के अनुसार नहीं था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. का विचार था कि प्रापण के दौरान मंडी में प्रापण ड्यूटी पर तैनात निगम स्टाफ को अधिक सचेत होना चाहिए।

2.2.11.4 कैरी ओवर प्रभारों की प्रतिपूर्ति न करना

गेहूं की सुपुर्दगी के लिए, निगम को लिंकेज योजना के साथ समय-समय पर एफ.सी.आई. द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन करना था जिसमें विफल होने पर कैरी ओवर प्रभारों की एफ.सी.आई. द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई। एफ.सी.आई. ने एफ.सी.आई. गोदामों को मई और जून 2011 में 1,250 एम.टी., 2,500 एम.टी. और 3,000 एम.टी. गेहूं की सुपुर्दगी के लिए तीन लिंकेज योजनाएं दीं। गेहूं की डिलीवरी 30 जून 2011 तक दी जानी थी। 3,000 एम.टी. की अंतिम लिंकेज योजना के विरूद्ध सुपुर्द न की गई 1,197 एम.टी. गेहूं के लिए ₹ 0.22 करोड़ के कैरी ओवर प्रभारों की एफ.सी.आई. ने कटौती की जोकि निगम को हानि थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि अधिकांश स्टाक एफ.सी.आई. को लिंकेज प्लान के अनुसार ही डिलीवर किया गया था और निगम ने कैरीओवर चार्जेज की प्रतिपूर्ति के लिए मामला एफ.सी.आई. के साथ उठाया था। तथापि, तथ्य रहता है कि निगम, एफ.सी.आई. द्वारा दी गई लिंकेज प्लान का अनुपालन नहीं कर सका।

2.2.11.5 गेहूं पर बोनस की प्रतिपूर्ति न करना

रबी 2011 के प्रापण सीजन के दौरान, निगम ने 6.14 लाख एम.टी. गेहूं प्राप्त किया तथा ₹ 50 प्रति क्विंटल के बोनस का भुगतान किया। एफ.सी.आई. द्वारा प्रापण एजेंसी को बोनस की

प्रतिपूर्ति इस आशय के प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर की जाती है कि संबंधित किसानों को बोनस का भुगतान कर दिया गया था। प्रमाण-पत्र में किसान का नाम, खरीद की तिथि, भुगतान का ढंग और चैक संख्या/कैश वाउचर विवरण इत्यादि इंगित होने चाहिए। तथापि, एफ.सी.आई. ने उचित दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 8.70 करोड़ के बोनस की प्रतिपूर्ति नहीं की थी, जिस पर जुलाई 2011 से मार्च 2014 तक ₹ 2.55 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि गेहूं आढ़तियों के माध्यम से प्राप्त किया गया था और एफ.सी.आई. से दावों की प्रतिपूर्ति के लिए, उनसे दस्तावेज एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2.11.6 स्टॉक्स का बीमा न होने के कारण हानि

पंजाब वेयरहाउसिज अधिनियम, 1957 की धारा 18 (हरियाणा में भी लागू) के अंतर्गत स्टॉक्स का अग्नि, बाढ़ और चोरी के खतरे के विरूद्ध बीमा करवाया जाना अनिवार्य है। निगम, प्रीमियम की भारी दर के कारण गोदामों में और खुले चबूतरों पर स्टोर किए स्टाक के संबंध में आग, बाढ़ के खतरे के विरूद्ध बीमा कवर नहीं करवा रहा था परंतु इस प्रकार देय प्रीमियम के बराबरी की राशि प्रत्येक वर्ष निगम के लाभों से विनियोजित की जाती थी और निगम के स्वयं क्षतिपूरण निधि में रखी जाती थी जो खतरे को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 31 मार्च 2013 को निगम के पास ₹ 810.71 करोड़ के गेहूं का स्टॉक था जिसके विरूद्ध स्वयं क्षतिपूरण निधि केवल ₹ 34.91 करोड़ (4.31 प्रतिशत) थी। बीमा न करवाने के कारण, निगम ने बाढ़ और वर्षा के कारण ₹ 6.64 करोड़ मूल्य का स्टॉक खराब होने से हानि उठाई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. इससे सहमत हुए तथा बताया कि अतिरिक्त फंड के सृजन और चुनिंदा बाढ़ प्रवण गोदामों के बीमा के मामले की समीक्षा की जाएगी एवं तदनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

2.2.11.7 धान

धान की समय पर कुटाई और एफ.सी.आई. को चावल की डिलीवरी के लिए निगम मिल मालिकों से अनुबंध करता है। निगम, मिल मालिकों के परिसर में निगम और मिल मालिक की संयुक्त निगरानी में धान को स्टोर करता है। मार्च 2013 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान, निगम ने क्रमश: 0.67 लाख एम.टी., 0.90 लाख एम.टी., 1.45 लाख एम.टी., 2.31 लाख एम.टी. और 3.28 लाख एम.टी. धान का प्रापण किया। निगम ने 2011-12 तक चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रापण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था और कमी 21 से 62 प्रतिशत के बीच थी।

धान से संबंधित अभिलेख की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

2.2.11.8 मंडी श्रम प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण हानि

इंसीडेंटल प्रभारों में मंडी में भराई, तुला पर बोरी रखना, तुला से बोरियां उतारना, बोरियों की सिलाई, मार्का और मिल मालिक के परिसर में स्टोरेज के लिए ट्रकों में लादने हेतु किए गए खर्चों के लिए मंडी लेबर चार्जिज (एम.एल.सी.) शामिल होते हैं।

2012-13 के दौरान भारत सरकार ने फसल वर्षों 2003-04 से 2007-08 के लिए धान/सी.एम.आर. के इंसीडेंटल को अंतिम रूप दिया तथा एम.एल.सीज ₹ 6.52 और ₹ 9.18 प्रति क्विंटल के बीच रहा। हमने देखा कि निगम ने ₹ 9.75 और

₹ 21.48 प्रति क्विंटल के रेंज में एम.एल.सीज पर वास्तविक व्यय की गणना की और ₹ 3.50 करोड़ की हानि उठाई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में व्यय के नियंत्रण की जरूरत है।

2.2.11.9 बोनस दावों के विलंबित प्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

के.एम.एस. 2008-09 के दौरान धान प्रापण के मार्गनिर्देशों में, निर्धारित प्रोफार्मा में आढ़तियों से प्राप्त दावे की प्राप्ति पर, ₹ 50 प्रति क्विंटल के बोनस के भुगतान का प्रावधान था। निगम के अंबाला और फतेहाबाद सर्कलों ने आढ़तियों/बिलिंग सह-भुगतान एजेंटों (बि.स.भु.ए.) को ₹ 2.92 करोड़ (जनवरी/फरवरी 2009 के दौरान ₹ 2.43 करोड़ और सितंबर 2008 से जनवरी 2009 के दौरान ₹ 49.67 लाख) बोनस पर भुगतान किए, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए बिल मार्च 2010 में देरी से संशोधित किए गए। एफ.सी.आई. ने बोनस का भुगतान अप्रैल 2010 में किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था। उत्तर लेखापरीक्षा के कथनों को वैधता देता है।

बाजरा

2.2.11.10 अवमानक बाजरा के प्रापण के कारण हानि

राज्य सरकार द्वारा खरीफ मार्किटिंग सीजन (के.एम.एस.) 2009-10 के लिए बाजरा के प्रापण के लिए जारी मार्गनिर्देशों (22 सितंबर 2009) में प्रावधान था कि बाजरा, जिसने एफ.ए.क्यू. मानकों को पूरा नहीं किया, न तो केंद्रीय पूल के लिए लिया जाएगा और न ही एफ.सी.आई द्वारा निपटाया जाएगा।

भारत सरकार ने एफ.ए.क्यू. स्पेसीफिकेशनज के बाजरा के संबंध में एम.एस.पी. ₹ 840 प्रति क्विंटल और प्रोविजनल इंसीडेंटल ₹ 164.06 (₹ 1,004.06 की कुल अस्थाई आर्थिक लागत) प्रति क्विंटल निर्धारित किए। के.एम.एस. 2009-10 के दौरान निगम ने 14,381 एम.टी. बाजरे का प्रापण किया जो कि एफ.ए.क्यू. स्पेसिफिकेशन से नीचे था और एफ.सी.आई. ने उसकी डिलीवरी नहीं ली। तत्पश्चात् निगम ने इसकी नीलामी ₹ 965 प्रति क्विंटल की दर पर कर दी और ₹ 0.56 करोड़ की हानि उठाई।

इसी प्रकार, निगम ने के.एम.एस. 2010-11 के दौरान 21,518 एम.टी. बाजरे का प्रापण किया। चूंकि बाजरे का यह स्टाक एफ.ए.क्यू. स्पेसीफिकेशनज से कम था, निगम को 3,786.68 एम.टी. बाजरा ₹ 1,021 से ₹ 1,031 प्रति क्विंटल की दर पर और 17,731.78 एम.टी., ₹ 1,135 से ₹ 1,177 प्रति क्विंटल की दर पर बेचना पड़ा (मई 2012/जुलाई 2012)। यद्यपि औसत वसूल की गई लागत (₹ 1,090.76 प्रति क्विंटल) प्रोविजनल आर्थिक लागत (₹ 1,061.44 प्रति क्विंटल) से अधिक थी और निगम ने ₹ 0.63 करोड़ अर्जित किए, परंतु निगम ने ₹ 4.05 करोड़ स्टोरेज और ब्याज प्रभार के ऊपर व्यय किए। इस प्रकार निगम ने इस ट्रांजेक्शन पर ₹ 3.42 करोड़ (₹ 4.05 करोड़-₹ 0.63 करोड़) की हानि उठाई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने बताया कि बाजरे की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और एफ.सी.आई. ने बाजरे की डिलीवरी नहीं ली थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने अपेक्षित स्पेसिफिकेशनज के अनुसार बाजरे का प्रापण नहीं किया था।

2.2.12 मानव शक्ति

राज्य सरकार द्वारा निगम के स्टाफ की पुनर्संरचना अगस्त 2003 में अनुमोदित की गई थी। 2012-13 तक गत पांच वर्षों के दौरान निगम की विस्तृत स्टाफ स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.2.3

श्रेणी	स्वीकृत स्थिति	31 मार्च को तैनात मानव				
		2009	2010	2011	2012	2013
ग्रुप क	10	7	8	9	6	5
ग्रुप ख	21	13	14	13	14	14
ग्रुप ग	707	425	534	511	470	434

ऊपर की तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2013 को ग्रुप 'क' के 5 पद, ग्रुप 'ख' के 7 पद और ग्रुप 'ग' के 273 पद रिक्त थे। ग्रुप 'क' और 'ख' में मुख्य रिक्तियां प्रबंधक (एस. एंड टी.), प्रबंधक (बिजनेस), कानूनी सलाहकार, वरिष्ठ डी.एम., डी.एमज, एस.डी.ई. (सी.) और डी.एम. (क्यू.सी.) के पदों की थी। इसी प्रकार, ग्रुप 'ग' में, मुख्य रिक्तियां प्रबंधकों, तकनीकी सहायक (टी.ए./कनिष्ठ टी.ए.), गोदाम कीपरों तथा लेखाकारों की थी। हमने देखा कि प्रबंधकों, टी.एज/जे.टी.एज तथा लेखांकन स्टाफ के पदों की अनुपस्थिति में खाद्यान्नों के प्रापण तथा संग्रहण एवं उनके लेखांकन से संबंधित कार्य फील्ड में सर्कल कार्यालयों के कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा देखा जा रहा था। प्रबंधन सूचना प्रणाली को तैयार करने के लिए डाटाबेस यद्यपि निगम द्वारा विकसित किया गया था, फिर भी मानव शक्ति तथा मूलभूत संरचना के अभाव के कारण अभी तक उसे प्रयोग में नहीं लाया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने कहा कि सभी स्तरों पर रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं परंतु इसमें कुछ समय लगेगा।

2.2.13 आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.13.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए एक प्रबंधन-साधन है कि प्रबंधन के उद्देश्य दक्षता, प्रभावी और नियमित तरीके से प्राप्त किए जा रहे हैं। फिर भी लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नानुसार दर्शाया:

- निगम के पास विद्यमान प्रणालियों और प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर, कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विर्निदिष्ट करते हुए, लेखाओं, क्रय, निर्माण और लेखापरीक्षा कार्यों के लिए कोई मैनुअल नहीं था;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं निगम की गतिविधियों की आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा, वार्षिक लेखाओं पर उनके प्रतिवेदनों में इस पर, बार-बार टिप्पणी भी दी गई थी;
- एफ.सी.आई. से देयों का समय पर दावा प्रस्तुत करने की प्रणाली का निगम में अभाव था।
- हरियाणा वेयरहाउसिंग सामान्य विनियम, 1981 (विनियम 3) के अनुसार निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) तथा कार्यकारी समिति (ई.सी.), प्रत्येक की एक वर्ष में कम से कम

चार बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित थी। तथापि, मार्च 2013 तक गत पांच वर्षों में प्रत्येक की अपेक्षित 20 बैठकों के विरूद्ध बी.ओ.डी. तथा ई.सी. ने क्रमशः 17 तथा 13 बैठकें ही की थीं।

- अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के दौरान केवल एक एम.डी. ने तीन वर्षों की अवधि पूर्ण की जबकि अन्य तीन एम.डीज का कार्यकाल चार दिन से 29 महीने के बीच रहा था।

2.2.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा सैल 1983-84 से कार्य कर रहा था तथापि निगम ने न कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार किया था न ही आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा की जाने वाली जांच का कार्यक्षेत्र और सीमा निर्धारित की थी। मुख्यालय, जहां मुख्य निर्णय लिए जाते हैं, का आंतरिक लेखापरीक्षा कभी नहीं किया गया। 2011-12 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान, 115 वार्षिक इकाईयों में से कुल 72 फील्ड इकाईयों का आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया। 2011-12 के दौरान 107 में से केवल एक वेयरहाउस (अंबाला शहर) का लेखापरीक्षा किया गया और 2009-10 से किसी डी.एम. कार्यालय का लेखापरीक्षा नहीं किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टस नकद, स्टोरेज बिल्ज और लेखा पुस्तिकाओं के रख-रखाव जैसे क्षेत्रों तक प्रतिबंधित रही।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान एम.डी. ने निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

निगम ने, राज्य सरकार को वर्ष 2010-11 से 2012-13 की वार्षिक रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टस, राज्य विधायिका को प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेषित नहीं की थी। इसने अपने लेखे स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों/मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए थे। 2008-09 से गेहूं और गनी बैगज के समापन स्टॉकस के मूल्य का भौतिक शेषों से मिलान नहीं किया गया। निगम द्वारा तैयार किए गए पूंजीगत बजट तथा वार्षिक बजट भूमि की उपलब्धता से संबद्ध नहीं थे। निगम ने वर्ष 2012-13 के दौरान हानि उठाई थी। निगम ने अपना निष्पादन जानने के लिए प्रत्येक वेयरहाउस की लाभप्रदता परिकलित नहीं की। 2012-13 तक गत चार वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले वेयरहाउस 6 से 15 के बीच थे। निगम ने राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों से अपने दीर्घकाल से बकाया स्टोरेज प्रभार के देयों की वसूली के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए थे, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। गॉल्वाल्यूम शीटस के साथ गोदामों की रूफिंग के निर्माण के ठेकों को देने में अनियमितताएं देखी गई। गोदामों के निर्माण के लिए कार्य-आदेशों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में निगम विफल रहा तथा कार्यों के विलंबित समापन के लिए ठेकेदारों पर पेनल्टी नहीं लगाई गई। बोनस की प्रतिपूर्ति के लिए एफ.सी.आई. को वांछित दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप निगम को ब्याज की हानि हुई। निगम ने बाढ़ और वर्षा से स्टॉक्स की क्षति के कारण हानि उठाई। 2011-12 तक चार वर्षों में धान के प्रापण लक्ष्य प्राप्त करने में कमी थी। निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां थी।

सिफारिशें

निगम विचार कर सकता है कि:

i) लेखांकन सिद्धांतों तथा लेखांकन मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार हो तथा गेंहू और गनीबैग्ज के समापन स्टॉक के मूल्य के मिलान के लिए टाइमफ्रेम निश्चित हो;

ii) बेहतर नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु अपने प्रत्येक गोदाम के लिए उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु ब्रेकइवन प्वांइट निर्धारित हो;

iii) ठेके देने के लिए स्थापित मानकों का अनुपालन करना तथा अपनी निर्माण गतिविधियों में अनुबंधात्मक शर्तों को लागू किया जाए; तथा

iv) मैनुअल्ज को तैयार कर, एफ.सी.आई. के साथ दावों का समय पर अनुसरण कर, बी.ओ.डीज की नियमित बैठकें आयोजित कर तथा नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा करके अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ किया जाए।

अध्याय 3

लेन – देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय 3

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

राज्य की सरकारी कंपनियों के लेन-देनों की नमूना-जांच से प्रकट महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल किए गए हैं।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 परिहार्य व्यय

साइड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में देरी के कारण कोयले की दुबारा बुकिंग में ₹ 3.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने पानीपत स्थित पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) और यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) को प्रतिवर्ष 50.90 लाख[1] टन कोयले की आपूर्ति के लिए सैंट्रल कोलफील्डज लिमिटेड (सी.सी.एल.), रांची के साथ जुलाई 2009 में एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट (एफ.एस.ए.) पर हस्ताक्षर किया। एग्रीमेंट में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि कंपनी अपने स्वयं के पावर प्लांट के लिए अभिप्रेत कोयले को कंपनी के पूर्णरूप से स्वामित्व वाले अन्य पावर प्लांट को, रेलवे को अतिरिक्त परिवहन लागत का भुगतान करके दुबारा बुकिंग के माध्यम से हस्तांतरण कर सकती थी तथा इस उद्देश्य के लिए एक साईड एग्रीमेंट किया जाना अपेक्षित था।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर के यूनिट-II और I क्रमश: 25 सितंबर 2011 तथा 31 मार्च 2012 को ट्रिप हो गए तथा बंद हो गए और उनके लंबे समय तक बंद रहने की संभावना थी (यूनिट-II के लिए लगभग छ: मास तथा यूनिट-I के लिए चार मास)। इस अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर पर कोयले की कोई आवश्यकता न होने के कारण कंपनी ने रेलवे प्राधिकारियों के माध्यम से कोयला रेकस डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर से राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (आर.जी.टी.पी.पी.) खेदड़, हिसार को विपथित करवा दिए।

कंपनी ने साईड एग्रीमेंट किए बिना कोयला रेकस रेलवे के माध्यम से विपथित करवा लिए और अप्रैल से जुलाई 2012 के दौरान कोयले की दुबारा बुकिंग पर ₹ 14.47 करोड़ का व्यय कर दिया। बाद में, कंपनी ने कोलियरी हेड से आर.जी.टी.पी.पी., हिसार को कोयले की सीधी आपूर्ति के लिए सितंबर 2012 में साईड एग्रीमेंट किया।

इस प्रकार, यदि कंपनी ने साईड एग्रीमेंट जनवरी 2012 में किया होता तो यह आर.जी.टी.पी.पी., हिसार पर कोयला सीधा सी.सी.एल. से मार्च 2012 तक प्राप्त कर सकती थी और अप्रैल से जुलाई 2012 के दौरान रेलवे को ₹ 3.07 करोड़[2] के री-बुकिंग प्रभार/व्यय[3] का भुगतान करने से बच सकती थी।

---

1 पी.टी.पी.एस. 22.90 लाख टन और डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर 28 लाख टन।

2 ₹ 3.07 करोड़ = (₹ 2,194.42 - ₹ 2,100.57) x 3,27,387.90 टन कोयला।

3 डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर से आर.जी.टी.पी.पी. हिसार को री-बुकिंग लागत सहित औसत ढुलाई प्रभार घटा कोलियरी से आर.जी.टी.पी.पी. हिसार को औसत ढुलाई प्रभार।

एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि मरम्मत के बाद यूनिट-II को जुलाई 2012 तक दुबारा चालू किए जाने की संभावना थी इस लिए बाद में कोयले की आवश्यकता को ध्यान में रखकर साईड एग्रीमेंट नहीं किया गया था। तथापि, हमारा विचार है कि यूनिटस की लंबे समय तक (कार्य आदेश की तिथि से यूनिट-II लगभग छः महीने और यूनिट-I चार महीने तक) बंद रहने की संभावना थी और इस अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर में कोयले की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कंपनी को, सी.सी.एल. के साथ हस्ताक्षर किए गए एम.ओ.यू. के अनुसार, कोयले की दुबारा बुकिंग पर अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए साईड एग्रीमेंट करना चाहिए था।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (मई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.2 *अतिरिक्त व्यय*

निम्नतम दरों की उपेक्षा करके दुबारा टेंडर के लिए हाई पावर परचेज कमेटी के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 6.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने ₹ 59.08 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ टर्नकी आधार पर 33 के.वी. के 23 नए सब-स्टेशनों (एस.एसज) के निर्माण के लिए पांच टेंडर इनक्वायरीज (क्र.सं. 126 से 130) आमंत्रित की (जून 2010)। 23 फर्मों ने टेंडर में भाग लिया तथा निम्नतम बिडर की स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.1

क्र.सं.	टेंडर इनक्वायरी संख्या	आपरेशन सर्कल्ज के नाम	एस.एसज की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	एल-1 फर्म का नाम	एल-1 की दर (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत से एल-1 की कम लागत (प्रतिशत में)
1.	126	सिरसा	5	13.33	मैसर्ज सैंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	11.86	11.03
2.	127	सिरसा	5	13.07	मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	12.06	7.73
3.	128	भिवानी	3	12.24	मैसर्ज सैंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड	10.25	16.26
		हिसार	2				
4.	129	गुड़गांव	2	8.09	मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	7.71	4.70
		नारनौल	1				
5.	130	हिसार	5	12.35	मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	11.44	7.37

पावर यूटिलिटी लेवल हाई पावर परचेज कमेटी (एच.पी.पी.सी.) ने मोल-भाव के लिए एल-I बिडर्ज को आमंत्रित किया (27 अक्तूबर 2010) और काउंटर आफर दिए। एल-I बिडर्ज ने टेंडर इनक्वायरी नं. 126 तथा 128 के लिए क्रमशः ₹ 9.98 करोड़ तथा ₹ 8.98 करोड़ के काउंटर ऑफर स्वीकार किए जो कि अनुमानित लागत से 25 प्रतिशत कम थे और कंपनी ने 10 एस.एसज़ के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए। मोल-भाव के बाद बाकी

तीन टेंडर इनक्वायरीज़ के संबंध में एल-I बिडर (मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3.2

क्र.सं.	टेंडर इनक्वायरी संख्या	सर्कल के नाम	एस.एसज की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	न्यूनतम स्वीकार्य दर (₹ करोड़ में)	न्यूनतम स्वीकार्य दर तथा अनुमानित लागत के बीच अंतर (प्रतिशत में)
1.	127	सिरसा	5	13.07	10.51	19.58
2.	129	गुड़गांव	2	8.09	6.63	18.05
		नारनौल	1			
3.	130	हिसार	5	12.35	10.03	18.78
	योग		**13**	**33.51**	**27.17**	

चूंकि मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एल-I ने उपरोक्त तीन टेंडरिंग इंक्वायरिज़ के लिए 25 प्रतिशत से नीचे मूल्य घटाने की एच.पी.पी.सी. की काउंटर आफर स्वीकार नहीं की थी, कंपनी ने, 21 एस.एसज़ के निर्माण के लिए संख्या 136 से 138 तक तीन टेंडर इनक्वायरीज (छोड़ी हुई टेंडर इंक्वायरीज संख्या 127, 129 और 130 की 13 एस.एसज़ सहित) को दुबारा आमंत्रित (फरवरी 2011) किया। कार्य एल-I बिडर (मैसर्ज शाम इंडस पावर सौल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली) को ₹ 54.85 करोड़ पर सौंप दिया गया जो कि पहले छोड़े गए 13 एस.एसज की लागत के लिए आनुपातिक रूप से ₹ 33.53 करोड़[4] परिकलित किया गया। दोबारा टेंडर करने की लागत ₹ 33.53 करोड़, मूलरूप से प्राप्त टेंडर की लागत ₹ 27.17 करोड़ से ₹ 6.36 करोड़ अधिक है। जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार अनुमानित लागत से 25 प्रतिशत कम मूल्य प्राप्त करने के लिए टेंडर दोबारा आमंत्रित करने का निर्णय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

एग्जिट कान्फ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि पांच टेंडर इन्क्वायरिज में से दो में (टेंडर इक्वायरिज संख्या, 126 और 128) में एल-I फर्म ने मोल-भाव के दौरान अपने मूल्य अनुमानित लागत से 25 प्रतिशत कम कर दिए थे और इस प्रकार कंपनी ने शेष तीन टेंडर इंकवायरीज सं. 127, 129 और 130 के संबंध में भी री-टेंडरिंग के दौरान निम्नतर दरों का पूर्वानुमान किया था। तथापि, हमारा विचार है कि चूंकि रीटेंडरिंग के बाद निम्नतर दरें प्राप्त करने की कोई निश्चितता नहीं थी क्योंकि खुली टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही प्रतियोगी दरें प्राप्त की जा चुकी थी, रिटेंडरिंग अनावश्यक थी।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (मई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

---

4 यह आंकड़े रिटेंडरिंग के अनुसार (माल लागत: स्थापन प्रभार, लाइन्ज और सिविल कार्यो की लागत सहित) एक एस.एस. की लागत के आधार पर वर्क आउट किए गए थे।

3.3 कम बीमा के कारण हानि

ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप, फरीदाबाद में पड़ी कंबस्टिबल इंवेंटरी के कम बीमा के कारण ₹ 38.12 लाख की हानि।

कंपनी ने एक घोषणा नीति[5] के अंतर्गत, अपने भंडारों और वर्कशापस में कंबस्टिबल इंवेंटरी का आग और चोरी के विरूद्ध बीमा करवाया (फरवरी 2004) जिसमें न केवल वर्तमान कंबस्टिबल इंवेंटरी, बल्कि पॉलिसी अवधि के दौरान कंबस्टिवल इंवेंटरी में वृद्धि को भी आवृत्त किया गया था। इसके लिए कंपनी द्वारा बीमाकर्ता को जोखिम में स्टॉक के अधिकतम मूल्य की औसत पर आधारित मासिक घोषणाएं भेजा जाना अपेक्षित था। औसत इंवेंटरी, तकनीकी अनुभाग द्वारा, स्टोर्ज और ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप्स (टी.आर.डब्ल्यूज) से प्राप्त जानकारी के अनुसार संकलित मासिक विवरणियों के आधार पर ली जानी थी।

मार्च 24, 2011 को टी.आर.डब्ल्यू, फरीदाबाद में आग की एक घटना हुई और ₹ 9.43 करोड़ की कुल सामग्री में से ₹ 65.34 लाख मूल्य की सामग्री नष्ट हो गई (23 मार्च 2011)। ₹ 15.80 लाख के नष्ट सामग्री के बचाव मूल्य को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी ने ₹ 11.42 लाख के दावे को स्वीकार किया तथा कंपनी को भुगतान कर दिया (मार्च 2012)। यद्यपि 2009-10 के दौरान इंवेटरी का अधिकतम मूल्य ₹ 10.59 करोड़ था (दिसंबर 2009) फिर भी कंपनी ने केवल तीन मदों अर्थात् ट्रांसफार्मर तेल, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरस तथा मरम्मत किए ट्रांसफार्मरस के लिए ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की बीमा पालिसी प्राप्त की (जून 2010) जबकि टी.आर.डब्ल्यू. फरीदाबाद में ₹ 9.02 करोड़ के मूल्य की सामग्री पड़ी थी (मई 2010)। इस प्रकार कम बीमा के कारण कंपनी ने ₹ 38.12 लाख की हानि उठाई। हमने नोटिस किया कि कंपनी केवल ₹ 0.15 लाख के अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके मालसूची के कुल मूल्य (₹ 10.59 करोड़) का बीमा कवर प्राप्त कर सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013) अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि कम बीमा के कारण कंपनी ने प्रीमियम पर पर्याप्त राशि बचा ली थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी टी.आर.डब्ल्यू., फरीदाबाद में इंवेटरी के समग्र मूल्य के लिए बीमा पालिसी लेने के लिए केवल ₹ 0.15 लाख का अतिरिक्त बीमा प्रीमियम देकर ₹ 38.12 लाख बचा सकती थी।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जून 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

---

[5] घोषणा नीति के अंतर्गत, माह के प्रत्येक दिन के औसत जोखिम मूल्य अथवा माह के दौरान उच्चतम जोखिम मूल्य पर आधारित समायोजनों पर प्रीमियम का रिफंड, बीमा की गई राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक, स्वीकार्य होगा। पुनः यदि स्टॉक का अधिकतम मूल्य बीमा की गई राशि के मूल्य से बढ़ जाता है तो कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, परन्तु दावे की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.4 *बिजली प्रभारों के कारण बकायों का संचय*

बकाया देय अप्रैल 2008 में ₹ 1,406.32 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 2,532.36 करोड़ हो गए। ₹ 721.56 करोड़ की अग्रिम खपत जमा जनवरी 2014 को उपभोक्ताओं के विरूद्ध अभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। कनेक्टिड चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में कुल उपभोक्ताओं के 17.57 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.39 प्रतिशत हो गई थी। चोरी के मामलों में कंपनी ने ₹ 11.78 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.17 करोड़ के जुर्माने की वसूली की।

कंपनी के मुख्य कार्यालय तथा रैंडम संख्या तालिकाओं का प्रयोग करके रिप्लेसमेंट के बिना 'प्रोबेबिलीटी परपोर्शनल टू साईज' के सैंपलिंग तरीके के आधार पर चयनित तीन आपरेशन सर्कलज[6] में नौ[7] आपरेशन उप-डिवीजन (यूनिटस) में कंपनी के बिजली प्रभारों से संबंधित बकाया देयों की संवीक्षा ने, वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान, वर्ष के प्रारंभ में लंबित बकायों, वर्ष के दौरान बिल किए गए राजस्व और वसूल की गई राशि और वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष के निम्नलिखित विवरण दर्शाए:

तालिका 3.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	1406.32	1543.52	1720.25	1909.25	2191.51
2	वर्ष के दौरान बिल किया गया राजस्व	2205.52	2473.06	3087.70	3615.04	4492.14
3	वसूली के लिए कुल देय राशि (1+2)	3611.84	4016.58	4807.95	5524.29	6683.65
4	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	2062.67	2296.33	2898.70	3332.78	4151.29
5	वर्ष के दौरान वसूल न किए गए समायोजित सरचार्ज की राशि	5.65	-	-	-	-
6	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष[3-(4+5)]	1543.52	1720.25	1909.25	2191.51	2532.36

बकाया शेष राशि अप्रैल 2008 में ₹ 1,406.32 करोड़ से मार्च 2013 में ₹ 2,532.36 करोड़ तक बढ़ गई, फलस्वरूप ऋणियों में ₹ 1,126.04 करोड़ (80.07 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

जल्द वसूली के लिए एक संपोषित अभियान आरंभ करके राजस्व संग्रहण के दक्ष तरीके लागू करने की अत्यंत आवश्यकता है।

एडवांस कंजम्पशन डिपोजिट की रिवीजन न करना (ए.सी.डी.)

इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, 2003 (अधिनियम) के प्रावधानों और एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी सक्षम बनाने वाले विनियमों के अनुसार, डिस्कोमज़ विभिन्न वर्गों[8] के उपभोक्ताओं के चार/दो[9] महीने के विद्युत खपत प्रभारों के बराबर ए.सी.डी. वसूल कर सकते हैं। डिस्कोमज समय पर बिजली

---

[6] करनाल, झज्जर और जींद।

[7] तरावड़ी, निसिंग, असंध, सब/अर्बन झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, एस./यू.एस./डी. जींद, जुलाना और गढ़ी।

[8] द्विमासिक बिलिंग श्रेणी-डी.एस., मासिक बिलिंग श्रेणी-एन.डी.एस., औद्योगिक, ए.पी. और सरकारी।

[9] चार मास जहां दो मास की विलिंग हो तथा दो मास जहां मासिक बिलिंग हो।

शुल्कों के भुगतान न होने के मामले में बिजली कनेक्शन बंद करने और बकाया देयों को ए.सी.डी. राशि से समायोजित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

कंपनी ने ए.सी.डी. के संशोधन के लिए सेल्ज सर्कुलर जारी किया (7 जुलाई 2006) जिसमें ए.सी.डी. की दो समीक्षाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, पहला 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक 12 मास की खपत के आधार पर और दूसरा घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की अगली समीक्षा चार वर्षों के बाद और अन्य वर्गों के लिए तीन वर्षों के बाद।

उपर्युक्त समीक्षाएं नहीं की गई तथा अतिरिक्त ए.सी.डी. मार्च 2012 तक न तो निर्धारित की गई और न ही उपभोक्ताओं से मांगी गई। इसकी मुख्यालय द्वारा कोई मांनीटरिंग भी नहीं की गई। इसके बजाए कंपनी मार्च 2012 में अतिरिक्त ए.सी.डी. को छ: किश्तों अर्थात् छ: और 12 मास में क्रमश: मासिक और द्विमासिक बिलिंग में वसूली करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पास गई। राज्य सरकार ने अतिरिक्त ए.सी.डी. की 12 किश्तों में वसूली की अनुमति दे दी (12 जुलाई 2012) तथा निर्देश जारी कर दिए (अगस्त 2012)। परंतु इस संबंध में कोई प्रगति नहीं थी (जनवरी 2014)। जनवरी 2014 को ₹ 721.56 करोड़ मूल्य की ए.सी.डी. मांग उपभोक्ताओं के विरूद्ध अभी तक प्रस्तुत की जानी शेष थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2013) कि ए.सी.डी. उपभोक्ताओं की एन.डी.एस. श्रेणी से वसूल कर ली गई थी और डी.एस. श्रेणी के उपभोक्ताओं से ए.सी.डी. वसूल करने के निर्देश जारी किए गए थे। तथ्य रह जाता है कि जनवरी 2014 को ₹ 721.56 करोड़ की राशि की ए.सी.डी. अभी तक वसूल की जानी शेष थी।

कनेक्टिड चूककर्ताओं से वसूलनीय देय

यह एच.ई.आर.सी. ने डिस्मकोमज को स्थाई चूककर्ताओं के बिजली कनेक्शन एक मास के भीतर डिस्कनैक्ट करने के निर्देश दिए थे (मार्च 2012)। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने सेल्ज इंसट्रक्शन जारी किए (12 जून 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था कि चूककर्ता उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन फेजवार पद्धति में डिस्कनैक्ट किए जाने चाहिए। कंपनी ने डिसकनेक्शन के लिए सर्कल वाईज मासिक लक्ष्य निश्चित किए तथा 2012-13 के दौरान कुल 5.15 लाख डिस्कनेक्शन किए जाने थे। इसके विरूद्ध, केवल 3.94 लाख बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए थे (मार्च 2013)। हमने देखा कि 3.94 लाख चूककर्ताओं के डिस्कनेक्शन करने के बावजूद, कनैक्टिड चूककर्ताओं की संख्या मार्च 2012 में 5.08 लाख के विरूद्ध मार्च 2013 में 5.02 लाख रही।

2008-13 पांच वर्षों की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की श्रेणीवार स्थिति ***परिशिष्ट-10*** में दर्शाई गई है। ***परिशिष्ट*** के अवलोकन ने दर्शाया कि ₹ 1,514.55 करोड़ राशि के बकाया देयों वाले 5,01,502 कनैक्टिड चूककर्ता थे (मार्च 2013)। चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में कुल उपभोक्ताओं के 17.57 प्रतिशत से 2012-13 में 18.39 प्रतिशत तक बढ़ गई थी (मार्च 2013)। पंचायत तथा अन्य सरकारी विभागों को छोड़कर मार्च 2013 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में कनैक्टिड चूककर्ताओं से बकाया देय बढ़ गए थे।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2013) कि यद्यपि वे उपभोक्ताओं से विरोध का सामना कर रहे थे फिर भी पुलिस तथा जिला प्रशासन की सहायता लेकर अस्थाई डिसक्नेकशन आदेश/स्थाई डिसक्नेकशन आदेश (टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज) लागू किए जा रहे थे। तथापि, तथ्य रहता है कि बकायों की राशि के साथ कनेक्टिड चूककर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी।

स्थाई रूप से डिसक्नेक्टिड चूककर्ताओं से वसूलनीय देय

कंपनी के सेल्ज मैनुअल के अनुसार, यदि डिस्कनेक्शन की तिथि से तीन महीनों की समाप्ति के बाद उपभोक्ता से वसूलनीय देय जारी रहते हैं तो ए.सी.डी. की राशि बकाया की राशि के प्रति समायोजित की जानी चाहिए और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उपभोक्ता के नाम से किसी अन्य कनेक्शन से समायोजित करनी चाहिए। यदि देय राशि की वसूली की कोई संभावना न हो तो हरियाणा सरकार बिजली उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी, कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में राशि वसूल करने के डिमांड नोटिस जारी किए जाने चाहिए और अधिनियम की धारा - 6 के अंतर्गत वसूली प्रमाण - पत्र तहसीलदार को संबोधित किए जाने चाहिए।

31 मार्च 2013 को स्थाई रूप से डिस्कनेक्टिड चूककर्ताओं से कुल बकाया राशि ₹ 803.33 करोड़ थी। नौ आपरेशन उप - डिवीजनों के रिकार्डस की एक नमूना - जांच ने दर्शाया कि 30 नवंबर 2012 को ₹ 118.79 करोड़ की वसूलनीय देय राशि वाले स्थाई रूप से डिस्कनेक्टिड चूककर्ता 39,644 थे जिनमें से कंपनी ने ₹ 2.10 लाख की ए.सी.डी. समायोजित की थी तथा शेष मामलों में ए.सी.डी. का समायोजन अभी तक नहीं किया गया था (मार्च 2013)। मात्र 29 मामले[10] (0.07 प्रतिशत) भूमि राजस्व प्राधिकारियों को भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए भेजे गए थे।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2013) कि स्थाई रूप से डिस्कनेक्टिड चूककर्ताओं के विरूद्ध सिविल मुकद्दमा दायर करके राशि वसूल की जा रही है। लेकिन तथ्य रहता है कि कंपनी ने एक निर्धारित समय अवधि के बाद चूककर्ता के डिस्कनेक्शन के संबंध में कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया तथा इससे बकायों का संचय हुआ।

चोरी के मामलों में देय राशियों की वसूली

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अनुसार बिजली की चोरी एक दण्डनीय अपराध है। बिजली की चोरी के पता लगने पर डिस्कोमज़ बिजली आपूर्ति बंद करने की प्रक्रिया में डिस्कनेक्शन तथा राशि जमा करवाने के लिए उपभोक्ता को जारी किए गए नोटिस के समय से चौबीस घंटे के अंदर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हैं। यदि, उपभोक्ता कंपाऊडिंग की राशि 72 घंटों के भीतर जमा नहीं करवाता तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए और यदि पुलिस शिकायत रजिस्टर न करें तो कंपनी को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपयुक्त कोर्ट में सीधे केस फाईल करना चाहिए।

हमने देखा कि 2008 - 13 के दौरान, चयनित इकाइयों में 30 नवंबर 2012 तक 8,944 चोरी के मामले पता लगाए गए और ₹ 11.78 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इसमें से, केवल ₹ 6.17 करोड़ (52.33 प्रतिशत) कंपनी द्वारा वसूल किया गया। 7,274 मामलों में, कंपनी ने पुलिस प्राधिकारियों के पास एफ.आई.आर. दर्ज करवाई तथा केवल एक मामले में एफ.आई.आर. रजिस्टर की गई। शेष 7,273 मामलों में, एफ.आई.आर. न दर्ज कराने के साथ यह तथ्य भी जुड़ गया कि उपयुक्त कोर्ट में सीधा केस फाइल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई परिणामत: चोरी के मामलों में ₹ 5.61 करोड़ वसूल नहीं किए गए।

[10] जींद आपरेशन सर्कल के जुलाना सब - डिवीजन के 6 मामले और झज्जर आपरेशन सर्कल के बेरी सब - डिवीजन के 23 मामले।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013), अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि चूककर्ताओं के टी.डी.सी.ओज लागू करके, बिजली की चोरी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर तथा उपभोक्ताओं से ए.सी.डी. की वसूली के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथापि, तथ्य रहता है कि ₹ 5.61 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी थी और ऐसे चूककर्ताओं की बिजली आपूर्ति बंद नहीं की गई थी।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जुलाई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कोमज)

3.5 *बिजली देयों की माफी*

₹ 1,050.10 करोड़ की माफी के विरूद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 532.05 करोड़ डिस्कोमज को सबसिडी के रूप में निर्मुक्त किए। दो चयनित आपरेशन सर्कलज में ₹ 32.74 करोड़ की देय राशि वाले 7,081 घरेलू उपभोक्ताओं ने न तो स्कीम का विकल्प लिया था और न ही डिस्कोमज ने कोडल प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की थी। उपभोक्ताओं, जिन्होंने स्कीम में शामिल होने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया था, की देय राशि ₹ 11.37 करोड़ (जून 2005) से बढ़कर ₹ 77.36 करोड़ (दिसंबर 2012) हो गई थी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कोमज) हैं जो हरियाणा में विभिन्न बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करती हैं।

चार परिचालन परिमंडलों[11] (प्रत्येक डिस्कोम से दो) के बीस परिचालन उप-मंडलों[12] को 'आकार के अनुपातिक संभाव्यता' के आधार पर, रेंडम तालिका प्रयोग करते हुए चुना गया। हमारे लेखापरीक्षा परिणामों की अनुवर्त्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सकार द्वारा धारा 62 के अंतर्गत एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सबसिडी प्रदान करना चाहती है तो सबसिडी के अनुदान द्वारा प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा, उसका जैसा निर्देश हो उसी तरीके से, अग्रिम में किया जाना अपेक्षित है बशर्ते यदि भुगतान धारा के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता तो राज्य सरकार का ऐसा कोई निर्देश प्रभावी नहीं होगा।

बिजली अधिनियम 2003 की धारा 65, राज्य सरकार को उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए डिस्कोम्ज को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है बशर्ते सरकार द्वारा डिस्कोमज को बराबर की क्षतिपूर्ति की जाए। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बकायों के समायोजन के लिए स्कीम अनुमोदित की (जून 2005)। तदनुसार, डिस्कामज ने

---

[11] जींद और सोनीपत का यू.एच.बी.वी.एन.एल. और हिसार तथा भिवानी का डी.एच.बी.वी.एन.एल.।

[12] जींद (सब-अर्बन-II, गढ़ी, जुलाना और पिल्लूखेड़ा) (ii) भिवानी (सब-अर्बन, भादरा, जूई और सिवानी) (iii) हिसार (सातरोड़, नारनौंद, हांसी एस.यू., टोहाना, भूना और मुंढ़ाल) (iv) सोनीपत (माडल टॉउन, कुंडली, भटगांव, गोहाना एस.यू., गन्नौर, फरमाना)।

वेवर स्कीम 2005 के संबंध में एक सरकुलर जारी कर दिया (जून 2005)। इसमें ऐसे उपभोक्ताओं के लिए देयों की माफी का प्रावधान था जो 17 जून 2005 से प्रभावी अगले 20 महीनों के लिए अपने वर्तमान बिजली बिलों का नियमित भुगतान करेंगे और 16 जून 2005 को इन उपभोक्ताओं के संचित बकाया फ्रीज हो जाएंगे। माफी 'डीम्ड वेवर' के रूप में थी और कुल समायोजन 20 मास की समाप्ति पर किया जाना था। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को मूल राशि वहन करनी थी तथा सरचार्ज डिस्कोम्ज द्वारा वहन किया जाना था। स्कीम 31 जनवरी 2008 तक प्रभावी रही। पुनः डिस्कोम्ज ने उपरोक्त स्कीम को जनवरी 2009 के दौरान केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू किया जिन्होंने स्कीम के लिए पहले विकल्प दिया था परंतु भुगतान में दुबारा चूक की और इस प्रकार स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए थे। स्कीम राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना बढ़ाई गई थी।

डिस्कोम्ज ने राज्य सरकार से सबसिडी की किसी व्यवस्था के बिना छूटे हुए उपभोक्ताओं को एक और अवसर देने के लिए वेवर स्कीम को पुनः प्रारंभ किया (जुलाई 2012)। स्कीम 1 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2013 तक लागू रही थी।

देयों की अनुचित माफी

i. देयों की माफी और राज्य सरकार से प्राप्त सबसिडी के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 3.4

(₹ करोड़ में)

स्कीम का नाम	कंपनी का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	माफ की गई राशि (ई.डी. सहित)	प्राप्त सबसिडी	डिस्कोम्ज द्वारा वहन की गई राशि
वेवर स्कीम 2005 (जून 2005 से जनवरी 2008)	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	3.43	575.96	328.99	240.95
	द.ह.बि.वि.नि.लि.	2.77	408.08	203.06	201.20
	योग (क)	**6.20**	**984.04**	**532.05**	**442.15**
वेवर स्कीम (केवल डिस्कोम्ज द्वारा जनवरी 2009 के दौरान आपरेशनल)	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	0.05	13.86	-	13.86
	द.ह.बि.वि.नि.लि.	0.01	1.90	-	1.90
	योग (ख)	**0.06**	**15.76**		**15.76**
वेवर स्कीम (डिस्कोम्ज द्वारा अगस्त 2012 से मार्च 2013 के दौरान आपरेशनल)	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	0.04	38.47	0	38.47
	द.ह.बि.वि.नि.लि.	0.02	11.83	0	11.83
	योग (ग)	**0.06**	**50.30**		**50.30**
कुल योग (क + ख + ग)		**6.32**	**1050.10**	**532.05**	**508.21**

हमने देखा (सितंबर 2013) कि उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन में डिस्कोम्ज द्वारा ₹ 1,050.10 करोड़ के वेवर के विरूद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 532.05 करोड़ सबसिडी के रूप में जारी किए थे। परिणामस्वरूप, ₹ 508.21 करोड़ (मूल ₹ 24.45 करोड़ और सरचार्ज ₹ 483.76 करोड़) का वित्तीय बोझ डिस्कोम्ज द्वारा वहन किया गया तथा विद्युत शुल्क के तौर पर ₹ 9.84 करोड़ (₹ 999.80 करोड़ की राशि की माफी में शामिल) न तो उपभोक्ताओं से वसूल किए गए और न ही राज्य सरकार को जमा किए गए। राज्य सरकार से सबसिडी की प्राप्ति के बिना देयों की माफी, चूककर्ताओं से बिजली देयों की वसूली करने में डिस्कोमज की विफलता की सूचक हैं, इससे पहले ही हानि में चल रहे डिस्कोम्ज पर अनुचित भार पड़ा।

ii. स्कीम के प्रारंभ में (16 जून 2005), ₹ 1,781.68 करोड़ की देय राशि वाले 13.87 लाख चूककर्ता उपभोक्ता थे। स्कीम प्रारंभ करते समय, डिस्कोम्ज ने उन उपभोक्ताओं के विरूद्ध किसी दंडात्मक कार्रवाई की योजना नहीं बनाई थी जो स्कीम बीच में ही छोड़ दें तथा अधिकाधिक भागेदारी के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी। हमने देखा (मार्च 2013) कि केवल 6.32 लाख (45.56 प्रतिशत) उपभोक्ताओं ने स्कीम का पूरी तरह लाभ उठाया और 3.02 लाख (21.77 प्रतिशत) उपभोक्ताओं ने स्कीम का विकल्प देने के बाद इसे छोड़ दिया। पुन: 4.53 लाख उपभोक्ताओं ने स्कीम का विकल्प बिल्कुल नहीं लिया था।

बिजली देयों के लिए वसूली प्रक्रिया

iii. डिस्कामज के विभिन्न अधिकारियों के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में 'सेल्ज मैनुअल' तथा 'रेगुलेशन' (निर्देश संख्या 7.3) में प्रावधान है कि यदि एक उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो संबंधित सब-डिवीजन के कमर्शियल असिस्टेंट (सी.ए.) द्वारा 15 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद टेंपरेरी डिसकनेक्शन आर्डर (टी.डी.सी.ओ.) और टी.डी.सी.ओ. से 30 दिनों की समाप्ति के बाद परमानेंट डिस्कनेक्शन (पी.डी.सी.ओ.) आर्डर जारी किया जाना चाहिए। जूनियर इंजीनियर (फील्ड) द्वारा एक सप्ताह के भीतर सी.ए. को टी.डी.सी.ओ., पी.डी.सी.ओ. की रिटर्न (अनुपालन रिपोर्ट) सुनिश्चित करनी चाहिए और सब-डिवीजनल आफिसर (एस.डी.ओ.) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए कर्त्तव्य उचित रूप से पूरे किए जाते हैं। किसी भी मामले में, बकायों का संचय उपभोक्ता के 'खपत-जमानत' (दो बिल चक्रों के बराबर) से अधिक नहीं होना चाहिए।

कोडल प्रावधानों का लागू न करना

iv हमने देखा (मार्च 2013) कि दो चयनित आपरेशन सर्कलों[13] में ₹ 32.74 करोड़ की देय राशि वाले 7,081 घरेलू उपभोक्ताओं (जून 2005) ने न तो स्कीम का विकल्प लिया और न ही डिस्कोम्ज ने कोडल प्रावधान के अनुसार उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की जैसा कि ऊपर संदर्भित है। परिणामस्वरूप, उनकी देय की राशि ₹ 200.84 करोड़ तक बढ़ गई थी (नवंबर/दिसंबर 2012)। 4,773 कनैक्टिड चूककर्ताओं, जिनकी देय की राशि (जून 2005) ₹ 11.37 करोड़ थी, ने स्कीम में शामिल होने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया तथा स्कीम को बीच में ही छोड़ दिया। तथापि, इन उपभोक्ताओं[14] की देय राशि ₹ 77.36 करोड़ तक बढ़ गई थी (नवंबर/दिसंबर 2012)।

हमने आगे देखा कि चार[15] चयनित आपरेशन सर्कलज़ में, 1,369 कनैक्टिड चूककर्ता उपभोक्ताओं, जिनके ₹ 2.94 करोड़ (जून 2005) छोड़ दिए गए थे, फिर से ₹ 12.36 करोड़ (नवंबर/दिसंबर 2012/मार्च 2013) के चूककर्ता[16] बन गए थे। जून 2005 से मार्च 2013 तक उनके बकाया देय ₹ 9.42 करोड़ तक बढ़ गए थे।

---

[13] भिवानी तथा हिसार।

[14] प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से अधिक चूक राशि वाले उपभोक्ता।

[15] हिसार, भिवानी, जींद तथा सोनीपत।

[16] प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से अधिक की चूक राशि वाले उपभोक्ता।

पुनः, चार चयनित आपरेशन सर्कल्ज में 14,002 घरेलू आपूर्ति (डी.एस) चूककर्ता उपभोक्ता[17] थे (नवंबर-दिसंबर 2012/मार्च 2013) परंतु डिस्कोम्ज ने केवल 1,055 चूककर्ता उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन डिस्कनैक्ट किए थे और 12,947 चूककर्ता उपभोक्ताओं के बिजली कनैक्शन अभी डिस्कनैक्ट किए जाने शेष थे (मई 2013)।

इसी प्रकार, 589 चूककर्ता कृषि उपभोक्ता[18] (ए.पी.) थे (नवंबर-दिसंबर 2012/मार्च 2013) और इनमें से, केवल 236 चूककर्ता कृषि उपभोक्ताओं के बिजली कनैक्शन स्थाई रूप से डिसकनैक्ट किए गए थे और 353 चूककर्ता ए.पी. उपभोक्ताओं के कनैक्शन अभी डिस्कनैक्ट किए जाने शेष थे।

अधीक्षक अभियंता (एस.ई.), आपरेशन सर्कल भिवानी ने बताया (मार्च 2013) कि डी.एस. और ए.पी. उपभोक्ताओं के ये सभी बिजली कनैक्शन क्रमशः 30 अप्रैल 2013 और 30 जून 2013 तक डिस्कनैक्ट कर दिए जाएंगे अथवा उनके विरूद्ध बकाया राशि वसूल की जाएगी। एस.ई., आपरेशन सर्कल सोनीपत ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। आगे का परिणाम प्रतीक्षित था (सितंबर 2013)।

देखी गई अन्य कमियां, जिनके कारण बकायों का संचय हुआ

v. हमने देखा कि चार आपरेशन सर्कल्ज में, चूककर्ता उपभोक्ताओं के विवरण, जैसे कि उपभोक्ता का नाम, पता, कनैक्टिड लोड और लगातार चूक की तिथि उपभोक्ता लेजरों में दर्ज नहीं थे। पुनः, इन उपभोक्ताओं के रिकार्ड में चूककर्ताओं के टी.डी.सी.ओ./पी.डी.सी.ओ. लागू करने की तिथियों का भी उल्लेख नहीं था। परिणामतः अवरूद्ध बकाया राशि (16 जून 2005) के मूल तथा सरचार्ज के विभाजन की परिशुद्धता सत्यापित नहीं की जा सकी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013), अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि स्कीम चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रारंभ की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वेवर स्कीम वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना बढ़ा दी गई थी। पुनः, डिस्कोमज ने उन उपभोक्ताओं, जिन्होंने स्कीम बीच में ही छोड़ दी, के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जुलाई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड

3.6 सर्विस टैक्स की अवसूली

सर्विस टैक्स को परिवहन लागत की बजाए प्रशासनिक लागत में शामिल करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार से ₹ 49.18 लाख की राशि की सबसिडी का कम दावा हुआ।

कंपनी 'राजस्थान राज्य खान तथा खनिज लिमिटेड' से जिप्सम प्राप्त करती है और राज्य में कृषकों को अपने विक्रय केंद्रों के माध्यम से जिप्सम बेचती है। कंपनी द्वारा परिकलित लागत के आधार पर, जिप्सम की बिक्री दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कंपनी क्रय लागत,

17 प्रत्येक मामले में ₹ 1,00,000 से अधिक चूक राशि वाले डी.एस. उपभोक्ता।

18 प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से अधिक चूक राशि वाले कृषि उपभोक्ता।

पैंकिग लागत, परिवहन लागत, स्थापना लागत, अनलोडिंग/हैंडलिंग प्रभार, डीलर के मार्जिन, बीमा लागत, ब्याज लागत और अपने स्वयं के लाभ मार्जिन को ध्यान में रखने के बाद जिप्सम की लागत, परिकलित करती है। चूंकि जिप्सम कृषकों को सब्सिडाईज्ड दरों पर बेची जाती है, सामग्री की 50 प्रतिशत लागत और 100 प्रतिशत परिवहन लागत, ₹ 1,500 प्रति एम.टी. की अधिकतम सीमा तक, सबसिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्य सरकार ने 2006-07 (1 अप्रैल 2006), 2010-11 (12 मई 2010) तथा 2011-12 (29 अप्रैल 2011) में जिप्सम का मूल्य क्रमशः ₹ 1,800, ₹ 2,200 और ₹ 2,400 प्रति एम.टी. निर्धारित किया था।

माल के परिवहन से संबंधित सेवाओं के मूल्य पर 1 जनवरी 2005 से सर्विस टैक्स भुगतान योग्य बन गया था। सर्विस टैक्स जमा करने का उत्तरदायित्व परिवहन शुल्क का भुगतान करने वाली एंटिटी पर होता है। कंपनी ने जनवरी 2005 से मार्च 2011 के दौरान परिवहन पर ₹ 98.36 लाख के सर्विस टैक्स का भुगतान किया लेकिन जिप्सम की लागत की गणना करते समय उसे शामिल नहीं किया। चूंकि परिवहन शुल्क पर भुगतान किया गया सर्विस टैक्स भी परिवहन लागत का एक भाग है, कंपनी को 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य सरकार से जिप्सम की विक्रय दरें निर्धारित करवाते समय इसे परिवहन लागत में शामिल करना चाहिए था और सारी परिवहन लागत (सर्विस टैक्स सहित) का दावा राज्य सरकार से सबसिडी के रूप में करना चाहिए था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया (सितंबर 2013) कि जनवरी 2005 से मार्च 2011 के दौरान प्रशासनिक लागत में सर्विस टैक्स शामिल किया गया था। यह लेखापरीक्षा के वाद को बल देता है कि सर्विस टैक्स परिवहन लागत में शामिल नहीं किया गया था। यदि कंपनी स्वयं ही सर्विस टैक्स परिवहन लागत में शामिल कर देती तो इसे ₹ 49.18 लाख की राशि की 50 प्रतिशत सबसिडी, जो इसे सर्विस टैक्स को प्रशासनिक लागत में शामिल करके प्राप्त हुई थी, इसकी बजाय ₹ 98.36 लाख की राशि की 100 प्रतिशत सबसिडी राज्य सरकार से प्राप्त होती ।

इस प्रकार, सर्विस टैक्स को परिवहन लागत की बजाय प्रशासनिक लागत में शामिल करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार से ₹ 49.18 लाख की राशि की सबसिडी का कम दावा किया गया।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जून 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.7 अनियमित व्यय

पद की उपलब्धता के बिना सीनियर मैनेजर (स्पोर्टस) की तैनाती से उसके वेतन तथा भत्तों पर ₹ 33.25 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

'हरियाणा ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राईजिज' ने 'हरियाणा राज्य मूलभूत संरचना तथा उद्योग विकास निगम' (कंपनी) में एक पृथक खेल संवर्ग के लिए 14 पद संस्वीकृत किए (अगस्त 2001) था और राज्य सरकार ने खेल संवर्ग के लिए सेवा नियमों का एक पृथक सैट अर्थात् 'सर्विस बाइ-लॉज' अनुमोदित किया था (अप्रैल 2010)। इन नियमों ने वरिष्ठ प्रबंधक

(खेलकूद) के पद के धारक के लिए निम्न आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की थी:

1. स्नातक
2. आयु 35 वर्ष से अधिक न हो
3. एशियन गेम्स या सीनियर एशियन चैंपियनशिप में मैडल विजेता या अंतर्राष्ट्रीय इवेंटस में कम से कम दो बार भागीदारी।

स्पोर्टस अथॉरिटी आफ इंडिया (एस.ए.आई.) में कार्यरत एक बाक्सिंग कोच को अप्रैल 2008 से डेपुटेशन आधार पर एक साल के लिए सीनियर मैनेजर (खेलकूद) के रूप में बालीबाल टीम तथा टेनिस खिलाड़ियों के कार्यो की देखभाल के लिए और साथ ही बालीबाल टीम के मैनेजर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। 31 मार्च 2013 तक वार्षिक आधार पर डेपुटेशन की अवधि को बढ़ाया गया। कंपनी ने उसे वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 33.25 लाख का भुगतान किया।

हमने देखा (जून 2012) कि कंपनी की केवल दो ही स्पोर्टस टीमज थी अर्थात् वालीबाल और लॉन टेनिस और कंपनी में कोई भी बाक्सिंग टीम नहीं थी। इसके बावजूद, एक बाक्सिंग कोच को सीनियर मैनेजर (खेलकूद) के रूप में नियुक्त किया गया जो दर्शाता है कि बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के उसे कंपनी में एडजस्ट किया गया था। और तो और, चूंकि कंपनी में सीनियर मैनेजर (खेलकूद) का केवल एक पद उपलब्ध था, जो 17 अगस्त 2010 तक पहले ही भरा हुआ था, उसे 1 अप्रैल 2008 से असिस्टेंट जनरल मैनेजर (खेलकूद) के उच्चतर पद के विरूद्ध एडजस्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वह सीनियर मैनेजर (स्पोर्टस) के पद के लिए अपेक्षित सर्विस बाईलॉज के अनुसार तीन योग्यताओं में से दो को वह पूर्ण नहीं करते थे। अर्थात् वह न तो 35 वर्ष से कम आयु के थे और न ही एशियन गेम्स या सीनियर एशियन चैंपियनशिप में मैडल विजेता थे और न ही अंतर्राष्ट्रीय ईवेंट में कम से कम दो बार भागीदार थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2013) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग और कंपनी के एम.डी. ने बताया कि नियुक्ति कंपनी में उपलब्ध वैकेंसी के विरूद्ध की गई थी और पदधारी को उसकी पांच वर्ष की अवधि के समापन के बाद मूल विभाग को पहले ही वापस भेज दिया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि व्यक्ति योग्यता पूरी नहीं करता था तथा वालीबाल और टेनिस टीम के कार्यो की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था जबकि वह बाक्सिंग कोच था।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जुलाई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

3.8 राजस्व की हानि

कंपनी ने टेंडर दुबारा आमंत्रित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 3.52 करोड़ की हानि उठाई।

हरियाणा सरकार ने अधिसूचना (27 अगस्त 2010) के अंतर्गत देवधर-नैनावाली रोड़ (टी.पी.-33) को 1 नवंबर 2010 से 12 वर्ष की अवधि के लिए टोल रोड़ के रूप में घोषित कर दिया तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को टोल प्वांइट

पर टोल फैसिलिटी के माध्यम से टोल की मांग करने, संग्रहण करने तथा प्रतिधारण हेतु प्राधिकृत किया।

देवधर-नैनावाली रोड पर टोल के संग्रहण के लिए कंपनी द्वारा टेंडर अगस्त 2010 तथा अक्तूबर 2010 में आमंत्रित किए गए थे। कंपनी को इन टेंडरों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। कंपनी ने पुन: टेंडर तीसरी बार (12 नवंबर 2010) आमंत्रित किए और जवाब में, तीन बोलियां प्राप्त हुई। ₹ 6.04 करोड़ की उच्चतम बोली (ट्रैफिक गणना से 23.1 प्रतिशत अधिक और विभागीय संग्रहण से 58.59 प्रतिशत अधिक) मैसर्ज जयसिंह और कंपनी (बोलीकर्ता) से प्राप्त हुई। प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर.) की अध्यक्षता में टेंडर एप्रूवल कमेटी (टी.ए.सी.) ने अपनी बैठक (23 नवंबर 2010) में यह अनुमान लगाते हुए, कि माईनिंग पर प्रतिबंध किसी भी दिन हटा लिया जाएगा और परिणामस्वरूप टोल संग्रहण उच्चतर होगा, बोली स्वीकार नहीं की। टी.ए.सी. ने चार मास की अवधि के लिए टेंडर फिर से आमंत्रित करने का निर्णय लिया। तब तक, टोल विभागीय तौर पर संगृहीत किया गया। अगस्त 2010 से मई 2012 के दौरान, टेंडर 11 बार आमंत्रित किए गए और छ: अवसरों पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

नीचे तालिकाबद्ध अनुसार शेष पांच मामलों में टेंडर फाइनल नहीं किए जा सके:

तालिका 3.5

टेंडर[19] संख्या तथा तारीख	विवरण	टेंडरिंग का परिणाम
तीसरा टेंडर, 12 नवंबर 2010	तीन बोलियां प्राप्त की गई। उच्चतम बोली ₹ 6.04 करोड़ प्रतिवर्ष की प्राप्त हुई।	टी.ए.सी. ने (23 नवंबर 2010) माइनिंग पर प्रतिबंध हटने के बाद उच्चतर दरों का अनुमान लगाते हुए लघुतर अवधि के लिए टेंडर पुन: आमंत्रित करने का निर्णय किया।
चौथा टेंडर, 4 जनवरी 2011	टी.पी.-33 और टी.पी.-12 के लिए बोलियां संयुक्त रूप से मांगी गई। चार मास के लिए ₹ 2.82 करोड़ और ₹ 2.25 करोड़ की दो बोलियां प्राप्त की गई जो दो टोल प्वाइंट के लिए संयुक्त ट्रैफिक गणना और संयुक्त विभागीय संग्रहण से कम थी।	टी.ए.सी. ने (13 जनवरी 2011) टेंडर पुन: आमंत्रित करने का निर्णय किया।
सातवां टेंडर, 30 जून 2011	₹ 36 लाख की एकमात्र बोली 4 महीनों के लिए प्राप्त हुई जो विभागीय संग्रहण से कम थी।	टी.ए.सी. ने (5 जुलाई 2011) टेंडर पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
आठवां टेंडर, 17 अगस्त 2011	एकमात्र तकनीकी बोली प्राप्त हुई परंतु खोली नहीं गई।	टी.ए.सी. ने (18 अगस्त 2011) माइनिंग पर प्रतिबंध हटने के कारण उच्चतर दरों का अनुमान लगाते हुए टेंडर पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
दसवां टेंडर, 8 नवंबर 2011	तीन बोलियां प्राप्त हुई। ₹ 1.73 करोड़ की चार महीने की श्री वैभव की उच्चतम बोली स्वीकार की गई। ठेकेदार 'स्वीकृति-पत्र' के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहा तथा ₹ 10 लाख की जमानत जब्त कर ली गई।	-

[19] पहले टेंडर 19 अगस्त 2010, दूसरे टेंडर दिनांक 12 अक्तूबर 2010, पांचवें टेंडर दिनांक 22 फरवरी 2011, छठे टेंडर दिनांक 19 अप्रैल 2011, 9वें टेंडर दिनांक 30 सितंबर 2011 और 11वें टेंडर दिनांक 18 मई 2012 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

इसी बीच, कार्यकारी अभियंता, मैकेनिकल डिवीजन, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), अंबाला कैंट ने बार-बार (अप्रैल-मई 2012) सूचित किया कि खानों और स्टोन क्रेशरों के बंद होने के कारण टोल संग्रहण दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। टोल कलेक्शन स्टाफ के वेतन पर किए व्यय तथा टोल संग्रहण पर किए गए अन्य खर्चों से भी कम था। कंपनी ने हानियों से बचने के लिए टोल संग्रहण प्वाइंटस को अस्थाई तौर पर बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी (मई 2012)। राज्य सरकार ने 27 अगस्त 2010 की पूर्ववर्ती अधिसूचना वापस ले ली (20 दिसंबर 2012) और 24 दिसंबर 2012 से विभागीय टोल संग्रहण बंद कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2013) कि नवंबर 2010 के दौरान प्राप्त बोली कंपनी द्वारा केवल इस अवधारणा से स्वीकार नहीं गई कि माईनिंग पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है जिससे सड़क पर अधिक ट्रैफिक होगा और परिणामत: टोल संग्रहण में वृद्धि होगी। सिर्फ अवधारणा पर आधारित टी.ए.सी. की यह कार्यवाही अविवेकपूर्ण थी क्योंकि प्रस्ताव ट्रैफिक गणना तथा विभागीय संग्रहणों से काफी अधिक था। टी.ए.सी. के इस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, कंपनी ने जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 की अवधि के लिए मैसर्ज जयसिंह और कंपनी द्वारा प्रस्तावित ₹ 6.04 करोड़ की बोली राशि के विरूद्ध केवल ₹ 2.52 करोड़ का (वेतन तथा अन्य खर्चे काट कर) निवल टोल संग्रहण किया, इस प्रकार कंपनी को ₹ 3.52 करोड़ की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेस के दौरान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) विभाग तथा प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) ने बताया (अक्तूबर 2013) कि भविष्य में माईनिंग पर प्रतिबंध हटने की आशा में बोलियां स्वीकार नहीं की गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्राप्त दर ट्रैफिक गणना से 23.1 प्रतिशत अधिक और विभागीय संग्रहण से 58.59 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त, बोली दस्तावेजों के अनुसार, बोलीकर्ता को लिखित में 15 दिन पहले नोटिस देने के बाद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समझौता रद्द करने का कंपनी के पास अधिकार था और बोलीकर्ता इस प्रकार के समय पूर्व समापन के लिए कंपनी से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के दावे, वसूली और प्राप्ति के लिए हकदार नहीं था।

इस प्रकार, बोलियां स्वीकार न करने के कंपनी के अविवेकपूर्ण निर्णय (23 नवंबर 2010) के परिणामस्वरूप ₹ 3.52 करोड़ की हानि हुई।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जनवरी 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

3.9 राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नोडल एजेंसी के रूप में हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

तुरंत आवश्यकता निर्धारित किए बिना साफ्टवेयर/सैप लाईसैंस की खरीद पर ₹ 93.79 लाख का व्यय किया गया। कंपनी ने 2008-13 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों से ₹ 111.53 करोड़ की निधियों के विरूद्ध ₹ 29.86 करोड़ का उपयोग किया। कंपनी ने चुनाव विभाग के लिए इलैक्टोरेट फोटो पहचान-पत्रों की अधिक इनवायसिंग के कारण ₹ 57.24 लाख का अधिक आयकर और ₹ 6.99 लाख के केंद्रीय बिक्रीकर का भुगतान किया।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) राज्य में इलैक्ट्रोनिक्स विकास को प्रोमोट करने के लिए 15 मई 1982 को स्थापित की गई थी। कंपनी इलैक्ट्रोनिक्स से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं/कार्य करने के लिए राज्य के सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करने में भी लिप्त थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी हारट्रोन फरेंचाईज सेंटर (एच.एफ.सीज) के नाम से ज्ञात फरेंचाईजीज के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान कर रही थी।

विद्युत वितरण कंपनियों के लिए कम्प्यूटरीकृत बिजली बिलों का सृजन

i. कंपनी ने यू.एच.बी.वी.एन.एल. के (10 में से) चार सर्कलों तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के सभी छः सर्कलों हेतु तीन वर्षों के लिए बिजली बिल के सृजन के लिए डाटा एंट्री सहित ₹ 2.44 की दर पर तथा बिना डाटा एंट्री के ₹ 2 प्रति बिल की दर पर कम्प्यूटराईज्ड बिजली बिलों के सृजन हेतु कार्य आदेश प्राप्त किए (2007)। मौजूदा दरों पर ही तीन वर्षों की अन्य अवधि के लिए 2010 में डिस्कोमज द्वारा कार्य आदेश नवीनीकृत किए गए।

कंपनी बिजली बिलों के सृजन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन के रूप में विजुअल फोक्सप्रो प्लेटफार्म का प्रयोग कर रही थी। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कंपनी को वर्तमान कोबोल/फोक्सप्रो प्लेटफार्म से किसी स्टैंडर्ड आर.डी.बी.एम.एस. पर आधारित साफ्टवेयर में शिफ्ट करने का अनुरोध किया (नवंबर 2008)। कंपनी ने सूचित किया (दिसंबर 2009) कि वह वर्तमान प्लेटफार्म पर ₹ 3.24 प्रति बिल और प्रस्तावित ऑनलाईन सैटअप पर ₹ 6.96 प्रति बिल चार्ज करेगी जो अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक वैध होगा। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया (फरवरी 2010) परंतु बाद में निर्णय वापस ले लिया (जून 2010) और कंपनी को पुराने विद्यमान प्लेटफार्म पर ही बिल सृजन का कार्य जारी रखने के लिए कहा।

कंपनी ने फिर भी बिलिंग साफ्टवेयर को अपग्रेड करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2010) और ₹ 48.70 लाख के लिए मैसर्ज वी एक्सेल साफ्टवेयर को आदेश जारी किया (दिसंबर 2010)। कंपनी ने ₹ 27.71 लाख की लागत पर परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर भी खरीद लिया तथा नए साफ्टवेयर के माध्यम से अगस्त 2012 से बिल सृजित करने आरंभ कर दिए।

हमने देखा कि कंपनी ने अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक तीन वर्षों के लिए ₹ 3.25 प्रति बिल की दर पर (वह दर जो कि दिसंबर 2009 में प्रस्तावित की गई थी), अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के लिए विद्यमान, फोक्सप्रो पर बिजली बिल तैयार करने के लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. से कार्य-आदेश का एक्सटेंशन प्राप्त किया था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा इस इंन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन में खर्च किए व्यय का यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कोई संज्ञान नहीं लिया था परिणामतः ₹ 76.41 लाख (₹ 48.70 लाख और ₹ 27.71 लाख) का अनावश्यक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2013) में स्पष्ट किया कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए यह प्रक्रिया आर.डी.बी.एम.एस. में शिफ्ट की गई थी। तथ्य, तथापि, रहता है कि आर.डी.बी.एम.एस. में शिफ्टिंग यू.एच.बी.वी.एन.एल. की किसी आवश्यकता के बिना किया गया था और कंपनी ने इस अपग्रेडेशन लागत, जिसके लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया था, के लिए पेबैक अवधि का विश्लेषण भी नहीं किया था।

विभिन्न विभागों/पी.एस.यूज के कम्प्यूटराईजेशन/इलैक्ट्रानिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना

ii कंपनी, राज्य के सरकारी विभागों के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है और परियोजना मूल्य के छ: प्रतिशत की दर पर परामर्श फीस लेती है। हमने देखा कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान कंपनी के पास सरकारी विभागों से उनकी परियोजनाओं के लिए ₹ 111.53 करोड़ की निधियां थी और इसने ₹ 29.86 करोड़ प्रयुक्त किए थे। इसके पास तथापि, शीर्ष प्रबंधन को अथवा इंडेंटिंग विभागों को सूचित करने हेतु परियोजनाओं की समग्र रूप में प्रगति की आवधिक समीक्षा करने/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

इडैंटिंग विभागों ने भी कंपनी से कार्य के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं मांगी। राज्य सरकार ने दो सप्ताह की ब्याज मुक्त अवधि प्रदान करने के बाद इडैंटिंग विभागों से प्राप्त अग्रिम धन के प्रयुक्त होने तक इस पर छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए थे (मार्च 2011)। निर्देशों के बावजूद कंपनी ने 2011-13 की अवधि के लिए ₹ 7.98 करोड़ की राशि (छ: प्रतिशत की न्यूनतम दर पर परिगणित) का ब्याज हस्तान्तरित नहीं किया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2013) में, लेखापरीक्षा प्वाइंट को स्वीकार करते हुए एम.डी. ने कहा कि सुधारक कार्रवाई की जाएगी तथा ब्याज का भुगतान भविष्य में कर दिया जाएगा। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग ने व्याख्या दी कि कंपनी एक प्रणाली अपनाने जा रही है जहां इडैंटिंग विभागों से विस्तृत प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद, 30 दिनों से अधिक की अवधि होने पर उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है।

ई.पी.आई.सी. और इलैक्टोरल रोलज

iii. कंपनी 1994 से राज्य चुनाव आयोग के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ई.पी.आई.सीज) व इलैक्टोरल रोलज को तैयार करने और अन्य संबंधित कार्यों में लगी हुई है। कंपनी ने इस कार्य को करने के कोई मार्गनिर्देश/प्रक्रियाएं नहीं बनाई थी और प्राप्त राशियों का बिल की गई राशियों के साथ आवधिक रूप से मिलान नहीं किया था। पुन: क्षतिग्रस्त कार्डो, जिनके लिए कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता और जिनके बिल लेखा पुस्तिकाओं में रिवर्स किए जाते हैं, इसको मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। परिणामत: आय अधिक बताई जाती है और कंपनी इस पर केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के अतिरिक्त आयकर का भी भुगतान कर रही है।

हमने देखा कि कंपनी ने राज्य चुनाव आयोग को 2007-08 के दौरान 4.35 लाख इलैक्टोरल रोलज के लिए ₹ 1.36 करोड़ (₹ 5.22 लाख के सी.एस.टी.सहित) के बिल दो बार प्रस्तुत किए। 2007-08 से 2011-12 के दौरान बिल किए गए परन्तु सत्यापन के दौरान चुनाव विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पाए गए 1.52 लाख ई.पी.आई.सीज के लिए कंपनी ने ₹ 18.06 लाख की बिल की गई राशि (₹ 0.71 लाख की सी.एस.टी. सहित) रिवर्स नहीं की थी। पुन: चुनाव विभाग से ई.पी.आई.सीज की दरों के निम्नतर संशोधन के बारे में सूचना प्राप्त करने (11 मई 2011) के बावजूद, कंपनी ने 2010-12 के दौरान ₹ 22.27 लाख (₹ 1.06 लाख के सी.एस.टी. सहित) के लिए समायोजन प्रविष्टियां पास नहीं की थी। परिणामस्वरूप गत पांच वर्षो के दौरान कंपनी

को अतिरिक्त आयकर (₹ 57.24 लाख)[20] और सी.एस.टी. (₹ 6.99 लाख) का भुगतान करना पड़ा था।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2013) में, लेखापरीक्षा के विचार बिंदु से सहमत होते हुए एम.डी. ने बताया कि वे इस राशि की वसूली करेंगे और एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे कि यह दुबारा न हो। लेकिन तथ्य रहता है कि कंपनी ने अभी तक इस राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी (दिसंबर 2014)। पुनः इन मामलों में 'एसेसमेंट ईयर' 2012-13 से पहले के थे और आयकर अधिनियम के प्रावधान, संबंधित 'एसेसमेंट ईयर' की समाप्ति के बाद संशोधित रिटनर्स फाइल करने की अनुमति नहीं देते।

विक्रेता को अनुचित लाभ

iv. कंपनी, एच.एफ.सीज के माध्यम से कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही थी। एच.एफ.सीज द्वारा कंपनी के मार्गदर्शन और निर्देशों के अंतर्गत ट्रेनिंग कोर्सों को चलाया जाना था, तथापि, एच.एफ.सीज को स्थापित करने एवं चलाने के लिए सभी निवेश-हार्डवेयर और साफ्टवेयर आदि पर उनके द्वारा किया जाना था तथा नाम का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा रायल्टी का भुगतान करना था। कंपनी से कोर्सवेयर, पुस्तकें तथा अन्य सामग्री, फोरमैट इत्यादि प्राप्त करने के लिए सामग्री की लागत के 25 प्रतिशत के साथ कम से कम 15 दिन पूर्व उनके द्वारा ईंडेंट दिए जाने थे और शेष राशि आदेश दिए गए सामान की डिलीवरी लेने के समय देय थी।

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कंपनी के पास 78 एच.एफ.सीज थे (2011-12)। इसको, मैसर्ज वी. एक्सेल एजुटेक प्राईवेट लिमिटेड (विक्रेता) से एच.एफ.सीज में सैप[21] के ट्रेनिंग कोर्सेज प्रारंभ करने के लिए टाई-अप करने का प्रस्ताव मिला (4 फरवरी 2011) और इसने एच.एफ.सीज की ओर से सैप के लाईसेंस प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा ₹ 8,500 प्लस टैक्स प्रति लाईसेंस की दर पर सैप के 500 लाईसेंसों की आपूर्ति के लिए विक्रेता के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए (5 अप्रैल 2011)। एम.ओ.यू. में भुगतान की शर्तों का निर्णय नहीं किया गया था। एच.एफ.सीज पर सैप के ट्रेनिंग कोर्स आरंभ करने का निर्णय किसी सर्वेक्षण या फरैंचाईजीज से किसी मांग के बिना लिया गया था।

विक्रेता ने सैप के 200 लाईसेंसों के लिए ₹ 18.75 लाख (10.3 प्रतिशत की दर पर सर्विस टैक्स सहित) का एक बिल भेजा (28 अप्रैल 2011)। कंपनी ने ₹ 9.38 लाख (50 प्रतिशत) का भुगतान किया (19 मई 2011) और एच.एफ.सीज को सैप में ट्रेनिंग कोर्स चलाने और सैप लाईसेंसों के संग्रहण के लिए कहा तथा विक्रेता के साथ टाई-अप के लिए एक बार चार्ज के रूप में पार्ट पेमेंट के प्रति ₹ 0.25 लाख भेजने को कहा (1 जून 2011)। तथापि, चूंकि ट्रेनिंग कोर्स मांग से प्रेरित नहीं था, एच.एफ.सीज से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। विक्रेता ने कंपनी को 200 सैप लाईसेंस आपूरित कर दिए (फरवरी 2012) तथा कंपनी ने ₹ आठ लाख जारी कर दिए (24 फरवरी 2012)। कंपनी ने दुबारा एच.एफ.सीज को सैप लाईसेंस एकत्र करने और विक्रेता के साथ टाई-अप करने के लिए आंशिक भुगतान के रूप में ₹ 0.25 लाख जमा करवाने को कहा (मार्च 2013), जिस पर 71 एच.एफ.सीज ने सूचित किया कि वे सैप लाईसेंस खरीदने के इच्छुक नहीं हैं।

---

[20] 2007-12 के दौरान ₹ 1.69 करोड़ (₹ 1.31 करोड़ + ₹ 17.35 लाख + ₹ 21.21 लाख) की गलत बुक की गई आय पर सरचार्ज और उपकर के साथ आयकर।

[21] सैप व्यापार संसाधन आयोजना के लिए प्रयुक्त एक साफ्टवेयर है।

हमने देखा (अप्रैल 2013) कि कंपनी ने, मांग का आकलन तथा एच.एफ.सीज से ईंडैंट/अग्रिम धन की प्राप्ति किए बिना ही विक्रेता के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था। पुनः, औपचारिक क्रय आदेश दिए बिना और भुगतान की शर्तें अंतिम किए बिना कंपनी ने भुगतान जारी कर दिया था। कंपनी खरीदे हुए 200 सैप लाईसेंस में से अभी तक किसी का भी प्रयोग करने/निपटान करने में समर्थ नहीं हुई थी (जुलाई 2013) जिससे ₹ 17.38 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2013), एम.डी. ने सूचित किया कि विक्रेता धन वापस करने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन यह तथ्यात्मक है कि विक्रेता ने अब तक कोई राशि नहीं दी थी (दिसंबर 2014)।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (अगस्त 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

3.10 वित्तीय सहायता में अनियमितताएं

चार नमूना - जांच किए गए जिला कार्यालयों में ₹ 4.58 करोड़ (95 मामले) के संस्वीकृत ऋण के विरूद्ध, ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के वाहन (26 मामले) वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत किए गए। ₹ 73.52 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरूद्ध, मार्च 2013 तक ₹ 69.12 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक मुख्य कार्यालय/जिला कार्यालयों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड 1971 में स्थापित किया गया और 2000 में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) के रूप में पुनः नामकृत किया गया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए ऋण तथा सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य में अनुसूचित जाति परिवारों का सामाजिक - आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करना था।

कंपनी व्यापार के लागत के 90 प्रतिशत की वित्तीय सहायता एवं सबसिडी (₹ 10,000 की अधिकतम सीमा तक, व्यापार लागत का 50 प्रतिशत) प्रदान करती है और नेशनल शैडयूल्ड कास्ट फाईनैंस डिवल्पमैंट कारपोरेशन (एन.एस.एफ.डी.सी.) स्कीम के अंतर्गत मार्जिन धन के रूप में अपना हिस्सा देती है जैसे हल्के वाणिज्यिक वाहन की खरीद, टैंट हाउस, बूटिक यूनिट की स्थापना इत्यादि। बैंक टाई - अप स्कीम के अंतर्गत कंपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे डेरी फार्मिंग, शीप रियरिंग, पिगरी, किराना शाप इत्यादि के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर पर मार्जिन धन और अधिकतम ₹ 10,000 की सीमा तक, 50 प्रतिशत की दर पर सबसिडी प्रदान करती है।

संस्वीकृति, संवितरण, उपयोगिता और लाभग्राहियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की वसूली से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित करने हेतु, अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि को कवर करते हुए, लेखापरीक्षा ने मुख्यालय और 21 में से पांच जिला कार्यालयों में कंपनी के रिकार्डज की नमूना - जांच की। पांच[22] चयनित जिलों में

[22] अंबाला, भिवानी जींद, करनाल और सिरसा।

कंपनी 20,005 लाभग्राहियों (संवितरित राशि ₹ 86.44 करोड़) तक पहुंची जिनमें से 594 लाभग्राही (संवितरित राशि ₹ 3.54 करोड़) लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए गए।

वाहन स्कीम

i. अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सेल्फ इंप्लायड बनाने हेतु 2007-08 से 2011-12 के दौरान वाहन स्कीम के अंतर्गत 155 लाभग्राहियों के लिए कंपनी ने ₹ 7.73 करोड़ संस्वीकृत किए। नमूना-जांच किए गए चार[23] जिला कार्यालयों में कंपनी ने 95 लाभग्राहियों को हल्के वाणिज्यिक वाहनों (10 सीटर जीप) को खरीदने के लिए ₹ 4.65 लाख प्रति यूनिट की दर से पांच वर्षों में वसूलनीय, छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ₹ 4.58 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए।

वाहन स्कीम के सही कार्यान्वयन के लिए कंपनी को यह सुनिश्चित करना था कि वाहनों को कमर्शियल वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया था ताकि लाभग्राही अपना व्यापार चला सकें और आजीविका कमा सकें। इन 95 वाहनों में से केवल ₹ 1.24 करोड़ (27 प्रतिशत) मूल्य के 26 वाहन कमर्शियल वाहनों के रूप में पंजीकृत पाए गए। 35 मामलों में वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण और सात मामलों में वाहनों के बीमा विवरण रिकार्डों में नहीं थे। लाभग्राहियों, जिन्होंने ऋणों की संस्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया, के विरूद्ध कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी और यह ऋणों के अनियमित जारी करने और निहित कमियों के कारण विफल रही।

बुटीक स्कीम

ii. स्कीम में छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर पांच वर्षों की अवधि में वसूलनीय ऋण तथा सबसिडी के रूप में ₹ एक लाख (₹ 85,000 सावधि ऋण, ₹ 5,000 मार्जिन धन तथा ₹ 10,000 सबसिडी) की सहायता विचारित थी। 2007-08 से 2011-12 के मध्य, कंपनी ने 73 लाभग्राहियों को ₹ 73 लाख संस्वीकृत किए। ऋण जारी करने से पहले डी.एम. को सुनिश्चित करना था कि लाभग्राही द्वारा दुकान चिन्हित कर ली गई थी तथा किराए की दुकान के मामले में एक उपयुक्त रेंट डीड विद्यमान थी।

जींद और भिवानी जिलों में यह सुनिश्चित किए बिना कि व्यापार के लिए व्यवहार्य वातावरण विद्यमान था, कंपनी ने 33 लाभग्राहियों को ₹ 30.60 लाख की राशि के ऋण संवितरित किए। 30 लाभग्राहियों के विरूद्ध ₹ 38.20 लाख (ब्याज सहित) की वसूलनीय राशि के विरूद्ध ₹ 35.49 लाख बकाया देय छोड़ते हुए केवल ₹ 2.71 लाख तक की वसूली की गई (मार्च 2014)। 15 लाभग्राहियों ने एक भी किश्त नहीं चुकाई थी (बकाया राशि ₹ 20.24 लाख)। इसने संकेत किया कि कंपनी की वसूली पद्धति निष्प्रभावी थी, जिसने कंपनी की निधियों को रिसाईकिल करने और स्कीम के अंतर्गत एस.सी. समुदाय के अधिक सदस्यों को लाने की क्षमता को प्रभावित किया।

---

23 अंबाला, भिवानी, जींद और करनाल।

एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी तथा यह ऋणों के अनियमित जारी करने और निहित कमियों के कारण विफल रही।

टैंट हाउस स्कीम

iii. स्कीम में स्वरोजगार के लिए टैंट हाउस इकाइयां स्थापित करने हेतु पांच वर्षों में पुनर्भुगतान योग्य, छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण तथा सबसिडी के माध्यम से ₹ तीन लाख (स्थाई परिसंपत्ति: ₹ 2.79 लाख, कार्यचालन पूंजी/प्रारंभिक व्यय: ₹ 21,000) की सहायता विचारित है। 2007-08 और 2011-12 के मध्य कंपनी ने भिवानी, जींद और करनाल के जिला कार्यालयों में, टैंट हाउस स्कीम के अंतर्गत 63 लाभग्राहियों को ₹ 188.98 लाख संस्वीकृत किए और दिसंबर 2009 से जून 2010 के दौरान 25 लाभग्राहियों को ₹ 71.65 लाख के ऋण संवितरित किए। 31.03.2014 को ₹ 56.71 लाख की राशि बकाया छोड़ते हुए कंपनी इन 25 लाभग्राहियों से ₹ 71.65 लाख में से ₹ 14.94 लाख ही वसूल कर सकी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी तथा यह ऋणों के अनियमित जारी करने तथा निहित कमियों के कारण विफल हो गई।

वित्तीय सहायता/सबसिडी को अनियमित जारी करना

iv. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ, उनके व्यवसायिक पैटर्न तथा उनके सीमित संसाधनों से आय बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के संयोजी के रूप में, स्पैशल सैंट्रल एसिसटैंस (एस.सी.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत सबसिडी प्रदान करता है। जी.ओ.आई. के निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति से संबंधित केवल उन व्यक्तियों को एस.सी.ए. प्रदान की जानी थी जो गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) थे। पंचकुला जिले में 2007-08 से 2011-12 के दौरान 70 लाभग्राहियों, जिनके नाम बी.पी.एल. सर्वेक्षण सूची में नहीं थे, को ₹ 6.58 लाख की सबसिडी जारी करने के मामले देखे गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, यह बताया गया कि सबसिडी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल हैं। अपात्र व्यक्तियों को सबसिडी जारी किए जाने की कंपनी द्वारा जांच की आवश्यकता है।

बैंक टाई-अप स्कीम-परिसंपत्तियों का असृजन तथा सहायता की वसूली

v. बैंक टाई-अप स्कीम के अंतर्गत लाभग्राही सर्वेक्षण के दौरान, हमने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा संपर्क किए गए 514 लाभग्राहियों में से 395 लाभग्राहियों (77 प्रतिशत) की स्थाई परिसंपत्तियां विद्यमान नहीं थी। 16 मामलों में, पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारण परिसंपत्तियां सृजित नहीं की गई थी। 98 लाभग्राही ऋण तथा सबसिडी की पूर्ण राशि ₹ 19.15 लाख प्राप्त नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप वे व्यवहार्य इकाईयां स्थापित नहीं कर सके। इस प्रकार परिसंपत्तियों के सृजन तथा लाभग्राहियों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का इच्छित प्रयोजन विफल हो गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि कंपनी परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए सही जांचबिंदु (संस्वीकृति पूर्व और संवितरण पश्चात) सुनिश्चित करेगी।

वसूली निष्पादन

vi. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) स्कीमों के अंतर्गत ऋण पांच वर्षों की अवधि में बराबर मासिक किश्तों में वसूलनीय था। दोनों ही स्कीमज में किसी चूक के मामले में, पैनल ब्याज के साथ समग्र राशि भू-राजस्व के बकायों के रूप में एकमुश्त में वसूलनीय बन जाती है और डी.एमज ऋणों की वसूली के लिए उत्तरदायी थे। निम्न तालिका ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान कंपनी का वसूली निष्पादन इंगित किया:

तालिका 3.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आप्रेशनल लेखाओं की कुल संख्या	कुल वसूलनीय राशि	वसूल की गई राशि	वर्ष की समाप्ति पर शेष देय राशि	वसूलनीय राशि से वसूली की प्रतिशतता
2008-09	1,10,019	32.43	2.82	29.61	8.69
2009-10	1,14,401	35.29	3.98	31.31	11.28
2010-11	1,18,020	37.57	4.28	33.29	11.39
2011-12	1,19,863	40.40	4.86	35.54	12.03
2012-13	1,20,787	73.52	4.40	69.12	5.98

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि कंपनी का वसूली निष्पादन 2008-09 से 2012-13 के दौरान केवल 6 से 12 प्रतिशत के बीच रहा था। कम वसूली प्रतिशतता ने दर्शाया कि कंपनी के देयों को वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी तथा बकायों को 2008-13 के दौरान 133.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 29.61 करोड़ से ₹ 69.12 करोड़ तक बढ़ने दिया गया। कंपनी ने यद्यपि 7.40 लाख मामलों में वसूली नोटिस जारी किए थे किंतु केवल 1,470 मामले ही वसूली के लिए कलैक्टर को भेजे गए थे। इसके फलस्वरूप कंपनी निधियों को रिसाईकल करने में विफल रही जिसने आगे, लाभग्राहियों की व्यापक कवरेज को प्रभावित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह बताया गया कि कम वसूली, ऋणों की वसूली की मानीटरिंग न करने तथा स्टाफ की कमी के कारण थी। वसूली सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने सभी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंगज (पी.एस.यूज.) में यूनिफार्म आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की शुरूआत के निर्देश जारी किए (मई 1981)। 2002 में राज्य सरकार ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मार्गनिर्देश बनाए तथा परिचालित किए। निर्देशों के अनुसार, पी.एस.यूज. की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य, जहां पर आंतरिक लेखापरीक्षा सैल नहीं थे, कार्य के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए चाटर्ड अकाउंटेन्ट की एक फर्म को सौंपा जाना था तथा उनकी रिपोर्टस बी.ओ.डीज के सामने रखी जानी थी।

हमने देखा कि कंपनी के पास कोई स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा सैल नहीं था। लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की गई अवधि अर्थात् अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के दौरान मुख्यालय के साथ-साथ जिला कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, कंपनी राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रबंधन ने बताया कि मानव शक्ति की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा करना या लेखापरीक्षा सैल स्थापित करना मुश्किल था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी के सही कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सैल होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (अगस्त 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

चण्डीगढ़
दिनांक: 20 फरवरी FEB 2015

(महुआ पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 05 मार्च MAR 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट -1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2013 को अब तक दी गई पूंजी, बकाया ऋणों तथा मानव शक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.3 में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2012-13 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1967	2.54	1.60	-	4.14	-	-	0.91	0.91	0.22:1 -	158
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड		27 मार्च 1974	1.37	-	0.20	1.57	-	-	-	-	-	135
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड		12 सितम्बर 1974	2.76	1.11	1.13	5.00	0.71	-	-	0.71	0.14:1 (0.19:1)	310
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	वन	7 दिसम्बर 1989	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	82
क्षेत्रवार योग				**6.87**	**2.71**	**1.33**	**10.91**	**0.71**	**-**	**0.91**	**1.62**	**0.15:1 (0.09:1)**	**685**
वित्त													
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग	2 जनवरी 1971	25.14	22.96	-	48.10	-	-	8.94	8.94	0.19:1 (0.20:1)	141
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	कल्याण	10 दिसम्बर 1980	21.52 (1.00)	-	-	21.52 (1.00)	8.64	-	62.85	71.49	3.32:1 (3.64:1)	41
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल विकास	31 मार्च 1982	15.51	1.10	-	16.61	-	-	-	-	-	54
क्षेत्रवार योग				**62.17 (1.00)**	**24.06**	**-**	**86.23 (1.00)**	**8.64**	**-**	**71.79**	**80.43**	**0.93:1 (0.99:1)**	**236**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी[$]				2012-13 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
मूलभूत संरचना													
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड [#]	उद्योग	8 मार्च 1967	48.82 (0.02)	-	-	48.82 (0.02)	25.00	-	1984.82	2009.82	41.17:1 (9.24:1)	596
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	29 दिसम्बर 1989	25.00	-	-	25.00	-	-	200.63	200.63	8.03:1 (5.63:1)	187
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर)	13 मई 1999	122.04	-	-	122.04	-	-	-	-	-	2
क्षेत्रवार योग				**195.86 (0.02)**	**-**	**-**	**195.86 (0.02)**	**25.00**	**-**	**2185.45**	**2210.45**	**11.29:1 (3.65:1)**	**785**
विद्युत													
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत	17 मार्च 1997	2735.24 (1027.07)	-	145.00	2880.24 (1027.07)	-	4.14	4941.25	4945.39	1.72:1 (1.94:1)	3859
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		19 अगस्त 1997	2011.84 (75.12)	-	-	2011.84 (75.12)	606.05	-	4173.49	4779.54	2.38:1 (2.14:1)	4745
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		15 मार्च 1999	1083.30 (32.87)	-	546.98	1630.28 (32.87)	29.22	-	13489.19	13518.41	8.29:1 (5.92:1)	12024
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत	15 मार्च 1999	1001.84 (32.55)	-	437.27	1439.11 (32.55)	100.57	-	1389.19	1489.76	1.04:1 (1.14:1)	10301
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड[Y]		15 जनवरी 2009	-	-	1.24	1.24	-	-	-	-	-	-
16.	हरियाणा कोल कम्पनी लिमिटेड∞		24 जनवरी 2013	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**6832.23 (1167.61)**	**-**	**1130.49**	**7962.72 (1167.61)**	**735.84**	**4.14**	**23993.12**	**24733.10**	**3.11:1 (2.66:1)**	**30929**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी$				2012-13 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
सेवाएं													
17	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं जन सम्पर्क	1 मई 1974	21.46	-	-	21.46	-	-	-	-	-	1663
18	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	परिवहन	27 नवम्बर 1987	6.60	-	-	6.60	-	-	-	-	-	127
19	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	इलैक्ट्रोनिक्स	15 मई 1982	9.86	-	-	9.86	-	-	-	-	-	233
20	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड[@]		8 मार्च 1995	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
21	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लि0	नगर तथा ग्राम आयोजना	14 फरवरी 1996	-	-	14.72	14.72	-	-	-	-	-	1
22	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	24 मार्च 2012	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**37.92**	**-**	**15.27**	**53.19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2024**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**7135.05 (1168.63)**	**26.77**	**1147.09**	**8308.91 (1168.63)**	**770.19**	**4.14**	**26251.27**	**27025.60**	**3.25:1 (2.65:1)**	**34659**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम	कृषि	1 नवम्बर 1967	2.92	2.92	-	5.84	-	-	12.54	12.54	2.15:1 (5.17:1)	751
क्षेत्रवार योग				**2.92**	**2.92**	**-**	**5.84**	**-**	**-**	**12.54**	**12.54**	**2.15:1 (5.17:1)**	**751**
वित्त													
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	1 अप्रैल 1967	201.86	-	5.65	207.51	-	-	80.16	80.16	0.39:1 (0.74:1)	165
क्षेत्रवार योग				**201.86**	**-**	**5.65**	**207.51**	**-**	**-**	**80.16**	**80.16**	**0.39:1 (0.74:1)**	**165**
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**204.78**	**2.92**	**5.65**	**213.35**	**-**	**-**	**92.70**	**92.70**	**0.43:1 (0.86:1)**	**916**
सकल योग (क+ख)				**7339.83 (1168.63)**	**29.69**	**1152.74**	**8522.26 (1168.63)**	**770.19**	**4.14**	**26343.97**	**27118.30**	**3.18:1 (2.60:1)**	**35575**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी$				2012-13 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	कृषि	9 जनवरी 1970	10.89	-	-	10.89	97.64	-	-	97.64	8.97:1 (8.97:1)	-
क्षेत्रवार योग				**10.89**	**-**	**-**	**10.89**	**97.64**	**-**	**-**	**97.64**	**8.97:1 (8.97:1)**	**-**
वित्त													
2.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	19 जून 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूलभूत संरचना													
3.	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड@	उद्योग	29 नवम्बर 1973	2.90	-	3.95	6.85	1.39	-	2.30	3.69	0.54:1 (0.54:1)	-
क्षेत्रवार योग				**2.90**	**-**	**3.95**	**6.85**	**1.39**	**-**	**2.30**	**3.69**	**0.54:1 (0.54:1)**	**-**
विनिर्माण													
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड	उद्योग	12 सितम्बर 1972	1.17	-	0.18	1.35	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**1.17**	**-**	**0.18**	**1.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाएं													
5.	हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	उद्योग	20 फरवरी 1976	2.65	0.30	-	2.95	3.07	-	-	3.07	1.04:1	-
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	19 जुलाई 1967	1.81	-	0.10	1.91	9.21	-	-	9.21	4.82:1 (4.82:1)	2
क्षेत्रवार योग				**4.46**	**0.30**	**0.10**	**4.86**	**12.28**	**-**	**-**	**12.28**	**2.53:1 (1.90:1)**	**2**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी$				2012-13 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
विविध													
7.	हरियाणा खनिज लिमिटेड@	खदान एवं भू-विज्ञान	2 दिसम्बर 1972	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-
योग ग. (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)				19.42	0.30	4.47	24.19	111.31	-	2.30	113.61	4.70:1 (4.57:1)	2
कुल योग (क+ख+ग)				7359.25 (1168.63)	29.99	1157.21	8546.45 (1168.63)	881.50	4.14	26346.27	27231.91	3.19:1 (2.61:1)	35577

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने 2012-13 हेतु अपने लेखे अन्तिम कर दिये थे, को छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कम्पनियों तथा निगमों द्वारा दिए गए अनुसार हैं।
कालम 5 (क) से 5(घ.) में कोष्ठकों में आंकड़े शेयर आवेदन धन इंगित करते हैं।

$ प्रदत्त पूंजी में शेयर आवेदन राशि शामिल है।

** 2012-13 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को निरूपित करते हैं।

एच.एस.एस.आई.डी.सी. की पूंजी में ₹ 21.90 करोड़ की कमी है क्योंकि उसे औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाओं के अनुदानों के रूप में माना गया है।

^ ^ क्रम संख्या क-15 पर कम्पनी 619 ख कम्पनी है।

∞ हरियाणा कोल कंपनी 24-01-2013 को आरंभ की गई थी।

@ हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी।

परिशिष्ट-2

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखे फाईनल किए गए थे, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद 1.6में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से11तकके आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी@	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क.कार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)148.31	142.49	0.35	(+)5.47	1196.68	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	4.14	(+)48.96	(+)53.93	(+)147.96	274.36
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 1.05	-	0.30	(-) 1.35	66.75	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.56	(+) 2.09	(+) 3.70	(-) 1.35	-
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)3.80	1.42	1.21	(+)1.17	167.48	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	5.01	(+)8.55	(+)27.99	(+)2.59	9.25
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	(+)3.73	-	0.25	(+)3.48	30.96	-	0.20	(+)23.60	(+)23.81	(+)3.48	14.62
	क्षेत्रवार योग			**(+) 154.79**	**143.91**	**2.11**	**(+) 8.77**	**1461.87**	**-**	**10.91**	**(+) 83.20**	**(+) 109.43**	**(+) 152.68**	**139.52**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी@	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
वित्त														
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2012-13	(+)2.17	0.31	0.04	(+)1.82	1.85	(-)3.65	39.99	(+) 0.75	(+)51.88	(+) 2.13	4.11
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2008-09	2012-13	(-) 0.32	1.97	0.02	(-) 2.31	0.52	(-) 2.56	16.11	(-) 9.33	(+) 56.42	(-) 0.34	-
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2012-13	(+) 0.05	-	0.02	(+) 0.03	1.60	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	16.61	(+) 0.11	(+) 17.58	(+) 0.03	0.17
क्षेत्रवार योग				**(+) 1.90**	**2.28**	**0.08**	**(-) 0.46**	**3.97**	**(-) 6.21**	**72.71**	**(-) 8.47**	**(+) 125.88**	**(+) 1.82**	**1.45**
मूलभूत संरचना														
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	(+) 78.82	5.13	1.75	(+) 71.94	147.34	-	70.70	(+) 286.79	(+) 1898.94	(+) 77.07	4.06
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+) 11.51	11.20	0.22	(+) 0.09	66.22	-	25.00	(+) 0.31	(+) 171.71	(+) 11.29	6.58
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	(+) 64.37	9.42	43.00	(+) 11.95	69.78	-	122.04	(-) 53.55	(+) 182.44	(+) 21.37	11.71
		2011-12	2013-14	(+) 109.41	38.13	43.01	(+) 28.27	97.22	अन्तिमकरण अधीन	122.04	(-) 25.28	(+) 96.76	(+) 66.40	68.62
क्षेत्रवार योग				**(+) 199.74**	**54.46**	**44.98**	**100.30**	**310.78**		**217.74**	**(+) 261.82**	**(+) 2167.41**	**(+) 154.76**	**7.14**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी@	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विद्युत														
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)1305.34	979.91	485.92	(-) 160.49	6504.02	-	2500.30	(-) 264.02	(+) 7654.97	(+) 819.42	10.70
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)606.08	306.11	159.90	(+)140.07	1112.59	(-) 844.18	1261.85	(+)266.56	(+)5214.25	(+)446.18	8.56
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 7385.10	1082.96	135.54	(-) 8603.60	5828.86	-	1597.41	(-) 12423.61	(-) 1230.12	(-) 7520.64	-
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 939.36	544.78	86.10	(-) 1570.24	6971.62	-	1406.57	(-) 7285.53	(+)3356.57	(-) 1025.46	-
		2012-13	2013-14	(-) 317.84	934.32	100.25	(-) 1352.41	6811.29	अन्तिमकरण अधीन	1439.12	(-) 8637.94	(+) 1097.83	(-) 418.09	-
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+) 0.01	-	-	(+) 0.01	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.24	(+) 0.03	(+) 1.27	(+) 0.01	0.78
		2012-13	2013-14	(-) 0.10	-	-	(-) 0.10	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.24	(-)0.07	(+)1.17	(-) 0.10	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 5791.62**	**3303.30**	**881.61**	**(-) 9976.53**	**20256.76**	**(-) 844.18**	**6799.92**	**(-) 21059.08**	**(+) 12738.10**	**(-) 6673.23**	-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(−)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[$]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवाएं														
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2009-10	2012-13	(+)6.45	-	2.29	(+)4.16	184.65	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	20.19	(+)25.39	(+)181.33	(+)4.16	2.29
17	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2009-10	2012-13	(+) 11.28	1.70	5.89	(+) 3.69	55.99	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	6.40	(+) 6.98	(+) 26.00	(+) 5.39	20.73
		2010-11	2013-14	(+) 10.69	0.63	6.16	(+) 3.90	54.48	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	6.60	(+) 10.35	(+) 20.14	(+) 4.53	22.49
18	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)8.55	1.44	0.51	(+)6.60	23.47	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	9.86	(+)45.32	(+)60.07	(+)8.04	13.38
19.	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)0.15	-	-	(+)0.15	0.32	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.50	(+)2.61	(+)3.11	(+)0.15	4.87
20.	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लि.	2010-11	2011-12	(+)5.89	-	1.04	(+)4.85	1.09	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	14.72	(+)8.99	(+)36.94	(+)4.85	13.13
21.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.05	-	0.05	-	-
क्षेत्रवार योग				(+) 31.73	2.07	10.00	(+) 19.66	264.01	-	51.92	(+) 92.66	(+) 301.64	21.73	7.20
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				(-) 5403.46	3506.02	938.78	(-) 9848.26	22297.39	(-) 850.39	7153.20	(-) 20629.87	(+) 15442.46	(-) 6342.24	-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(−)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[$]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा राज्यवेयरहाउसिंग निगम	2011-12	2012-13	(+) 28.67	3.59	4.73	(+) 20.35	80.14	(-)0.56	5.84	-	(+) 394.45	(+) 23.94	6.07
क्षेत्रवार योग				**(+) 28.67**	**3.59**	**4.73**	**(+) 20.35**	**80.14**	**(-)0.56**	**5.84**	**-**	**(+)394.45**	**(+) 23.94**	**6.07**
वित्त														
2	हरियाणा वित्तीय निगम	2011-12	2012-13	(-) 26.24	2.37	0.61	(-) 29.22	9.84	(-) 0.07	207.51	-163.26	(+) 396.22	-26.85	-
		2012-13	2013-14	(+) 1.11	0.87	0.55	(-) 0.31	7.35	अन्तिमकरण अधीन	207.51	(-) 163.57	(+) 319.09	(+) 0.56	0.18
क्षेत्रवार योग				**(+) 1.11**	**0.87**	**0.55**	**(-) 0.31**	**7.35**		**207.51**	**(-) 163.57**	**(+) 319.09**	**(+) 0.56**	**0.18**
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**(+) 29.78**	**4.46**	**5.28**	**(+) 20.04**	**87.49**	**(-) 0.56**	**213.35**	**(-) 163.57**	**(+) 713.54**	**(+)24.50**	**3.44**
कुल योग (क+ख)				**(-) 5373.68**	**3510.48**	**944.06**	**(-) 9828.22**	**22384.88**	**(-) 850.95**	**7366.55**	**(-) 20793.44**	**(+) 16156.00**	**(-) 6317.74**	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-) 1.90	10.16	-	(-) 12.06	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	10.89	(-) 333.68	(+) 10.89	(-) 1.90	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 1.90**	**10.16**	**-**	**(-) 12.06**	**-**		**10.89**	**(-) 333.68**	**(+) 10.89**	**(-) 1.90**	**-**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[$]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
वित्त														
2	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड#	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूलभूत संरचना														
3	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड#	1997-98	1998-99	(-) 2.85	4.40	0.72	(-) 7.97	-	-	6.85	(-) 27.18	(+) 9.40	(-) 3.57	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 2.85**	**4.40**	**0.72**	**(-) 7.97**	-	-	**6.85**	**(-) 27.18**	**(+) 9.40**	**(-) 3.57**	-
विनिर्माण														
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 0.01	-	-	(-) 0.01	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.35	(-) 10.58	(+) 10.18	(-) 0.01	-
		2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.35	(-) 10.58	(+) 10.18	-	
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-	-	**1.35**	**(-) 10.58**	**(+) 10.18**	-	

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवललाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी@	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ$	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याजएवं मूल्यह्राससे पहले निवललाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवललाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवाएं														
5.	हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 0.02	-	-	(-) 0.02	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	2.95	(-) 6.18	(+) 5.39	(-) 0.02	-
		2012-13	2013-14	(-) 0.05	-	-	(-) 0.05	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	2.95	(-) 6.23	(+) 2.95	(-) 0.05	-
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 0.34	1.06	-	(-) 1.40	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.91	(-) 27.22	(+) 12.73	(-) 0.34	-
		2012-13	2013-14	(-) 0.10	1.06	-	(-) 1.16	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.91	(-) 28.38	(+) 12.73	(-) 0.10	
क्षेत्रवार योग				**(-) 0.15**	**1.06**	**-**	**(-) 1.21**	**-**	**-**	**4.86**	**(-) 34.61**	**(+) 15.68**	**(-) 0.15**	
विविध														
7	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2008-09	2012-13	(+) 0.01	0.10	-	(-) 0.09	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.24	(-) 10.31	(+) 5.27	(+) 0.01	0.19
		2009-10	2012-13	(-) 0.01	0.10	-	(-) 0.11	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.24	(-) 10.42	(+) 5.27	(+) 0.01	0.19
		2010-11	2012-13	(+) 0.01	0.10	-	(-) 0.09	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.24	(-) 10.52	(+) 5.27	(+) 0.01	0.19
क्षेत्रवार योग				**(+) 0.01**	**0.10**	**-**	**(-) 0.09**	**-**		**0.24**	**(-) 10.52**	**(+) 5.27**	**(+) 0.01**	**0.19**
योग ग. (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**(-) 4.89**	**15.72**	**0.72**	**(-) 21.33**			**24.19**	**(-) 416.57**	**(+) 51.42**	**(-) 5.61**	
कुल योग (क+ख+ग)				**(-)5378.57**	**3526.20**	**944.78**	**(-) 9849.55**	**22384.88**	**(-) 850.95**	**7390.74**	**(-)21210.01**	**(+) 16207.42**	**(-) 6323.35**	

@ नियोजित पूंजी, शेयर होल्डर फंड तथा दीर्घावधि उधारों को निरूपित करती है।

$ नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, लाभ तथा हानि लेखा को प्रभारित ब्याज तथा लाभ जोड़कर, परिकलित किया गया है।

ये कंपनियां समापनाधीन हैं।

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य ग्रांटस एवं सबसिडीज, प्राप्त गारंटियों, देयों की माफी, बट्टे खाते डाले गए ऋणों तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2013 की समाप्ति पर बकाया गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.4 में संदर्भित)

(कालम 3 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं सबसिडी				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	माफी ब्याज/शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	16.27	4.48	-	20.75	-	-	-	-	-	-
2.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	-	-	14.18	0.30	16.54	31.02	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**30.45**	**4.78**	**16.54**	**51.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्त													
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	11.98	4.35	-	16.33	3.44	8.94	-	-	-	-
4.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1.00	-	-	1.25	-	1.25	-	60.00	-	-	-	-
5.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	-	-	0.35	3.91	-	4.26	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**1.00**	**-**	**12.33**	**9.51**	**-**	**21.84**	**3.44**	**68.94**	**-**	**-**	**-**	**-**

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं सबसिडी				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	माफी ब्याज/शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
मूलभूत संरचना													
6.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.02	-	-	23.50	-	23.50	-	-	-	-	-	-
7.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-	-	(35.33)	-	-	(35.33)	-	300.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**0.02**	**-**	**-** **(35.33)**	**23.50**		**23.50** **(35.33)**	**-**	**300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
विद्युत													
8.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	58.08	-	-	-	0.11	0.11	-	181.53	-	-	-	-
9.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	75.12	-	-	5129.13	-	5129.13	834.30	1795.92	-	-	-	-
10.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	32.87	-	-	3620.26	-	3620.26	8814.15	8974.70	-	-	-	-
11.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	32.55	-	-	1508.87	-	1508.87	4579.13	4732.06	-	-	-	-
12	हरियाणा कोल कंपनी	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**198.63**	**-**	**-**	**10258.26**	**0.11**	**10258.37**	**14227.58**	**15684.21**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाएं													
13.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	-	-	(0.56)	(23.92)	(0.30)	(24.78)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**(0.56)**	**(23.92)**	**(0.30)**	**(24.78)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)		**199.65**	**-**	**42.78** **(35.89)**	**10296.05** **(23.92)**	**16.65** **(0.30)**	**10355.48** **(60.11)**	**14231.02**	**16053.15**	**-**	**-**	**-**	**-**

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं सबसिडी				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	माफी ब्याज/शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
सांविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम	-	-	3.54	-	-	3.54	1677.93	953.03	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**3.54**	**-**	**-**	**3.54**	**1677.93**	**953.03**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग ख.		**-**	**-**	**3.54**	**-**		**3.54**	**1677.93**	**1058.03**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग (क+ख)		**199.65**		**46.32 (35.89)**	**10296.05 (23.92)**	**16.65 (0.30)**	**10359.02 (60.11)**	**15908.95**	**17111.18**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने अपने लेखे 2010-11 के लिए अन्तिमकृत किए, के संबंध में छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा जैसा कि कम्पनियों/निगमों के द्वारा दिए गए हैं।

@ आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया कुल गारंटियों को इंगित करते हैं।

* कोष्ठकों में आंकड़े अनुदानों को निरूपित करते हैं।

परिशिष्ट – 4

सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.7 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश				
			वर्ष	इक्विटी	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
कार्यरत कम्पनियां							
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	1.56	2012-13	-	-	-	4.48
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2011-12	5.01	2012-13	-	-	-	0.30
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009-10	39.99	2010-11	5.49	-	-	4.10
			2011-12	-	-	-	4.00
			2012-13	-	-	-	4.35
हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2008-09	16.11	2009-10	1.50	-	-	4.71
			2010-11	1.95	-	-	2.37
			2011-12	1.00	-	-	1.06
			2012-13	1.00	-	-	1.25
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2008-09	16.61	2009-10	-	-	-	1.40
			2010-11	-	-	-	1.50
			2011-12	-	-	-	3.35
			2012-13	-	-	-	3.91
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2011-12	70.70	2012-13	0.02	-	-	23.50
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2011-12	2500.30	2012-13	58.08	-	-	-
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2011-12	1261.85	2012-13	75.12	-	-	5129.13
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	1406.57	2012-13	32.87	-	-	3620.26
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2009-10	20.19	2010-11	1.21	-	-	16.61
			2011-12	0.06	-	20.00	-
			2012-13	-	-	23.92	-
हरियाणा रोड़वेज़ अभियांत्रिकी निगम	2010-11	6.40	2010-11	-	-	-	-
			2011-12	0.20	-	-	-
			2012-13	-	-	-	-
कुल				**178.50**	**-**	**43.92**	**8826.28**

परिशिष्ट-5

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत डी.पी.आरज के अनुसार, अवार्ड के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति तथा 31 मार्च 2013 को उनके विरूद्ध वास्तविक एचीवमेंट को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.5.4 एवं 2.1.8.1 में संदर्भित)

उ.ह.बि.वि.नि.लि.

क्र.सं.	विवरण	के अनुसार लक्ष्य			वास्तविक एचीवमेंट	अनुमोदित डी.पी. आरज के संबंध में प्राप्ति (प्रतिशत में)
		प्रस्तावित डी.पी.आरज	अनुमोदित डी.पी.आरज	प्रदानगी		
X वीं योजना						
1	**रोहतक**					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	207.46	143.00	143.00	71.60	50.07
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	69	69	69	71	102.90
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	89	89	89	94	105.62
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	87.81	72.00	72.00	68.25	94.79
2	**सोनीपत**					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	595.00	595.00	595.00	403.69	67.85
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	43	43	43	11	25.58
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	189	189	189	68	35.98
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	108.00	108.00	108.00	9.87	9.14
3	**पानीपत**					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	278.00	278.00	278.00	216.82	77.99
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	126	126	126	105	83.33
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	174	174	174	132	75.86
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	36.00	36.00	36.00	35.28	98.00
4	**करनाल**					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	421.00	421.00	421	257.27	61.11
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	535	535	535	412	77.01
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	166.60	166.60	166.60	47.50	28.51
X वीं योजना का योग (1+2+3+4)						
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	1501.46	1437	1437	949.38	66.07
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	238	238	238	187	78.57
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	987	987	987	706	71.53
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	398.41	382.6	382.6	160.9	42.05
XI वीं योजना						
5	**जींद**					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	79.50	79.50	89.50	34.88	43.87
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	0	0	0	20	0
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	447	447	447	281	62.86
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	48.39	48.39	48.00	55.45	114.59
6	**झज्जर**					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	123.00	112.66	113.00	35.20	31.24
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	57	52	57	35	67.31
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	189	173	189	133	76.88
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	98.40	98.40	99.00	66.38	67.46

क्र.सं.	विवरण	के अनुसार लक्ष्य			वास्तविक एचीवमेंट	अनुमोदित डी.पी. आरज के संबंध में प्राप्ति (प्रतिशत में)
		प्रस्तावित डी.पी.आरज	अनुमोदित डी.पी.आरज	प्रदानगी		
7	कैथल					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	150.50	150.50	150.50	38.40	25.51
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	95	95	95	90	94.74
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	331	331	331	226	68.28
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	120.40	120.40	120.00	136.00	112.96
8	अंबाला					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	259.00	94.80	259.80	16.20	17.09
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	55	20	55	44	220.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	378	138	378	125	90.58
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	129.00	129.90	130.00	22.70	17.47
9	कुरूक्षेत्र					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	176.20	176.20	176.20	14.39	8.17
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	10	10	10	10	100
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	345	345	345	158	45.8
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	71.40	71.40	71.00	25.80	36.13
10	यमुनानगर					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	377.40	165.56	377.00	45.00	27.18
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	112	49	112	66	134.69
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	520	229	520	242	105.68
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	189.20	189.20	189.00	53.00	28.01
11	पंचकूला					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	116.28	61.63	116.00	37.52	60.88
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	61	32	61	24	75
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	157	84	157	74	88.1
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	220.40	108.00	220.00	61.94	57.35
XI वीं योजना का योग (5+6+7+8+9+10+11)						
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	1281.88	840.85	1282	221.59	26.35
	63 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	390	258	390	284	110.47
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	2367	1747	2367	1239	70.92
	एल.टी. लाईन (कि.मी. में)	877.19	765.69	877	421.27	55.02
द.ह.बि.वि.नि.लि.						
XI वीं योजना फेस–I						
1	सिरसा					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	240.50	240.50	32.34	34.64	14.40
	16 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में.)	0	0	260	260	0.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	481	481	44	44	9.15
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0	0	10.78	7.98	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00
2	भिवानी					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	262.28	262.28	196.71	69.92	26.66
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	586	586	586	617	105.29
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0	0	65.57	36.4	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	के अनुसार लक्ष्य			वास्तविक एचीवमेंट	अनुमोदित डी.पी. आरज के संबंध में प्राप्ति (प्रतिशत में)
		प्रस्तावित डी.पी.आरज	अनुमोदित डी.पी.आरज	प्रदानगी		
3	हिसार					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	171.50	171.50	128.20	58.00	33.82
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	343	343	343	341	99.42
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0.00	0.00	43.10	24.00	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	171.50	149.50	0.00	0.00	0.00
4	महेंद्रगढ़					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	209.00	209.00	139.00	34.45	16.48
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	661	661	580	433	65.51
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0.00	0.00	46.00	23.22	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00
5	रेवाड़ी					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	363.06	161.28	113	29.27	18.15
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	727	323	421	512	158.51
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0	0	38	37.9	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	217.84	217.84	0.00	0.00	0.00
6	फतेहाबाद					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	143.00	143.00	107.00	23.81	16.65
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	294	294	294	294	100.00
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0.00	0.00	36.00	17.65	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00
7	मेवात					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	251.86	251.86	178	88.08	34.97
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	656	656	616	718	109.45
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0.00	0.00	59.00	42.94	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	125.29	125.29	0	0.00	0.00
XI वीं योजना फेस–I (1+2+3+4+5+6+7) का योग						
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	1641.20	1439.42	894.25	338.17	23.49
	16 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	0.00	0.00	260	260	0.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	3748	3344	2884	2959	88.49
	एच.टी. एरियल बंचड केबल	0.00	0.00	298.45	190.09	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	1034.84	1012.84	0	0	0.00
8	फरीदाबाद					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00
	16 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	81	81	81	0.00	0.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	39	39	39	0.00	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	78.85	78.85	0	0.00	0.00
9	पलवल					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	64.4	64.4	64.4	0.00	0.00
	16 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	161	161	161	0.00	0.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	114	114	114	0.00	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	68.38	68.38	0	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	के अनुसार लक्ष्य			वास्तविक एचीवमेंट	अनुमोदित डी.पी. आरज के संबंध में प्राप्ति (प्रतिशत में)
		प्रस्तावित डी.पी.आरज	अनुमोदित डी.पी.आरज	प्रदानगी		
10	गुड़गांव					
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
	16 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	0	0	0	0.00	0.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	105	105	105	0.00	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	32.61	32.61	0	0.00	0.00
XI वीं योजना फेस-II (8+9+10) का योग						
	11 के.वी. लाईन (कि.मी. में)	113.14	113.14	113.14	0.00	0.00
	16 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	242	242	242	0.00	0.00
	25 के.वी.ए. डी.टी. (संख्या में)	258	258	258	0.00	0.00
	एल.टी. (कि.मी. में)	179.84	179.84	0	0.00	0.00

परिशिष्ट-6

31 मार्च 2013 तक परियोजनाओं के कम्पलीशन की निर्धारित तारीख, कम्पलीशन की वास्तविक तारीख तथा निष्पादन में विलंब को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.7.3 में संदर्भित)

परियोजना का नाम	डी.पी.आरज के अनुमोदन की तारीख	करार के प्रदानगी की तारीख	कम्पलीशन की लक्ष्य तारीख[1]	कम्पलीशन की वास्तविक तारीख	विलंब (महीनों में)
उ.ह.बि.वि.नि.लि.					
रोहतक	06.10.05	13.03.06	12.03.07	08.11.07	7
सोनीपत	28.07.05	30.06.06	29.06.07	26.10.10	39
पानीपत	28.07.05	30.06.06	29.06.07	21.10.10	39
करनाल	06.10.05	30.07.06	29.06.07	26.10.10	39
कैथल	07.03.08	10.07.07	09.07.08	28.03.14	67
अंबाला	07.03.08	23.10.07	22.10.08	28.03.14	64
कुरूक्षेत्र	07.03.08	23.10.07	22.10.08	28.03.14	64
पंचकूला	07.03.08	23.10.07	22.10.08	28.03.14	64
जींद	07.03.08	10.07.07	09.07.08	कार्य पूर्ण नहीं किया गया	
झज्जर	07.03.08	10.07.07	09.07.08		
यमुनानगर	07.03.08	23.10.07	22.10.08		
द.ह.बि.वि.नि.लि.					
सिरसा	10.03.08	17.04.08	16.01.09	02.11.10	21
भिवानी	10.03.08	17.04.08	16.01.09	करार रद्द किया गया	
हिसार	07.03.08	30.10.08	29.07.09	07.09.10	13
मोहिन्द्रगढ़	07.03.08	30.10.08	29.07.09	31.08.10	13
रेवाड़ी	07.03.08	03.11.08	02.08.09	13.12.11	28
फतेहाबाद	07.03.08	15.01.09	14.10.09	07.09.10	10
मेवात	07.03.08	15.01.09	14.10.09	31.08.10	10
फरीदाबाद	23.12.11	17.09.12	16.06.13	कार्य प्रगति पर है	
पलवल	23.12.11	10.09.12	09.06.13		
गुड़गांव	23.12.11	17.09.12	16.06.13		

1 उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने परियोजनाओं की कम्पलीशन के लिए एक वर्ष का समय दिया जबकि द.ह.बि.वि.नि.लि. ने परियोजनाओं की कम्पलीशन के लिए नौ माह का समय दिया।

परिशिष्ट–7

उ.ह.बि.वि.नि.लि. में आइडल इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.7.4 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	आइडल इन्फ्रास्ट्रक्चर	दर प्रति यूनिट	कुल
ए.	**पंचकूला परियोजना**				
1	गांवों की संख्या	नं.	12	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	3.1528	1.93	6.08
3	एल.टी. लाईन 1 फेस	के.एमस	2.038	1.57	3.20
4	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	3.414	1.17	3.99
5	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	9	1.02	9.18
6	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	4	1.45	5.80
	कुल(ए)	-	-	-	**28.25**
बी.	**अंबाला परियोजना**				
1	गांवों की संख्या	नं.	1	-	-
2	एल.टी. लाईन 1 फेस	के.एमस	0.058	1.13	0.07
	कुल(बी)	-	-	-	**0.07**
सी.	**कुरूक्षेत्र परियोजना**				
1	गांवों की संख्या	नं.	9	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	0.55	2	1.10
3	एल.टी. लाईन 1 फेस	के.एमस	0.933	1.13	1.05
4	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	0.835	1.58	1.32
5	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	8	1.02	8.16
6	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	1	1.43	1.43
	कुल(सी)	-	-	-	**13.06**
डी.	**कैथल परियोजना**				
1	गांवों की संख्या	नं.	15	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	1.25	2.15	2.69
3	एल.टी. लाईन 1 फेस	के.एमस	3.952	1.76	6.96
4	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	0.4	1.57	0.63
5	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	12	1.01	12.12
6	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	1	1.42	1.42
	कुल(डी)	-	-	-	**23.82**
ई.	**यमुनानगर परियोजना**				
1	गांवों की संख्या	नं.	34	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	2.101	2	4.20
3	एल.टी. लाईन 1 फेस	के.एमस	3.432	1.13	3.88
4	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	4.692	1.58	7.41
5	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	24	1.02	24.48
6	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	6	1.43	8.58
	कुल(ई)	-	-	-	**48.55**

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	आइडल इन्फ्रास्ट्रक्चर	दर प्रति यूनिट	कुल
	एफ. करनाल परियोजना				
1	गांवों की संख्या	नं.	38	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	52.151	2.31	120.47
3	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	3.525	1.6	5.64
4	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	50	1.37	68.50
	कुल(एफ)	-	-	-	**194.61**
	जी. पानीपत परियोजना				
1	गांवों की संख्या	नं.	26	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	88.646	2.31	204.77
3	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	21.262	0.8	17.01
4	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	19	1.37	26.03
5	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	17	1.86	31.62
	कुल(जी)	-	-	-	**279.43**
	एच. सोनीपत परियोजना				
1	गांवों की संख्या	नं.	4	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	5.179	2.31	11.96
3	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	0.666	1.6	1.07
4	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	1	1.37	1.37
5	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	1	1.86	1.86
	कुल(एच)	-	-	-	**16.26**
	आई. रोहतक परियोजना				
1	गांवों की संख्या	नं.	5	-	-
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	7.093	2.31	16.38
3	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	0.666	1.6	1.07
4	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	5	1.2	6.00
	कुल(आई)	-	-	-	**23.45**

आइडल इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुल मूल्य (ए+बी+सी+डी+इ+एफ+जी+एच+आई)

कुल आइडल इन्फ्रास्ट्रक्चर

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	आइडल इन्फ्रास्ट्रक्चर	कुल
1	गांवों की संख्या	नं.	144	0.00
2	11 के.वी. लाईन	के.एमस	160.1228	367.66
3	एल.टी. लाईन 1 फेस	के.एमस	15.213	15.15
4	एल.टी. लाईन 3 फेस	के.एमस	35.46	38.14
5	25 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	128	155.84
6	63 के.वी.ए. डी.टीज	नं.	30	50.71
कुल योग				**627.50**

परिशिष्ट-8

2008–09 से 2012–13 के दौरान हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम की वित्तीय स्थिति तथा कार्यरत परिणाम दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.2.6.1 में संदर्भित)

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
देयताएं					
प्रदत्त पूंजी	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
आरक्षित एवं अधिशेष					
मुक्त आरक्षित	279.15	301.52	335.41	354.24	218.59
अन्य आरक्षित	33.19	36.73	34.09	34.37	35.01
उधार:					
दीर्घावधि	5.97	4.98	31.98	29.76	12.54
कैश क्रेडिट	224.64	257.48	65.45	502.54	953.02
लघु अवधि ऋण	0.00	193.68	239.97	178.53	401.66
व्यापार देय एवं चालू देयताएं (प्रावधानों सहित)	110.78	128.79	145.22	135.43	477.16
आस्थगित कर	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
कुल–ए	**661.72**	**931.17**	**860.11**	**1242.86**	**2105.97**
परिसंपतियां					
समग्र ब्लाक	121.17	143.74	191.92	221.21	249.29
घटा: मूल्यह्रास	32.45	34.79	37.98	42.38	48.36
निवल अचल परिसंपतियां	88.71	108.95	153.94	178.83	200.93
पोलीथीन कवर्स	0.61	1.47	1.01	1.21	1.17
चालू पूंजीगत कार्य	0.78	0.81	6.40	3.01	6.81
चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम	571.60	819.94	698.76	1059.81	1897.06
कुल–बी	**661.72**	**931.17**	**860.11**	**1242.86**	**2105.97**
नियोजित पूंजी *	324.14	349.07	407.33	424.21	271.98
निवल मूल्य **	284.99	307.36	341.25	360.08	224.43

* नियोजित पूंजी, शेयर होल्डर फंड (प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित) तथा दीर्घावधि उधारों को निरूपित करती है।

** निवल मूल्य, प्रदत्त पूंजी जमा मुक्त आरक्षण को निरूपित करता है।

कार्यरत परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय						
i	वेयरहाउसिंग प्रभार	46.22	60.54	64.75	80.14	100.77
ii	बैंक पर ब्याज	0.51	0.85	0.16	0.24	0.12
iii	गेंहूं से सरप्लस	18.19	21.50	19.20	3.85	19.94
iv	धान से सरप्लस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v	बाजरा से सरप्लस	0.00	0.00	0.30	0.00	1.35
vi	पूर्व अवधि आय	0.34	4.06	3.94	5.00	1.43
vii	विविध एवं अन्य प्राप्तियां	2.63	3.14	3.22	3.91	5.04
	कुल	**67.89**	**90.10**	**91.58**	**93.14**	**128.66**
व्यय						
i	उधारों पर ब्याज	0.34	0.59	0.96	3.59	2.12
ii	स्थापना व्यय	11.87	16.64	18.39	18.83	19.59
iii	स्टाफ वेतन एवं कर	15.03	4.32	4.75	5.58	7.80
iv	किराया, रेटस एवं कर	4.71	5.64	5.55	6.32	6.16
v	मूल्यह्रास	2.47	2.44	3.40	4.73	6.59
vi	धान से घाटा	0.29	0.77	0.60	6.39	27.32
vii	बाजरे से घाटा	0.97	2.57	0.00	1.95	0.00
viii	पूर्व अवधि व्यय	0.85	0.75	0.99	1.90	0.89
ix	विविध अन्य व्यय	9.45	10.90	9.32	10.80	14.64
x	स्टाफ के लिए प्रावधान	1.29	13.76	15.66	8.21	175.93
	कुल	**47.27**	**58.37**	**59.63**	**68.30**	**261.03**
	कर से पहले लाभ	**20.62**	**31.72**	**31.94**	**24.85**	**-132.37**
	कराधान के लिए प्रावधान	31.59	7.00	5.50	4.50	6.14
	कर के बाद लाभ	**-10.97**	**24.72**	**26.44**	**20.35**	**-138.51**

परिशिष्ट-9

2008-09 से 2012-13 के दौरान वेयरहाउसों की क्षमता उपयोगिता तथा कार्यरत परिणाम दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.2.7.1 में संदर्भित)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	वेयरहाउसों की संख्या	106	107	107	107	108
2	उपलब्ध औसत भंडारण क्षमता (लाख मीट्रिक टन में)					
i)	स्वयं की क्षमता					
	कवर्ड	9.36	9.45	10.16	11.35	12.32
	ओपन	1.80	1.48	0.90	0.57	0.89
	कुल	**11.16**	**10.93**	**11.06**	**11.92**	**13.21**
ii)	किराए की क्षमता					
	कवर्ड	2.87	2.88	2.98	2.94	2.67
	ओपन	0.65	3.11	2.12	1.86	3.00
	कुल	**3.52**	**5.99**	**5.10**	**4.80**	**5.67**
iii)	कुल कवर्ड क्षमता	12.23	12.33	13.14	14.29	14.99
iv)	कुल ओपन क्षमता	2.45	4.59	3.02	2.43	3.89
	कुल योग	**14.68**	**16.92**	**16.16**	**16.72**	**18.88**
3	उपयोग की गई औसत भंडारण क्षमता (लाख मीट्रिक टन में)					
	कवर्ड	10.94	11.32	12.56	14.11	15.56
	ओपन	1.26	4.13	2.41	2.34	4.11
	कुल	**12.20**	**15.45**	**14.97**	**16.45**	**19.67**
4	उपयोग की गई औसत क्षमता की प्रतिशतता					
	कवर्ड	89	92	96	99	104
	ओपन	51	90	80	96	106
	कुल	**83**	**91**	**93**	**98**	**104**
5	भंडारण आय (₹ करोड़ में)	46.22	60.54	64.75	80.14	100.77
6	अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	20.62	31.72	31.94	24.85	(-)132.37
7	गेंहू गतिविधि से लाभ (₹ करोड़ में)	18.19	21.50	19.20	3.85	19.94
8	गेंहू गतिविधि से लाभ की प्रतिशतता	88.22	67.78	60.11	15.49	-

परिशिष्ट-10

मार्च 2013 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियों के कनैक्टिड तथा डिस्कनैक्टिड डिफालटरज के विरूद्ध बकाया राशि को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 3.4 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

उपभोक्ताओं की श्रेणी	कनेक्टिड				डिस-कनेक्टिड				कुल				वृद्धि प्रतिशतता			
	2008-09		2012-13		2008-09		2012-13		2008-09		2012-13		कनेक्टिड		डिस-कनेक्टिड	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
घरेलू (ग्रामीण)	272037	783.79	299215	1125.06	180969	290.17	240582	587.32	453006	1073.96	539797	1712.38	341.27	43.54	297.15	102.41
घरेलू (शहरी)	45842	64.93	61411	65.05	78611	61.02	80415	81.95	124453	125.95	141826	147.00	0.12	0.18	20.93	34.30
कुल घरेलू	317879	848.72	360626	1190.11	259580	351.19	320997	669.27	577459	1199.91	682623	1859.38	341.39	40.22	318.08	90.57
गैर-घरेलू	30094	69.41	31724	79.94	36067	39.15	42911	59.92	66161	108.56	74635	139.86	10.53	15.17	20.77	53.05
कृषि	55785	68.57	100247	83.21	9480	14.81	8823	24.35	65265	83.38	109070	107.56	14.64	21.35	9.54	64.42
औद्योगिक	4092	74.17	3352	84.84	8208	40.90	7382	47.97	12300	115.07	10734	132.81	10.67	14.39	7.07	17.29
कुल (ए)	**407850**	**1060.86**	**495949**	**1438.10**	**313335**	**446.05**	**380113**	**801.51**	**721185**	**1506.91**	**876062**	**2239.61**	**377.23**	**35.56**	**355.46**	**79.69**
सरकारी विभाग																
एच.एस.एम.आई.टी.सी.	0	0.00	0	0	284	0.69	0	0.00	284	0.69	0	0	0		(-)0.69	(-)100.00
सिंचाई	148	8.51	342	17.42	6	0.05	126	0.45	154	8.56	468	17.87	8.91	104.70	0.4	800.00
नगर निगम (स्ट्रीट लाईट)	140	6.42	411	13.27	7	0.54	5	0.24	147	6.97	416	13.51	6.85	106.70	(-)0.3	(-)55.56
पंचायत	77	0.56	145	0.51	178	0.63	142	0.61	255	1.19	287	1.12	(-)0.05	(-)8.93	(-)0.02	(-)3.17
जन स्वास्थ्य	4095	29.88	4333	35.04	1	0.03	13	0.07	4096	29.90	4346	55.47	5.52	18.47	0.04	133.33
अन्य सरकारी विभाग	286	19.97	322	09.85	56	0.33	56	0.45	342	20.30	378	10.30	(-)10.12	(-)50.68	0.12	36.36
कुल (बी)	**4746**	**65.33**	**5553**	**76.45**	**532**	**2.26**	**342**	**1.82**	**5278**	**67.60**	**5895**	**78.27**	**11.11**	**17.00**	**(-)0.45**	**(-)19.82**
कुल योग (ए+बी)	**412596**	**1126.19**	**501502**	**1514.55**	**313867**	**448.32**	**380455**	**803.33**	**726463**	**1574.51**	**881957**	**2317.88**	**388.34**	**34.48**	**355.01**	**79.19**
कुल उपभोक्ता	**2348109**	**2727434**														
कनेक्टिड चूककर्ता (प्रतिशत में)	**17.57**	**18.39**														

शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ए.सी.डी.	अग्रिम खपत जमा
ए.जी.एम	वार्षिक सामान्य बैठक
ए.आर.आर.	कुल राजस्व आवश्यकता
ए.एस.	लेखांकन मानक
बी.जी.	बैंक गारंटी
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
सी.ए.	चार्टड एकांउटेंट
सी.ए.	वाणिज्यिक सहायक
सी.ए.जी.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
सी.बी.एस.एल.	कैपिटल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड
सी.सी.एल.	सैंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड
सी.ई.ए.	केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण
सी.ओ.पी.यू.	लोक उपक्रम समिति (कोपू)
सी.एस.टी.	केंद्रीय बिक्री कर
सी.डब्ल्यू.सी.	सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन
सी.डब्ल्यू.आई.पी.	पूंजीगत कार्य प्रगति में
डी.सी.आर.टी.पी.पी.	दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.एफ.एस.	निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति
डी.जी.एस. एंड डी.	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आई.एस.सी.ओ.एम.	संवितरण कंपनियां (डिस्कोम)
डी.एम.आई.	निदेशालय मार्केटिंग एवं इंस्पेक्शन
डी.एस.	घरेलू आपूर्ति
डी.टी.ए.	जिला परिवहन प्राधिकारी
डी.यू.	विभागीय उपक्रम
ई.पी.सी.	इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.एस.ए.	ईंधन आपूर्ति एग्रीमेंट
एफ.टी.ओ.	फाइनल टेकिंग ओवर
जी.बी.वाई.	ग्रामीण भंडारण योजना
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.ए.आर.सी.ओ.	हरियाणा राज्य सहकारी बैंक
एच.ए.आर.टी.आर.ओ.एन.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम
एच.बी.पी.ई.	हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा विद्युत रेगुलेटरी कमीशन
एच.एफ.सी.	हरियाणा वित्तीय निगम

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एच.पी.ए.	हरियाणा पुलिस अकादमी
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.पी.पी.सी.	उच्च अधिकार प्राप्त क्रय कमेटी
एच.पी.एस.पी.पी.	हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम
आई.सी.डी.	इनलैंड कंटेंड डिपो
एल.डी.	निर्धारित क्षतियां
एल.ओ.आई.	मांग – पत्र
एम.डी.	प्रबंध निदेशक
एम.टी.एस.	मेगिट ट्रेनिंग सिस्टम
एन.ए.बी.ए.आर.डी.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.एस.एफ.डी.सी.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
ओ.ई.एम.	मूल उपकरण निर्माता
ओ.एस.डी.	विशिष्ट कार्य अधिकारी
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार
पी.डी.सी.ओ.	स्थाई डिस्कनेक्शन आर्डर
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पी.टी.ओ.	अस्थाई रूप से ग्रहण करना
पी.टी.पी.एस.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
आर. इन्फ्रा.	रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
आर.जी.टी.पी.पी.	राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट
आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि
एस.ए.आई.	भारतीय खेल प्राधिकरण
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.सी.ए.	विशेष केंद्रीय सहायता
एस.डी.ओ.	उप – मंडल अधिकारी
एस.ई.सी.	शंघाई इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन
एस.ई.	अधीक्षक अभियंता
एस.पी.ई.	राज्य सार्वजनिक उद्यम
टी.ए.सी.	टेंडर अप्रूवल कमेटी
टी.डी.सी.ओ.	अस्थाई डिस्कनैक्शन आर्डर
टी.आर.डब्ल्यू.	ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड